

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	03/04
03. Referee Board	05
04. Spokesperson's	07
05. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि का उनके सामाजिक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. मंजू पाटनी, डॉ. मंजू शर्मा, प्रीतिबाला अलावे)	09
06. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की रोजगार स्थिति का उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (ज्योति बौरासी, डॉ. संग्राम भुषण)	12
07. लघु एवं कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास (डॉ. संग्राम भुषण, ज्योति बौरासी)	16
08. राजा रणमत सिंह का ऐतिहासिक परिचय (डॉ. अनुभव पाण्डेय)	19
09. साहित्य में पुनर्जागरण एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (डॉ. शुक्ला ओझा)	22
10. भारत छोड़ो आंदोलन में सतपुड़ांचल का अवदान (डॉ. संकेत कुमार चौकसे)	25
11. श्री रामकृष्ण परमहंस की सांस्कृतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक देन (डॉ. अजय आचार्य)	28
12. वैश्वीकरण के कारण सार्वभौमिक परिवर्तन और बदलता परिवेश (डॉ. आर.के.यादव)	30
13. वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों की उपयोगिता एवं समस्याएँ (डॉ. एस. एस. धुर्वे)	33
14. भिलाला लोक संस्कृति का अनुशीलन (कुक्षी तह. के विशेष संदर्भ में) (सुमन सिसोदिया, डॉ. गुलाब सिंह डावर)	36
15. मुनि श्री प्रमाणसागर और 'ज्योतिर्मय जीवन' (डॉ. गणेश लाल जैन, सतीश शर्मा)	40
16. हिन्दी साहित्य में जीवन मूल्य का महत्व (डॉ. विनय कुमार सोनवानी)	43
17. आधुनिक हिन्दी काव्य में गांधीवाद (डॉ अनुसुइया अग्रवाल)	47
18. 'धरती धन न अपना उपन्यास' में चित्रित दलित समाज का यथार्थ (नवनाथ सदाशिव पाटील)	50
19. लोकगीतों में गांधी (नियति अग्रवाल)	53
20. अष्टादश पुराणों में शिव की परिकल्पना (संध्या दावरे)	55
21. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ)	57
22. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का अध्ययन (साधना ओसवाल, डॉ. मंजू वर्मा)	62
23. मानव अधिकार के रूप में महिला आयोग की भूमिका एक विश्लेषण (दीपिका तोमर, डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा)	65
24. Banking The Unbanked -The Indian Revolution (Dr. Praveen Ojha)	67

25.	Education System of India and it's Drawback (Kartikeswar Patro).....	71
26.	Economic Condition Of The People During The Gupta Period (Sunil Sharma)	74
27.	Jammu And Kashmir Reorganisation Act 2019 - Sign Of A New Change	76
	(Jai Prakash Vyas, Prof. (Dr.) Yogendra Shirivastav)	
28.	Mansabdari System During Mughal Rule (Sunil Sharma)	79
29.	Isolation and Characterisation of a Novel Flavonoid Glycoside from the Stem of	81
	Impatiens Scabrida D.C. (Dr. Basanti Jain)	
30.	निमाड के 17वीं- 18वीं सदी के सन्तों द्वारा साहित्य सृजन (डॉ. मधुसूदन चौबे)	83
31.	हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति (डॉ. आर. एस.वाटे)	86
32.	सभी किसानों की कर्जमाफी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। (म.प्र. के सदर्थ में) (डॉ. दीपक जैन)	89
33.	Copyright Agreement Form	91
34.	Research Paper Making Process	92

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandasaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandasaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi, ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya
Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt.,
M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhal, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesha Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि का उनके सामाजिक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मंजू पाटनी * डॉ. मंजू शर्मा ** प्रीतिबाला अलावे ***

प्रस्तावना – किशोरावस्था आवेग, जोश, संवेदनशीलता व उत्साह से भरपूर एक परिवर्तन की अवस्था है। इस उम्र में शरीर का आकार, अनुपात, आकृति, शरीर क्रियाओं की दृष्टि से ही नहीं बदलता है। बल्कि रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यवहार के तरीकों से भी बदलता है। अतः उनके लिए चिंता, भय, तनाव एवं अस्थिरता का प्रदर्शन स्वाभाविक है तथा जब किशोरावस्था में किशोर किशोरिया महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। उनके सामने कई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। जिनसे उन्हें समायोजन करना पड़ता है। जो इन परिस्थितियों में परिवार, स्वास्थ्य, समाज, संवेग तथा शिक्षा के साथ अपने आप को समायोजित करना किशोर तथा किशोरियों के लिए चुनौती होती है। समायोजन एक सीखने की अवस्था है। किशोरावस्था में यदि किशोरों के संबंध माता-पिता से अच्छे होंगे तो किशोरों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जीवन में समायोजन अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें समायोजन करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थितियों में समायोजन करने का ज्ञान किशोर किशोरियों को होना अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता ग्रहण कर लेना ही सामाजिक समायोजन है। मनुष्य को सामाजिक गुण परिवार से मिलता है तथा बाद में विद्यालय में समाज उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करता है बनाता है। किशोर एवं किशोरी अपनी आवश्यकता एवं इच्छाओं से प्रेरित होकर वह समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती है तथा समाज के व्यवहार अथवा प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती है तथा वे समाज की परंपराओं और रीति-रिवाजों मूल्यों आदि के अनुकूल स्वयं को ढालने की कला में निपुण होता चला जाता है।

बुद्धि लब्धि – स्टैनफोर्ड बिन के परीक्षण में परीक्षण द्वारा बुद्धि की गणना करने की विधि थी, यदि बच्चा अपने से कम आयु वाले बच्चों की परीक्षा ही पास कर पाता तो उसकी बुद्धि कम समझी जाती थी और यदि वह अपनी आयु के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था तो उसकी बुद्धि सामान्य समझी जाती थी। इसी प्रकार से जब वह अपनी आयु से अधिक आयु के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ समझी जाती थी।

बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण – बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-

बुद्धि लब्धि - 140 और ऊपर – प्रतिभाशाली-एक औसत बालक की अपेक्षा यह बालक शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ अच्छे होते हैं। अन्य बालकों की

अपेक्षा यह बालक पढ़ाई में तेज होते हैं। वाचन भाषा प्रयोग, विज्ञान, कला, गणित में यह विशेष रूप से अग्रणीय होते हैं।

बुद्धि लब्धि - 120 से 139 प्रखर बुद्धि – 'प्रतिभाशाली' समुदाय के सम्मान 'प्रखर बुद्धि' समुदाय के कई व्यक्ति अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं होते। ये कार्य विद्यालयों को करना चाहिए, ताकि इन्हें सदा प्रेरणा मिलती रहे।

बुद्धि लब्धि - 110 से 119 तीव्र बुद्धि – इस प्रकार के लोग पूरी जनसंख्या में 15: होते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से ये व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग ऐसा व्यवसाय अपनाते हैं जिसमें सूक्ष्म चिंतन कम से कम हो।

बुद्धि लब्धि 90 से 109 सामान्य बुद्धि – 40-50% जनता इस श्रेणी में आती है। जिन्हें 'जनसाधारण' कहा जाता है, वे यही लोग होते हैं, शैक्षिक दृष्टि से यह लोग उच्च माध्यमिक अवस्था को पार कर लेते हैं। ये ऐसा व्यवसाय अपनाते हैं जिसमें अधिक शिक्षा की आवश्यकता ना पड़े। बहुत कम लोग विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच पाते हैं।

बुद्धि लब्धि - 80 से 89 मंदबुद्धि – मंदबुद्धि व्यक्ति जनसंख्या में 15% होते हैं। यदि उनके लिए कोई और प्रबंध ना किया जाए तो वह पाठशाला में ही अनुत्तीर्ण होते रहेंगे। माध्यमिक कक्षाओं तक पहुंचना भी उनके लिए कठिन होता है। वाचन तथा गणित में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई हस्तोद्योग सीखना चाहिए। ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

व्यक्ति को जितना अपने आप से संतुष्ट तथा समायोजित होने की आवश्यकता होती है उतनी ही अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई बातों तथा व्यक्तियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रहने की होती है। उसे अपने परिवेश तथा उसमें उपलब्ध परिस्थितियों से भी संतुष्ट अनुभव करना चाहिए तभी वह ठीक तरह समायोजित रह सकता है। सामाजिक परिवेश का दायरा उसके घर परिवार से शुरू होकर विश्व बंधुत्व की सीमाओं को छूता है।

साहित्य की विवेचना – वीरेश्वर, पी. (2019) ने विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विद्यालय जाने वाले किशोर बालिकाओं (आयु 18 से 20 वर्ष) में घर, विद्यालय, समाज, भावात्मक एवं स्वास्थ्य के मध्य समायोजन का पता लगाना, शहर और ग्रामीण विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के समायोजन के विभिन्न समस्याओं का पता लगाना, तथा

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
*** शोधार्थी, माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे- एन.एस.एस. का सामाजिक एवं भावात्मक क्षेत्र में समायोजन के प्रति योगदान का पता लगाना था।

अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- बालिकाओं में समायोजन क्षमता की समस्या प्रत्येक क्षेत्र में पायी गयी।
- शहरी एवं ग्रामीण बालिकाओं के बीच पारिवारिक समायोजन की समस्याओं में सार्थक अन्तर पाया गया।

गुप्ता, सुषमा (2017) ने विद्यालय जाने वाले विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले किशोरियों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरियों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरियों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना, सामाजिक समायोजन पर किशोरियों के लिए माता-पिता के शिक्षा के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा किशोरियों के सामाजिक समायोजन के प्रति अभिभावकों तथा माता-पिता के विचारों का अध्ययन करना था।

अध्ययन के निष्कर्ष निम्नवत् थे-

- शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरियाँ ग्रामीण की तुलना में अधिक सामाजिक समायोजित थीं। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरियाँ राजकीय विद्यालयों की तुलना में अधिक समायोजित थीं।
- सह-शिक्षा संस्थानों की किशोरियाँ, बालिका विद्यालयों की तुलना में अधिक समायोजित थीं। हिन्दी माध्यम की किशोरियों और अंग्रेजी माध्यम की किशोरियों के निजी, राजकीय तथा सहशिक्षा संस्थानों के बीच सामाजिक आर्थिक स्तर तथा समायोजन के बीच धनात्मक सह-सम्बन्ध था जबकि क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ा। माता-पिता की शिक्षा का धनात्मक प्रभाव किशोरियों के सामाजिक समायोजन पर पड़ता है।
- शहरी, निजी, सहशिक्षा की अंग्रेजी माध्यम की उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाली किशोरियों का समायोजन अच्छा रहा।

मिश्रा, वीणा (2012) ने किशोर छात्र-छात्राओं के संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य किशोर छात्र एवं छात्राओं के संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना था।

अध्ययन में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- सम्पूर्ण न्यादर्श में संवेगात्मक समायोजन में लिंग भेद पाया गया।
- संवेगात्मक क्षेत्र में छात्र, छात्राओं की अपेक्षा अधिक समायोजित पाए गए।
- छात्राओं में भी समायोजन के प्रति सक्रियता पायी गयी।
- छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

दीवान, रसीदू (2018) ने सामाजिक परिपक्वता और सामाजिक स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक परिपक्वता के साथ सामाजिक व आर्थिक स्तर के संबंध की खोज करना था। अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए- सामाजिक परिपक्वता के सन्दर्भ में किशोर व किशोरियों की बुद्धि लब्धि समान है तथा सामाजिकपरिपक्वता पर निवेश और लिंग कोई पारस्परिक प्रभाव सम्पादित नहीं करते हैं।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व - यह शोध कार्य बौद्धिक दृष्टिकोण से

शोधकर्ताओं शिक्षा विद्वानों, योजना कारकों प्रशासनिक वर्ग शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने में सहायक होगा। किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष अनेक समस्याएँ रहती हैं। इन समस्याओं में एक प्रमुख समस्या बुद्धि लब्धि तथा सामाजिक समायोजन की होती है। हर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य नहीं कर सकता है। बौद्धिक कार्य में सफलता के लिए उसे उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार सामाजिक कार्य प्रदान किए जाए। जिससे वह बौद्धिक कार्य में रुचि ले तथा उसमें सामाजिक समायोजन कर सफलता प्राप्त कर सके।

शोध अध्ययन के उद्देश्य -

1. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि को ज्ञात करना।
2. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध का अध्ययन करना।

अध्ययन की उपकल्पना -

1. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
2. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

शोध प्रविधि -

शोध अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध क्षेत्र के रूप में बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन का समय - बड़वानी जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत् 17वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक किशोर किशोरियों को लिया गया।

निर्दर्श का आकार - प्रस्तुत शोध अध्ययन में निर्दर्श इकाई के रूप में 160 किशोर तथा 160 किशोरियों का प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया। इस प्रकार कुल 320 किशोर एवं किशोरियों को लिया गया।

शोध यंत्र (उपकरण) - शोध अध्ययन हेतु डॉ. एस. के. पॉल एवं डॉ. के. एस. मिश्रा (इलाहाबाद) द्वारा निर्मित Test of general intelligence for college student तथा प्रोफेसर डी. एन. श्रीवास्तव, डॉक्टर गोविंद तिवारी (आगरा) द्वारा निर्मित Adjustment Inventory (for Graduate and Postgraduate Students) परीक्षण का प्रयोग किया गया।

शोध विश्लेषण -

H01 किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका क्रमांक 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका में बुद्धि लब्धि के संबंध में किशोर एवं किशोरियों में सार्थक अंतर है। यह स्पष्ट है कि किशोरियों की बुद्धि लब्धि का माध्य किशोर की बुद्धि लब्धि के माध्य से अधिक है। उपरोक्त तालिका में टी-परीक्षण के मान को दर्शाया गया है। टी-टेस्ट का मान 2.516 जो कि सारणीकृत मान 1.96 से अधिक है व $0.012 < 0.05$ पर सार्थक है। अतः इस सन्दर्भ में उपरोक्त परिकल्पना 'किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है' को अस्वीकृत किया गया है। यह स्पष्ट है कि किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि में सार्थक अंतर है व किशोरियों की बुद्धि लब्धि किशोरों की बुद्धि लब्धि से अधिक है।

H02 किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका क्रमांक 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका में सामाजिक समायोजन के संबंध में किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि के माध्य को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि किशोरियों का सामाजिक समायोजन बुद्धि लब्धि के संबंध में किशोरों के सामाजिक समायोजन से अधिक पाया गया अर्थात् किशोरों एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर है। टी-टेस्ट का मान 5.421 जो कि सारणीकृत मान 1.96 से अधिक है व $0.000 < 0.05$ पर सार्थक है। अतः इस संदर्भ में उपरोक्त परिकल्पना 'किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है' को अस्वीकृत किया गया है। अंतः यह विश्लेषण दिया जाता है कि, किशोरों एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर है।

शोध निष्कर्ष -

- प्रस्तुत शोध कार्य में निष्कर्ष रूप में प्राप्त हुआ कि किशोर एवं किशोरियों की बुद्धिलब्धि में सार्थक अंतर है किशोरियों की बुद्धि लब्धि किशोरों की बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक पाई गई।
- प्रस्तुत शोध कार्य में बुद्धि लब्धि एवं समायोजन के संबंध में निष्कर्ष रूप में प्राप्त हुआ कि किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर है। किशोरियों का सामाजिक समायोजन किशोरों की तुलना में अधिक पाया गया।

शोध सुझाव -

- किशोर एवं किशोरियों को स्वस्थ पारिवारिक वातावरण देना चाहिए

ताकि वे अच्छे से सामाजिक समायोजन कर सकें।

- सामाजिक परिपक्वता के विकास हेतु अच्छी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- किशोर बालक-बालिकाओं को सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, वीणा (2012)- 'किशोर छात्र-छात्राओं के संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन', लघुशोध प्रबन्ध, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, पृ. 6.
2. गुप्ता, सुषमा (2017)- 'एजुकेशन एज ए फैक्टर आफ सोशल एडजेस्टमेन्ट आफ एडोल्सेन्ट गर्ल्स एकास डिफरेंट लेवल्स आफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस', पी-एच.डी. पंजाब यूनिवर्सिटी, वाई.एम.बी. बुच फिथ सर्वे आफ एजुकेशनल रिसर्च-II, पृ. 820।
3. दीवान, रसीदू (2018) सामाजिक परिपक्वता और सामाजिक व आर्थिक स्तर का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ. 7.
4. वीरेश्वर, पी. (2019)- 'ए स्टडी ऑफ मेटल हेल्थ एण्ड एडजस्टमेन्ट प्राब्लम ऑफ कालेज गोइंग गर्ल्स अरबन एण्ड रूरल', मेरठ यूनिवर्सिटी, फोर्थ सर्वे ऑफ एजुकेशन, पृ. 454.

तालिका क्रमांक 1
किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि

बुद्धि लब्धि	समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि माध्य	टी-परीक्षण	सार्थकता मान
	किशोर	160	1.143	0.3519	0.027	2.516	.012
	किशोरियाँ	160	1.262	0.4822	0.038		

तालिका क्रमांक 2
Group Statistics

किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन

बुद्धि लब्धि और सामाजिक समायोजन	समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि माध्य	टी-परीक्षण	सार्थकता मान
	किशोर	160	4.1563	.46980	.03714	5.421	.000
	किशोरियाँ	160	4.4500	.49906	.03945		

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की रोजगार स्थिति का उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

ज्योति बौरासी * डॉ. संग्राम भुषण **

प्रस्तावना – राष्ट्रीय विकास और महिलाओं की प्रगति में घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि शारीरिक कष्ट और निरन्तर कार्य करने की प्रवृत्ति दिन राज परिश्रम करने की भावना स्त्री हृदय की अपूर्ण धरोहर है। इसलिए महिलाएं अर्धव्यवस्था की एक आवश्यक उत्पादन शक्ति और संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

जहाँ तक स्मृति की पहुँच है और जहाँ तक का इतिहास लिखा गया है भारतीय नारी पारिवारिक व आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों से कभी पीछे नहीं रही है। वह हमेशा से ही पुरुषों को सहयोग देती आयी है शिकारी अवस्था में यदि स्त्रियाँ शिकार करने नहीं जा सकती थी तो घर में ही अनेक आर्थिक धंधे जैसे-बाँस की चीजें बनाना, अनाज जमा करना आदि कार्य करती थी। परम्परागत या कृषि के अलावा भी महिलाएं घर में रहकर कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरिया बनाना या फिर कुटना पीसना आदि काम करती थी। लेकिन उनका यह सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टि गोचर होता था। क्योंकि परम्परागत रूप से ग्रामीण हो या शहरी महिलाओं का घर से बाहर कार्यरत होना या पैसा कमाना अच्छा नहीं माना जाता था। आर्थिक रूप से वे ही महिलाएं जिन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था या परिवार में कोई आर्थिक सहयोग देने वाला नहीं होता था या फिर विधवा परिव्यक्ता स्त्रियाँ ही धनोपार्जन करती थी उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कार्य करना बुरा समझा जाता था। किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गयी हैं रोजगार का क्षेत्र अब पुरुष व महिला दोनों के लिए महत्व रखता है। क्योंकि आज के जीवन में कठिनाईयाँ बढ़ती जा रही हैं उपयोग की नई नई वस्तुओं का आकर्षण उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा चीजों के बढ़ते हुए मूल्यों और पति की अपर्याप्त आय के कारण घर की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना बड़ा कठिन सा हो गया है, ऐसे में मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों के नौकरी करने के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हो गया है इन कारणों ने अधिकांश उच्च व निम्न वर्ग की ग्रामीण व शहरी महिलाओं को धनोपार्जन करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही स्त्री पुरुष के बीच की विषमता को भी समाप्त कर दिया है।

वर्तमान समय में एक से अधिक सदस्यों द्वारा धन अर्जन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति की आय से समस्त आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि पहले व्यक्ति की आवश्यकताएँ सीमित थी आज के भौतिक वादी युग में उसकी आवश्यकताएँ बड़ी हैं इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कमाने के लिए आगे आना पड़ रहा है। अध्ययन करने के उद्देश्य से उनके परिवार में कमाने वाले व्यक्तियों की

जानकारी ज्ञात की गई है।

तालिका (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 191 (47.75 प्रतिशत) सूचना यात्रियों में से 73 (36.50 प्रतिशत) ग्रामीण व 118 (59.05 प्रतिशत) शहरी सूचना यात्रियों के परिवार में 2-3 सदस्यों द्वारा धन अर्जित किया जाता है जबकि 17 (8.50 प्रतिशत) ग्रामीण सूचना यात्रियों के परिवार में 4 से अधिक सदस्यों द्वारा धन अर्जित किया जाता है।

सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में ग्रामीण परिवार के सभी सदस्यता है व्यस्क हो या अव्यस्क किसी न किसी कार्य में अवश्यक संलग्न होते हैं। यद्यपि परिवार के कार्यशील मुख्य सदस्य एक या दो हैं लेकिन जिन परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वहाँ पर स्त्री पुरुष एवं बच्चे जितने भी परिवार के सदस्य हैं कृषि कार्य में संलग्न हैं यद्यपि उन सब के कार्य करने पर भी परिवार की आय उतनी ही सीमित है परन्तु फसल के समय सभी को सहयोग करना पड़ता है। बड़े परिवारों में चार पाँच सदस्य कार्यशील देखने को मिले इन सभी को सहयोग करना पड़ता है। इन परिवार में कृषि के अलावा अन्य पारिवारिक उद्योग जैसे विनिर्माण कारीगरी, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्य होते हैं।

जबकि शहरी में परिवार के 2 या 3 सदस्यों द्वारा ही अधोपार्जन किया जाता है। जिसका मुख्य कारण एकल परिवार पृथा व बच्चों की उच्च शिक्षा होना है।

क्योंकि शहरों में कुछ ही परिवार ऐसे होते हैं, जिनमें पति पत्नी व बच्चे कमाते हैं। जबकि अधिकतर ऐसे परिवार हैं, जिनमें अभी तक बच्चों की उच्च शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए शहरों में परिवार के कम सदस्यों द्वारा धनोपार्जन किया जाता है।

आय – आय व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उसके सम्मान का प्रतीक है तथा कार्य के लिए प्रेरणा है। इससे जीवन शैली के निर्धारण के साथ ही सामाजिक मूल्यों को भी दिशा मिलती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं होता कि वह किस पद पर कार्यरत है? या क्या करती है? बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि वह कितनी आय प्राप्त करती है क्योंकि महिलाओं की शैक्षणिक सामाजिक, कानूनी स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी आर्थिक स्थिति है भले ही महिला शिक्षित हो पर यदि वह आर्थिक रूप से संबल नहीं है तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकती है। अतः आर्थिक संबलता ही उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करती है।

*शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**निर्देशक (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

स्पष्ट है कि आय सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णायक है। अध्ययन में सम्मिलित सूचनार्थ यात्रियों की मासिक आय की जानकारी निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 210 (52.50 प्रतिशत) सूचनार्थियों में से 160 (80.00 प्रतिशत) ग्रामीण सूचनार्थियों की मासिक आय 2000-4000 रु के मध्य है। जबकि कुल 175 (43.75 प्रतिशत) सूचनार्थियों की मासिक आय 4000-6000 रु तक या इससे भी अधिक है। उपरोक्त तालिका एवं सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि वर्तमान आर्थिक परिवेश में भी ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की आय में काफी अंतर है। जिसका मुख्य कारण ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा आय प्राप्ति के स्रोतों में अंतर होता है क्योंकि गांवों में महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं जिससे उनके पास आय प्राप्त करने के कम स्रोत होते हैं साथ ही सामाजिक मान्यताओं के कारण आय प्राप्ति के कम विकल्प होते हैं, जिससे की वे शहरी महिलाओं की तरह अधिक आय अर्जित करने में असक्षम होती हैं जबकि शहरी महिलाओं की शिक्षा उच्च स्तर की होने से उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है।

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के उद्देश्य -

1) ग्रामीण महिलाओं के रोजगार की स्थिति को जानना। 2) शहरी महिलाओं के रोजगार की स्थिति को जानना। 3) कार्यशील ग्रामीण महिलाओं का उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।

ग्रामीण व शहरी सहायता करने हेतु शासकीय संस्थाएं-केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने उद्यमियों की सहायता करने हेतु समय समय पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। वर्तमान में इनकी संख्या 70 के करीब है वो उद्यमियों को प्रशिक्षण, प्रबंधकीय परामर्श, अनुसंधान और मानक निर्धारण के अलावा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से वित्त की व्यवस्था का कार्य करती है। लेकिन कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जो विशेष रूप से महिला उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु वित्त व अन्य सहायता प्रदान करती हैं ये संस्थाएं निम्न हैं।

1) मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम 2) मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग 3) मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम 4) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र 5) उद्यमिता विकास केन्द्र 6) लघु उद्योग सेवा संस्थान, आदि

ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता -

- 1) ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक अंधविश्वासी और भाग्य पर विश्वास करने वाले होते हैं।
- 2) ग्रामीण क्षेत्र प्रायः अधिक गतिशील नहीं होते हैं जिससे गांवों में वर्ग और व्यवसाय बहुत कम होते हैं।
- 3) ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की गति अत्यधिक मंद होती है जिसके कारण गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है।
- 4) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बंधी होती हैं उन्हें कहीं अन्य जगह आने जाने की छुट नहीं होती है वे घर में ही रहकर कार्य कर सकती हैं।
- 5) ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित होती हैं जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शहरी क्षेत्र की विशेषता -

- 1) शहरों में व्यक्ति वादित एवं भौतिक वादितता का महत्व है, जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट देखने को मिलती है।
- 2) शहरवासियों को अनेक प्रकार के व्यवसायिक संबंधों को स्थापित करनेका अवसर मिलता है। व्यवसायों के अधिक्य के कारण शहरों में

श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिलता है।

- 3) शहर के सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। जिसके कारण महिलाओं को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।
- 4) शहरी महिलाएं शिक्षित होती हैं, जिसके कारण से रोजगार आसानी से कट सकती है व समझ सकती है।

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की समस्याएं - महिलाओं द्वारा किए गए त्याग निःसन्देह ही उल्लेखनीय है। चाहे वह ऑफिस में कार्यरत शहरी महिला हो या फिर खेतों में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया गया त्याग कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिसे हम अकसर अनदेखा कर देते हैं। वह कभी आराम से बैठकर चाय नहीं पी सकती है और नहीं किसी समारोह में जा सकती है। यहाँ तक की वह अपना पंसदीदा टी.वी कार्यक्रम भी नहीं देख सकती है और यदि वह परिवार या पति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती तो घर में कलह होती है।

विभिन्न क्षेत्रों को पदार्पण करने व आत्मनिर्भर होने के बाद भी महिलाओं को कलह व कई प्रकार की ऐसी समस्या होती है, जो उसकी कार्य कुशलता को प्रभावित करती है और उसे कार्यरत रहने के लिए निरुत्साहित करती है, जिससे महिलाओं कि क्रिया शीलता व कार्यक्षमता एक निश्चित परिधि में सीमित हो जाती है।

कार्यरत महिलाओं को कार्य के दौरान कुछ विशेष समस्याओं जैसे पारिवारिक, सामाजिक, या कार्यस्थल पर नियोजक व सहकर्मियों का दुर्व्यवहार आदि का सामना करना पड़ता है। वे समस्या उनके महिला होने पर आती है। महिला होने के कारण उन्हें विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कहीं इस तथ्य को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कुल 2019 (52.25 प्रतिशत) महिलाओं में 125 (62.5 प्रतिशत) ग्रामीण महिलाओं को अभी इन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है व 84 (42 प्रतिशत) शहरी महिलाओं को इसका सामना नहीं करना पड़ता है।

अतः हम कह सकते हैं कि समय के साथ शहरी वातावरण धीरे धीरे महिलाओं के पक्ष में बदल रहा है। किन्तु ग्रामीण परिवेश अभी भी इस दिशा में पिछड़ा हुआ है।

सुझाव -

- 1) महिलाओं की सफलता में परिवार का प्रोत्साहन, सहायता पहली आवश्यकता है, यदि महिला घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक है तो परिवार के लोग उसकी इस सहायता को खुशी के साथ स्वीकार करें, और उसके कार्यों व उसकी शिक्षा प्राप्ति में उसका सहयोग करें। जिससे कि महिलाओं को अग्रशील होने से सहायता होगी और समाज के रीति रिवाजों में भी परिवर्तन होगा।
- 2) महिलाओं की सफलता में परिवार का प्रोत्साहन, सहायता पहली आवश्यकता है। यदि महिला घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक है तो परिवार के लोग उसकी इस सहायता को खुशी के साथ स्वीकार करें और उसके कार्यों व उसकी शिक्षा प्राप्ति में उसका सहयोग करें।
- 3) कार्यशील महिलाएं अपनी कार्य योजना को इस प्रकार बनाएं जिससे परिवार के सभी सदस्यों से कार्य के विभाजन में सहयोग की विनम्र अपील हो जिससे उन्हें स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए समय मिलेगा।

निष्कर्ष - स्त्री और पुरुष सृष्टि के निर्माण के ईश्वर की विशिष्ट देन है


भारतीय महिलाए प्राचीनकाल से ही शक्ति का स्रोत रही है भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। और महिलाओं को कमजोर माना जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं की काबिलियत और कौशल में कोई कमी थी। शहरी, महिलाए विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में संलग्न है।

ग्रामीण व शहरी महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया है। ग्रामीण महिलाए खेत खलिहानों के अलावा विधिवत छोटे छोटे व्यापार, व्यवसाय के काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही है।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा कूमूद स्त्री घोष प्रतिभा ।
2. व्होरा आशारानी भारतीय नारी दशा दिशा ।
3. अग्रवाल डॉ जी के सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन, आगरा बुक स्टोर 1982
4. अग्रवाल डॉ जी के भारत में समाज 2003
5. गुप्ता मोतिलाल भारत में समाज, साहित्य भवन पब्लिकेशन नई दिल्ली 2002
6. जैन एस के ग्रामीण समाज शास्त्र अलंकार प्रकाशन 1977
7. हंसन मोनम्मिल आरजू भारतीय महिला आधुनिकरण कॉमनवेलथ पब्लिकेशन नई दिल्ली 1993
8. देसाई नीरा बदलते परिवेश में नारी वीरा एण्ड पब्लिकेशन बॉम्बे 1977
9. देसाई नीरा वुमन इन मॉर्डन इंडिया बोरा एण्ड कंपनी बॉम्बे 1975
10. अग्रवाल जी के हिन्दी उपन्यासों में कामकाजी महिला दिनमान प्रकाशन दिल्ली ।
11. गुडे एवं हॉट मेथड्स इन्सोशियल रिसर्च ।
12. जैन एस के ग्रामीण समाजशास्त्र, अलंकार प्रकाशन 1977

सूचनार्थियों के परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या



सूचनार्थियों की मासिक आय को दर्शाने वाली तालिका



तालिका

सूचनार्थियों की मासिक आय को दर्शाने वाली तालिका

क्र	महिला होने के कारण समस्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	125	62.5%	84	42%	209	52.25%
2.	नहीं	75	37.5%	116	58%	191	47.75%
		200	100	200	100	400	100

लघु एवं कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास

डॉ. संग्राम भूषण * ज्योति बौरासी **

प्रस्तावना – भारत में प्राचीन समय से ही लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता रही है। आज से दो हजार वर्ष पूर्व भी भारत का सूती वस्त्र एवं इस्पात उद्योग विश्व में प्रसिद्ध था। आज विकसित या विकासशील देशों में छोटे उद्योगों की उपयोगिता और भी अधिक है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां आज भी 72.2 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और जहां पूंजी का अभाव है तथा जनशक्ति की अधिकता है, वहाँ लघु एवं कुटीर आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। यही नहीं लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करके आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में भी सहायक है तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीयकरण के द्वारा प्रादेशिक असंतुलनों को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रुचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की जनसंख्या का एक तिहाई भाग (जनमानस) जो कि आज भी गांव में बसता है। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए, लेकिन इन सुझावों- नीतियों को क्रियान्वित करने में चूक हुई है। ग्रामीणों के आर्थिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम पशुपालन खेती, लघु कुटीर उद्योग सहित कृषि से संबंधित मुद्दे रहे।

तत्कालीन समय में इन सबसे बढ़कर खादी उद्योग रहा है। वर्तमान में खादी की वास्तविक स्थिति से रुबरु होंगे, तो कड़वी सच्चाई यह है कि कुल कपड़े के उत्पाद का एक प्रतिशत भी खादी नहीं है। जबकि पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से इसे लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जो दिया जा रहा है।

कार्यरत ग्रामीण व शहरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति – राष्ट्रीय विकास और महिलाओं की प्रगति में घनिष्ठ संबंध है। महिलाओं की स्थिति का निर्धारण प्रत्येक समाज की तत्कालीन परिस्थितियों एवं संस्कृति के द्वारा होता है। वह पुरुष के समान समाज का एक घटक है और अपने विकास की अपेक्षा करना उनका अधिकार है। एक समय था, जब महिलाएं स्वयं को पराश्रित और हीन समझ कर समाज और पुरुष वर्ग से अपनी भलाई की अपेक्षा करती थी। उस समय उनके लिए शिक्षा के दरवाजे भी बंद थे, किन्तु आज का युग परिवर्तित हो चुका है। सुस्त, मानवता घोर निद्रा के बाद जाग उठी है। स्त्री जाति ने भी परदे और अंध-विश्वासों से ऊपर उठकर कदम

आगे बढ़ाए हैं। बदले हुए परिवेश में महिलाएँ अपने अधिकार को समझकर विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं तथा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जैसे ए.आर. देसाई ने अपने आलेख में कहा है- 'भारतीय महिलाओं में नई संवेदना व चेतना का विकास हो रहा है, जिससे अब उसे अधिक समय तक उन पारिवारिक संस्थागत राजनैतिक और सांस्कृतिक मानदण्डों की घुटन में नहीं रहना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी स्थिति सदैव अपमानजनक रही है।'

सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण एवं विश्लेषण – वर्तमान समय में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अधिकार संपन्न स्वावलंबी बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। जहां तक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का सवाल है, तो इसमें एक सबसे बड़ी बाधा है अपना स्वयं का कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये महिलाओं के पास पूंजी की अनुपलब्धता। और यदि कोई महिला किसी छोटे, व्यवसाय से जुड़ी है तो उसे उस कार्य के लिये धन प्रायः ऊँची ब्याज दरों पर मिलता है। इन सब कारणों से महिला उद्यमियों का एक बड़ा भाग आय अर्जन गतिविधियों से अलग रहता है। महिलाओं की इन समस्याओं के निदान स्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कल्याणकारी एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कई बढ़ावा देने के लिए की गई। जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गईं जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में लाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और जो कार्यरत हैं उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने की मदद की जाती है। उन्हें रोजगार के क्षेत्र में आने के लिए रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित तो किया ही जाता है। साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है।

1. नारी के जीवन का अस्तित्व एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3. महिलाओं में आत्मविश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना।
4. सभी क्षेत्रों में भरपूर लाभ उठाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।
5. आर्थिक गतिविधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना व जीवन में सभी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति दर्ज कराना।
6. महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा की रोकथाम करना।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित

* निर्देशक (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

की जा रही है उन्हें दो भागों में बाँटा गया है। एक तो केन्द्र सरकार की योजनाएँ दूसरी राज्य सरकार की योजनाएँ।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृहद सरकारी रोजगार योजनाएँ – केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु महिलाओं के लिये निम्नलिखित वृहद सरकारी रोजगार योजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
3. स्वर्ण जयंगी ग्राम स्वरोजगार योजना
4. रानी दुर्गावती योजना
5. महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार की योजनाएँ – महिलाओं के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं को उत्थान की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया है। पहले वर्ग में महिलाओं को शक्तिशाली और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई।

1. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाएँ।
2. महिलाओं को आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन करना।
3. महिलाओं को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना।
4. महिलाओं को आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु मार्जिन मनी तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. महिलाओं के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन करना।

(अ) महिलाओं के सामाजिक विकास एवं सुरक्षा हेतु योजनाएँ –

1. महिला जागृति शिविर
2. महिला उद्धार गृह
3. महिला वसति गृह
4. नारी निकेतन
5. दहेज रोकथाम के प्रयास

(ब) स्वास्थ्य योजना –

1. आयुष्मति योजना
2. वात्सल्य योजना

(स) स्वेच्छक संस्थाओं को अनुदान योजनाएँ –

1. सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र
2. विपत्ति ग्रस्त महिलाओं की पुनः स्थापना प्रशिक्षण योजना
3. महिलाओं को आपातकालीन आवास गृह
4. जबाली योजना
5. स्टेप और नोरेड योजना
6. विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता
7. महिला मण्डल

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएँ मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना (परियोजना लागत न्यूनतम रु. 50 हजार से अधिकतम रु. 10 लाख तक)

1. **उद्देश्य** – कुटीर एवं ग्रामोद्योग के हितग्राहियों को बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करना एवं मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. **पात्रता** – योजना का लाभ उन्हीं उद्यमियों को प्राप्त होगा, जो म.प्र. के मूल निवासी हो, न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक दिनांक को

आयू 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदन एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर चुका है, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिये होगी।

3. वित्तीय सहायता – मार्जिन मनी – योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रु. 50 हजार से अधिकतम रु. 10 लाख तक होगी।

3.1 सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही हेतु – 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख) एवं बी पी एल/अनूसूचित, जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिला/अल्पसंख्यक/नि-शक्तजन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम 2.00 लाख)

3.2 परियोजना में विमुक्त घुमकड एवं अर्ध घुमकड को स्व प्रमाणिकरण के आधार पर परियोजना के पूंजीगत लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम 3.00 तक) की पात्रता होगी। (विमुक्त घुमकड एवं अर्ध घुमकड जनजाति का अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 6209.25 (सामा.) आई के 63 दिनांक 21.09.1963 में अधिसूचित अनुसार होगा।

3.3 भोपाल गैस पिड़ित परिवार के सदस्यों को योजनाओं की अन्य पात्रताएँ पूर्ण करने पर परियोजना के पूंजी लागत पर उपरोक्त के अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.00 लाख) की पात्रता होगी।

4. ब्याज अनुदान – योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 हजार प्रतिशत) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा।

5. गारंटी शुल्क – इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा हितग्राही से कोई गारंटी नहीं ली जायेगी गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक शासन द्वारा देय होगा।

ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएँ –

1. ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक अंधविश्वासी और भाग्य पर विश्वास करने वाले होते हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्र प्रायः अधिक गतिशील नहीं होते हैं। जिससे गाँवों में वर्ग और व्यवसाय बहुत कम होते हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की गति अत्यधिक मंद होती है जिसके कारण गाँव में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है।

शोध का उद्देश्य –

1. ग्रामीण महिलाओं के रोजगार की स्थिति को जानना।
2. कार्यशील ग्रामीण महिलाओं का उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानना।

कठिनाईयाँ – मनुष्य जब कोई कार्य करता है, तो उसे अपने कार्य के दौरान कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है परन्तु उसकी सफलता इसी में है, जब वह अपने कार्य के दौरान आने वाली उस कठिनाईयों पर विजय पा लेता है। ग्रामीण महिलाओं कि निम्न कठिनाईयाँ हैं।

1. ग्रामीण महिलाएँ कार्यशील होती हैं पर घर की चार दिवारों में सीमित रह जाती हैं। महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है।
2. ग्रामीण महिलाओं को कार्य नहीं करने दिया जाता है। दूसरे पुरुषों अस्तित्व को धक्का लगता है।

3. ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित होती हैं। जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं उठा जाती है।

सुझाव - सुझाव के दौर पर हम यह कह सकते हैं, प्रत्येक ग्रामीण महिलाओं को अपने अस्तित्व को पहचानना होगा, जिसके लिए निम्न सुझाव हैं।

1. ग्रामीण महिलाओं को अपने अस्तित्व की पहचान करना होगा।
2. प्रत्येक गाँव में सरकारी योजनाओं को समझाया जाए। जिससे हम व्यक्ति या ग्रामीण महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।
3. गाँवों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
4. गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार करना जिससे घर पर रह कर ही महिलाएं कार्य कर के अपना अस्तित्व बनाए।

निष्कर्ष - जैसा की हम यह जानते हैं कि महिलाओं को कभी पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिला। ज्यादातर यह सब कुछ गाँव में रह रही महिलाओं के साथ अधिक होता है, पर अब बदलते दौर में महिलाओं ने अब पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार शहरों में महिलाओं ने अपना वर्चस्व बनाया है। ठीक उसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं ने भी गाँव में छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग में महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकाल चुकी हैं। और घर का खर्च पुरे बराबर से उठा रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं ने अपना वर्चस्व हासिल कर लिए हैं। हर योजना का

महिलाओं ने पूरा पूरा लाभ उठाते हुए सभी योजना को समझा व जाना है। ग्रामीण महिलाओं अपने उद्योगों से गाँव की गरीबी तो दूर की हो साथ ही गाँव की तस्वीर भी बल दी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल डॉ जी के - सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन आगरा बुक स्टोर, 1982
2. आहुजा राम - भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन, जयपुर नई दिल्ली, 1995
3. अग्रवाल डॉ जी के - भारत में समाज 2003
4. कपुर प्रमीला - मेरीज एण्ड द वर्किंग वुमन इन इंडिया विकास पब्लिकेशन दिल्ली 1970
5. देसाई नीरा - बदलते परिवेश में नारी वीरा एण्ड पब्लिकेशन बॉम्बे 1977
6. चन्द्रशेखर श्रीमती ममता - महिला सशक्तिकरण की अवधारणा 2002
7. देसाई नीरा - वुमन इन मॉर्डन इंडिया वीरा एण्ड कंपनी बॉम्बे 1975
8. देसाई नीरा - भारतीय समाज में नारी मेकमिलन नई दिल्ली, 1982
9. हसन मोजमिल्ल आरजु - भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1993
10. जैन एस के - ग्रामीण समाजशास्त्र, अलंकार प्रकाश 1977

राजा रणमत सिंह का ऐतिहासिक परिचय

डॉ. अनुभव पाण्डेय *

प्रस्तावना – लाल रणमत सिंह कोठी खानदान से सम्बन्धित हैं तथा कोठी वालों का सम्बन्ध रीवा नरेशों से रहा है। अतः ठा. रणमत सिंह के खानदान का वंश वृक्ष जानने के लिए हमें कोठी राज्य के बारे में जानना आवश्यक है।

कणदिव के छोटे भाई कंधर देव को कसौटा इलाका भाई-बाँट में मिला था। लेकिन आधुनिक शोधार्थियों के अनुसार गहोरा के सातवें राजा भदेयचन्द्र देव के सबसे छोटे पुत्र चन्द्र सेन को कसौटा का इलाका भू-भाग बाँट में मिला। कोठी राज्य कसौटा के घराने से ही पैदा हुआ है। कसौटा के महाराजा कल्याण सिंह के इकलौते पुत्र फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह के पाँच पुत्र थे जिनमें दूसरे नम्बर के पुत्र मकरंद राय थे। तथा इन्हीं के वंशज कोठी के संस्थापक माने जाते हैं।

मकरंद राय को कसौटा राज्य में अमिलिया ठिकाना मिला हुआ था, किन्तु गृह कलह के कारण ये अमिलिया ठिकाने का परित्याग करके सुहावल राज्य में दीवान के पद पर कार्यरत हो गए। अतः महाराजा सुहावल ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो कर अपने राज्य का एक हिस्सा (लगभग आधा) इन्हें दे दिया, यही कालान्तर में कोठी राज्य बना। कोठी के राज्य का रूप धारण करने का इतिहास निम्नानुसार है।

मकरंद राय के दो पुत्र हुए (1) भगवंत राय (2) जगत राय। जगत राय की मित्रता रीवा के महाराजा अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र फतेहसिंह से थी। ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी रीवा की गद्दी उनके छोटे भाई अनूप सिंह को मिली, क्योंकि अनूप सिंह बड़ी रानी के पुत्र थे और फतेह सिंह छोटी रानी के लड़के थे। ऐसा कहा जाता है कि फतेह सिंह को रीवा में अच्छा नहीं लगता था अतः वह अक्सर अमिलिया में ही अपने मित्र जगत राय के पास रहते थे। अमर सिंह के स्वर्गवास के समय जब अनूप सिंह को शासन की बागडोर सौंपी गयी। उस समय वह मात्र 16 वर्ष के नाबालिग राजा थे। इस समय रीवा राज्य की परिस्थिति डाँवांडोल थी। परिस्थिति का लाभ उठाकर 1640 ई. में ओरक्षा के बुंदेला राजा जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह ने एक विशाल सेना के साथ रीवा पर आक्रमण कर दिया। अनूप सिंह शासन का भार कुछ सरदारों पर छोड़कर बाँधवगढ़ आ गए। इस समय फतेह सिंह अमिलिया में जगत राय के यहाँ थे। जब उन्हें अनूप सिंह के बाँधवगढ़ भाग जाने का समाचार मिला तो वे तत्काल सेना का संगठन कर जगत राय के साथ रीवा के लिए रवाना हुए और रीवा आकर यहाँ के सैनिकों को भी साथ लेकर पहाड़ सिंह पर भीषण आक्रमण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पहाड़ सिंह को पराजित होकर रीवा से भागना पड़ा। फतेह सिंह ने इसके बाद बाँधवगढ़ से अनूप सिंह को लाकर पुनः रीवा की गद्दी पर बैठाया और स्वयं जगत राय को साथ लेकर चाचा इन्द्रजीत सिंह के पास चले गए जो कि पथरहट के इलाकेदार थे।

इन्द्रजीत सिंह से फतेह सिंह को निर्वाह के 42 गाँव मिले, जिनमें तीसा का परगना भी शामिल था। इसी बीच फतेह सिंह का विवाह उचेहरा के परिहार राजा पृथ्वी सिंह की पुत्री रमण कुमारी के साथ हुआ और पृथ्वी सिंह ने फतेह सिंह को सोहाबल समेत 12 गाँव दहेज में दिए, किन्तु ये गाँव कर देने वाले सन्यासियों के अधिकार में थे। इससे फतेह सिंह को सन्यासियों की सत समास कर देने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इसमें वे सफल भी हुये। इस संघर्ष में जगत राय ने फतेह सिंह को पूरा सहायण दिया था। तदुपरान्त दोनों लोगों ने आपसी सहयोग के द्वारा और भी समीपवर्ती इलाकों पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और सोहाबल को राजधानी बनाया अब सोहाबल राज्य में – (1) सोहाबल (2) दुर्जनपुर (3) बैसा (4) सिंहपुर (5) रौढ़ा (6) डेहुटा (7) झाली (8) रैगाँव (9) भाजीखेर (10) जसो (11) तीसा, इस प्रकार कुल 11 परगने सम्मिलित हो गए थे इसके अन्तर्गत 483 गाँव थे तथा कुल वार्षिक आमदनी लगभग 16,70,000 रुपये थी।

फतेहसिंह की इस महान सफलता में जगत राय का विशेष हाथ था। उन्होंने प्रत्येक युद्ध में फतेह सिंह की सहायता की थी। इससे फतेह सिंह ने 'तीसा' परगना जगतराय को निर्वाह के लिए दिया। इसी 'तीसा' परगने से 1852 ईसवी में कोठी राज्य की स्थापना हुई। जिसके वास्तविक संस्थापक जगत राय थे। इस परगने में 30 गाँव समाहित थे।

(ii) मनकहरी के बघेल – रघुराज सिंह के समय के तत्कालीन लेखक मौलवी रहमान अली ने अपनी पुस्तक 'तोहफा ए खान बहादुर' में लिखा है कि जगत राय के चार पुत्र हुये।

(1) अंगद राय (2) भारथ शाह (3) उदवंत सिंह (4) चतुर शाह
अंगदराय कोठी के शासक बनाए गए और दूसरे पुत्र भारथ शाह को मनकहरी गाँव भाई-बाँट में मिला। कई अन्य लेखों में भारथ शाह का नाम भारत शाह भी लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार मनकहरी के बघेलों का संस्थापक मैं भारथ शाह को मानता हूँ।

भारत शाह अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा थे। कोठी राज्य का विस्तार व उसका नाम रोशन करने में उन्होंने बड़ी सहायता की। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। इनके पुत्र हठी सिंह हुए, जिन्होंने कोठी के शासकों की ही सहायता नहीं की बल्कि बुन्देलखण्ड और रीवा राज्य के शासकों को भी युद्ध में सहायता पहुँचायी। ये लोग इनके युद्ध कौशल से काफी प्रभावित थे। हठी सिंह के दो पुत्र हुए – (1) खुमान सिंह (2) केसरी सिंह। खुमान सिंह ने अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लिया और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। बुन्देलखण्ड के महाराजे इनकी युद्ध निपुणता से अत्यंत प्रभावित थे। चूँकि इन्होंने बुन्देलखण्ड के राजाओं की कई युद्धों में सहायता की थी। अतः पन्ना तथा अजयगढ़ के राजाओं ने खुमान सिंह को

1796 ई. में जागीरें भी प्रदान की थी। 10 मनकहरी ग्राम में निवास के लिये इन्होंने एक सुदृढ़ गढ़ी का निर्माण भी कराया था जिसके भग्नावशेष आज भी देखने को मिलते हैं। 'स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी वीर रणमत सिंह' पुस्तक के लेखक श्री रत्नाकांत का मानना है कि यह गढ़ी 150 फीट लम्बी, 120 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊँची थी तथा दीवाल 3 फीट मोटी थी। चारों कोनों में चार बुरुजे बने थे, जिनमें बैठकर युद्ध करने की सुविधा थी तथा इसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें पानी भरा रहता था। इसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर था। यह निकास द्वार 7 फीट लम्बा, 10 फीट ऊँचा है तथा चौखट पत्थर की बनी है। दरवाजे के ऊपर तिनदुआरिया है, यह जमीन से 35 फीट ऊँची है। खुमान सिंह ने रीवा के अनेक युद्धों में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था।

हठी सिंह के दूसरे पुत्र केसरी सिंह रीवा के तत्कालीन शासक अजीत सिंह के यहाँ आ गए थे। इनको हटिया ग्राम (जिला-सतना) जागीर में मिला था इनके अधिकांश वंशज रीवा राज्य की सेवा में रहे।

केसरी सिंह बड़े प्रतापी योद्धा थे। इनकी पत्नी, अजयगढ़, नागौद तथा रीवा में हिस्सेदारी थी। हालांकि 'रीवा राज्य द्वापण' जो कि जीतन सिंह द्वारा लिखा गया है, में उल्लेख किया गया है कि इन लोगों के पास 5 लाख वार्षिक आमदनी वाली जागीर थी। किन्तु इनके वर्तमान वंशज श्री विक्रमजीत सिंह का मानना है कि संभवतः इतनी रकम की वसूली के ठेके खुमान सिंह और केसरी सिंह लिया करते थे न कि इतनी आय की जागीरें इनके पास थी। खुमान सिंह ने अपनी एक मात्र पुत्री का विवाह नागौद नरेश के साथ कर दिया था और इस विवाह के उपरान्त ही इन्होंने नागौद की जागीर का परित्याग कर दिया था, क्योंकि हिन्दुस्तानी परम्परा के अनुसार लड़की ब्याह देने के उपरान्त नागौद राज्य का पानी भी वे ग्रहण नहीं कर सकते थे।

इसी वीर सेनानी केसरी सिंह के सात पुत्र हुये जो क्रमानुसार (1) बलभद्र सिंह (2) शिवराज सिंह (3) कमोद सिंह (4) कंधर सिंह (5) महीपत सिंह (6) सावन्त सिंह (7) भूप सिंह थे।

यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूँ कि कई अन्य लेखकों ने महीपत सिंह को खुमान सिंह का पुत्र बतलाया है। किन्तु रहमान अली द्वारा लिखित 'तोहफा-ए-खान बहादुर' नामक पुस्तक जो कि शासकों के वंश पर पूर्ण विवरण लिपिबद्ध करने के लिये लिखी गयी थी, में स्पष्ट लिखा है कि महीपत सिंह, केसरी सिंह के पाँचवें नम्बर के पुत्र थे।

सन् 1802 ईसवी में बघेलों और गहरवारों के मध्य सितलहा की लड़ाई में केसरी सिंह के बड़े पुत्र बलभद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गये थे। रीवा राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रख्यात नैकहाई के युद्ध में शिवराज सिंह ने 1796 ई. में बड़ी वीरता का परिचय दिया व शहीद हो गए। इस उपलक्ष्य में रीवा के महाराजा अजीत सिंह ने धौचट ग्राम उन्हें मुड़वार में दिया था। कमोद सिंह ने भी नैकहाई के युद्ध में अपूर्व शौर्य व बल का प्रदर्शन किया था। जिसके उपलक्ष्य में कमोद सिंह को धौधर, रीवा में रहने के लिए एक भवन दिया गया जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। कंधर सिंह (कुंवर सिंह) तथा सावंत सिंह को कठवरिया ग्राम रीवा की ओर से पवाई में मिला था। भूप सिंह ने भी नैकहाई के युद्ध में भाग लिया। सावंत सिंह के पुत्र प्रतिपाल सिंह हुए तथा प्रतिपाल सिंह के पुत्र अजीत सिंह पैदा हुए। इन्हीं अजीत सिंह ने अपने चाचा रणमत सिंह को 1857 के विद्रोह में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया था तथा स्वयं भिल्लासाय की लड़ाई में शहीद हुए।

(iii) रणमत सिंह का वंश वृक्ष - वीर सेनानी केसरी सिंह के पांचवे नम्बर के पुत्र महीपत सिंह थे। ये भी अत्यंत ही साहसी योद्धा थे। इनके दो पुत्र हुए

(i) रणमत सिंह (ii) जबर सिंह।

महिपति सिंह काफी स्वाभिमानी प्रकृति के योद्धा थे। इन्होंने अपने बड़े भाई कमोद सिंह से अलहदा होकर रीवा के पुश्तैनी मकान से एक फर्लांग दूर पूर्व में घोघर में ही एक नये घर का निर्माण किया। 160-70 वर्ष पुराने इस प्राचीन मकान में ठा. रणमत सिंह के वंशज लाल विक्रमजीत सिंह आज भी यहीं रहते हैं। महिपति सिंह रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह की सेवा में कर्मचारी थे। सेवाकाल के ही दौरान 1836 ई. में महाराज से महिपति सिंह का मनोमालिन्य हो गया। मनोमालिन्य का कारण था राज्य के अधिकारियों द्वारा यह आपत्ति की जाना कि, राज्य की सेवा के लिए उनका निजी घोड़ा अनुपयुक्त है। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि महिपति सिंह महाराज से रूष्ट होकर प्रतिज्ञा कर बैठे कि मैं इस राज्य में पानी तक नहीं पिऊँगा। अतएव अपने परिवार को साथ लेकर, नौकर-चाकरो और माल असबाब के साथ वे रीवा राज्य से बाहर निकल गए। संभवतः राज्य के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित सिमरिया होते हुए पन्ना राज्य में चले जाने का उनका इरादा था। सिमरिया लाल जगमोहन सिंह का इलाका था जो रीवा महाराजा के निकटतम भाई बन्धु थे। किन्तु लाल जगमोहन सिंह से रीवा महाराज का पुराना वैमनस्य चला आ रहा था। यहाँ तक कि बाँदा के नवाब अली बहादुर को रीवा पर चढ़ाई करने और यशवंत राव नायक के सेनापतित्व में फौज को नैकहाई तक आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने में लाल जगमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। यशवंत राव नायक ने उन्हें अपना दामाद बनाने और अपनी पुत्री को उनसे ब्याह देने का निश्चय कर लिया था। चूंकि महिपति सिंह महाराजा रीवा से नाराज होकर जा रहे थे इसलिए रीवा महाराजा को नीचा दिखाने के लिए भी जगमोहन सिंह ने महिपति सिंह को अपने यहाँ रोक लिया और 'बियारी' करने का आग्रह किया। महिपति सिंह ने यह शर्त रखी कि मैं खाना तभी खाऊँगा जब कि मेरी आजीविका के लिये कोई मुस्तकिल (स्थाई) साधन दिया जाय। अस्तु लाल जगमोहन सिंह ने उन्हें वृत्ति के तौर पर एक गाँव कुम्हरा (जिला रीवा) देना स्वीकार किया। इस गाँव में इनके उत्तराधिकारी आज भी रहते हैं व खेती कर रहे हैं। जगमोहन सिंह द्वारा प्रदत्त वृत्त कुम्हरा के पाट की प्रतिलिपी श्री विक्रमजीत सिंह बघेल, जोकि कुम्हरा में ही रहते हैं, के पास देखी जा सकती है। कोठी की पैत्रिक पवाई राज्य से हिस्सा बाँट में इन्हें मनकहरी गाँव भी मिला हुआ था जहाँ पर कि इनका स्वामित्व बरकरार था। मनकहरी की सम्पत्ति का उपभोग गदर के समय तक तथा सम्भवतः उसके बाद के कुछ वर्षों तक रणमत सिंह और जबर सिंह करते रहे। किन्तु जब कोठी राज्य में आना जाना छूट गया तो मनकहरी गाँव राज सात कर लिया गया। जबर सिंह के दो पुत्र हुये (1) रणजीत सिंह (2) शत्रुदमन सिंह।


रणजीत सिंह के पुत्र हुए उदय सिंह तथा इन्हीं उदय सिंह के पुत्र हैं, लाल विक्रमजीत सिंह जो कि आजकल घोघर नदी के किनारें स्थित रणमत सिंह के पुराने मकान में निवास कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय इसी मकान में लाल रणमत सिंह की माता यहाँ रहने के लिए आयी थीं तथा शहीद होने से पूर्व ठाकुर रणमत सिंह ने इसी मकान में अपनी माता से अंतिम भेंट की थी। विक्रमजीत सिंह जी के पास से मुझे उनके वंश के सम्बन्ध में प्रमाणिक जानकारी तथा आसवर्न द्वारा उनकी माँ को रीवा प्रवास की अनुमति आदि के ठोस प्रमाण मिले हैं। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट में संलग्न है।

रणमत सिंह का वंशवृक्ष निम्नानुसार है - (देखे आगे पृष्ठ पर)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. विक्रम सिंह बघेल - रीवा के बघेल राज्य का पर राष्ट्र सम्बन्ध

- (1360-1859), शोधप्रबन्ध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 2. शहडोल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।
रीवा, 1992, 3. रीवा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।



साहित्य में पुनर्जागरण एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना – भारत के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी पुनर्जागरण के कारण अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहां विश्व के विविध देशों में मध्यकाल अंधकार का युग था जिसमें मानव अनेक रूढ़ियों में फंसा हुआ था तथा वह सत्यासत्य का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर शास्त्रीय प्रमाणवाद पर निर्भर था, वहीं भारत में पुनर्जागरण ने देश के विविध क्षेत्रों में नवजागरण का बिगुल फूंक दिया था। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश युग में हिन्दी आदि विविध भाषाओं में नवीन साहित्य का निर्माण प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रवेश मुस्लिम काल में ही हो चुका था। लकड़ी की तख्तियों पर अक्षरों को उत्कीर्ण कर उनके ठप्पे से कागज की छपाई भी ब्रिटिश युग से पूर्व भारत में प्रारंभ हो चुकी थी। 18 वीं शती में छापखाने (प्रिंटिंग प्रेस) का भी भारत में प्रवेश हुआ तथा बड़ी संख्या में पुस्तकें मशीनों द्वारा छपकर बाजार में होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में नवचेतना का विस्तार हुआ। नवीन विचारों के प्रचार में कागज पर छपी पुस्तकें सहायक सिद्ध हुई तथा सर्वसाधारण के बौद्धिक विकास में सहयोगी बनने लगी। अब नये ढंग का साहित्य रचा जाने लगा जो तत्कालीन भारतीय जन के अन्तर्द्वन्द, अपेक्षाओं, स्वप्नों एवं उनके भीतर दबी कुंठाओं को विदीर्ण कर उनमें पुनर्जागरण से उत्पन्न राष्ट्रीयता के भाव का संचरण कर रहा था। इससे आम जनता को भी नवीन विचारों का परिचय प्राप्त करने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हिन्दी में गद्य साहित्य का लेखन प्रारंभ हो गया था। अब बस आवश्यकता थी तो लेखन की उपयोगी एवं प्रासंगिक विद्या के चयन की एवं निर्भीक तथा प्रखर लेखन की योग्यता से परिपूर्ण उत्साही साहित्यकारों की।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी लेखकों में पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, पण्डित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और श्री बट्टीनारायण चौधरी जैसे श्रेष्ठ रचनाकार साहित्य साधना में रत थे। इनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का स्थान सर्वोच्च माना गया है। वे उत्कृष्ट कवि, सफल नाटककार एवं मजे हुए गद्य लेखक थे। उनके अनूदित एवं मौलिक नाटकों की शृंखला ने आम जन को पुनर्जागरण की प्रक्रिया से जोड़ने का जो अभूतपूर्व कार्य किया, वह अविस्मरणीय है। उनके द्वारा नाटक लेखन की विद्या को लोकप्रिय बनाकर एक ओर भरतमुनि की नाट्य परंपरा को विस्तार दिया गया तो दूसरी ओर लेखन, पाठन एवं अभिनय के तीन विकल्प उन्होंने जगजागरण हेतु प्रस्तुत कर दिए। साहित्य में पुनर्जागरण लाने वाले वे अनुपम व्यक्ति थे। उनमें उत्कृष्ट देश भक्ति की भावना थी वे भारत की दुर्दशा को अनुभव करते थे। उनके नाटकों ने नवयुग की विचार सारणी की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया एवं पाठकों में नवस्फूर्ति के संचार हेतु उन्होंने नाटक

लेखन को आधार बनाया।

नाटक साहित्य की वह विधा है जिसमें लोक जीवन की अविकल्प झाँकी प्रस्तुत की जाती है। जीवन का अंतरंग या बहिरंग कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसे नाटक में प्रदर्शित न किया जा सके। इसमें बुद्धि और भावना को संजोग, विविध अनुभूतियों का समन्वय, शैली में रोचकता व सजीवता रहने से प्राचीन काल से ही यह विधा लोक जीवन के अत्यंत निकट रही है। यही वह विधा है जिसका सामूहिक रूप से दृश्य रूप में आनंद लिया जा सकता है। हमारी संस्कृति, मूल्य बोध, ज्ञान, शिक्षा, विरासत सभी को नाटक संरक्षित रखने के साथ सर्वार्थित करने की क्षमता भी रखते हैं। नाटक की उत्पत्ति के सम्बंध में विभिन्न मत हैं। भारतीय पौराणिकता के अन्दर नाटक की उत्पत्ति त्रेतायुग में बताई गयी है। देवताओं ने मनोरंजन के लिए ब्रह्मा से अभ्यर्चना की और ब्रह्मा ने नाट्य वेद की सृष्टि की। इसके लिए सृष्टि कर्ता ब्रह्मा ने चारों वेदों से कुछ ग्रहण किया। उन्होंने ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस की प्राप्ति के अनन्तर नाट्यवेद का निर्माण किया। नाटक भरत मुनि द्वारा पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए लाया गया। अस्तु, नाट्यकला बीज रूप में वैदिक काल में विद्यमान थी। किन्तु मध्यकाल में इसका विकास अवरूद्ध हो गया। इसके विकास की दिशा में 19 वीं सदी में भारतेन्दु के प्रयास अविस्मरणीय हैं। प्रथम तो उन्होंने नाटक के लिए आर्थिक सहायता दी और द्वितीय रूप में जनता का सहयोग पाने हेतु उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने दोस्तों, सहयोगियों को भी नाटक लिखने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया। उन्हीं के अथक प्रयासों से हिन्दी नाट्य साहित्य का ध्वज आज भी फहरा रहा है।

हिन्दी में नाटक साहित्य के वास्तविक आरंभकर्ता भारतेन्दु ही थे जिन्होंने आधुनिक नाटकों के लिए आधार मंच तैयार किया। उन्होंने तथा उनके युग के नाटककारों ने नाटक की परंपरा को सुनिश्चित रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया। वे हिन्दी के प्रथम मौलिक नाटककार कहे जाते हैं। उनके अनूदित नाटकों में विद्या सुन्दर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारतजननी, मुद्रा राक्षस, तुर्लभ बन्धु आदि हैं। उनके सात मौलिक नाटक को में वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चन्द्रावली, विषयविषमौषधम्, भारत दुर्दशा, नील देवी तथा अंधेर नगरी आदि सम्मिलित हैं। प्रेम जोगिनी तथा सती प्रताप उनके अपूर्ण नाटक हैं। वे राष्ट्रीय चेतना के नाटककार थे। उनके नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना, स्वदेशाभिमान, धार्मिक रूढ़ियों पर व्यंग, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, ऐतिहासिक व पौराणिक कथानकों का प्रयोग स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। उनके नाटकों का यह भाव ही उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। समाज में व्याप्त चाटुकारिता, छलकपट, अन्तर्द्वन्द, अंधविश्वास का निश्चल

* प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

विवरण तथा समाज की मूल प्रकृति का प्रस्तुतीकरण विशेष रूप से दर्शनीय है। भारतेन्दु आदर्शवाद के पोषक थे। उनके युग के सभी नाटकों का उद्देश्य शिक्षा देना होता था। नाटक आरंभ से ही सामाजिकता का पोषक है और इसका प्रचलन समाज के निमित्त ही हुआ है। भारतेन्दु युग में बाल विवाह, विवाहित जीवन संबंधी समस्याओं, अंधविश्वासों व कुरीतियों आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया। आज के नाटककार भी इस सामाजिकता का निर्वाह कर रहे हैं। उनके नाटक राष्ट्रीयता के जन्म की कहानी को प्रस्तुत करते हैं तथा उनके रंगमंच द्वारा समाज में राष्ट्रीयता के विस्तार का प्रयास भी उस युग की विशेषता है। नाटकों में मनोवैज्ञानिकता का उभार भी उन्हीं के देन है, जो आज के नाटकों में भी दर्शनीय है।

साहित्य में पुनर्जागरण की व्याख्या करते समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के प्रमुख नाटकों पर विचार मंथन भी प्रासंगिक है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी जागरण के अग्रदूत एवं आधुनिक हिन्दी के प्रवर्तक माने जाते हैं। यद्यपि भाषा और साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं में उनकी इस प्रवर्तक भूमिका के दर्शन हो जाते हैं तथापि उनकी नाट्य विधा सर्वोपरि है इसमें सामाजिकता का सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य अपने सारे अन्तर्विरोधों के साथ सर्वाधिक गतिमान रूप में उद्घाटित होता है। इस नाट्य विधा ने सर्जनात्मक लेखन के साथ-साथ उसका रंगमंचीय प्रस्तुति विधान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सन् 1875 में लिखित उनका नाटक भारत दुर्दशा नाट्य विधा का अनुपम उदाहरण है। इसमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति को चित्रित किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर उसका अंत करने के प्रयास का आह्वान करते हैं। इसी प्रकार अंधेर नगरी की रचना द्वारा विवेकहीन एवं निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है तथा उसे अपने ही कर्मों द्वारा स्वतः ही नष्ट होते हुए दिखाया है।

अंग्रेजी शासन काल में अभिव्यक्ति पर अंकुश रहते हुए भी भारतेन्दु ने अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर अपनी विशिष्ट शैली में नाटक को सिंचित किया जो कालांतर में परिपुष्ट होता गया तथा यह सामाजिक जीवन का परिष्कार भी करता गया। देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप संस्कृत और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का समन्वय विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को केवल बाह्य रूप तक ही सीमित रखा। आगे चलकर जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी आदि नाटककारों ने जो पद्धति अपनाई उसका बीजारोपण भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही किया था। उन्होंने नाटक ही नहीं एकांकी का स्वरूप भी रखा था। बाद में प्रसाद तथा डॉ. रामकुमार वर्मा ने इसे सजाने, संवारने का अकथनीय प्रयास किया है। प्रहसनों का प्रचलन भी भारतेन्दु युग की ही विशेष देन है जिनके द्वारा राजनैतिक बुराईयों पर प्रहार किया गया। उन्होंने हिन्दी नाटकों को अभिनय योग्य बनाया जो आज हमें सफल रंगमंच के रूप में दिखाई देते हैं।

भारतेन्दु के नाटकों का तत्कालीन स्थिति पर गहन असर पड़ा था। हाताश, लाचार, पराधीन तथा पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे भारतीयों पर से उस रंग को हटाने का कार्य उन्होंने किया। व्यंग भरी वाणी से वे ठण्डे दिलों में जोश भरने का कार्य करते रहे तथा सत्य व आदर्श को स्थापित करते रहे। गृह कलह, साम्प्रदायिकता, पारस्परिक फूट से निरंतर दुर्बल होते हुए राष्ट्र में स्फूर्ति का संचार करने का बीड़ा भारतेन्दु ने ही नाट्यकला के माध्यम से उठाया तथा जनता को युग धर्म की शिक्षा देकर दीक्षित किया। भारतेन्दु से प्रभावित अनेक आधुनिक नाटककार आज भी परिस्थितियों के अनुरूप इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस नाटक एवं रंगमंच की परंपरा को भारत में प्रतिस्थापित किया, वह समय के

साथ-साथ विकसित होती चली गयी। सन् 1953 में केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, सन् 1956 तक विविध राज्यों में प्रादेशिक नाटक अकादमी की स्थापना, तत्पश्चात सन् 1958-59 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना इसी दिशा में उठाये गये अग्रगामी कदम हैं। नाट्य लेखन के स्तर पर उनसे प्रभावित मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, धर्मवीर भारती आदि ने अपने प्रदेश के बाहर भी प्रभाव छोड़ते हुए राष्ट्र स्तरीय प्रतिष्ठा अर्जित की। भारतीय नाट्य विद्यालय, इब्राहीम अलकाजी का लिविंग थियेटर, दिशांतर नाट्य संस्था की प्रभावी प्रस्तुतियों ने रंगमंच परंपरा को समृद्ध बनाया। उक्त नाटककारों ने अपने लेखन में भारतेन्दु की विचारधारा को आत्मसात किया है तथा आज के सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों को अपनी विषय वस्तु में स्थान दिया है। उनके विचारों का रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण उन्हें आमजन तक पहुंचा रहा है। शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश चन्द्र माथुर, भीष्म साहनी, शरद जोशी, नंदकिशोर आचार्य, सुरेन्द्र वर्मा, कुसुम कुमार, नाग बोइस, प्रभाकर श्रोत्रिय, कमल वशिष्ठ, कृष्ण मुरारी शर्मा, दूधनाथ सिंह, प्रणाल पांडे, दया प्रकाश सिन्हा आदि इस क्षेत्र के हिन्दी रंगमंच के जाने-माने नाम हैं इनके अतिरिक्त और भी अनेक रंगकर्मी इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी रंगमंच मंच मुक्त प्रस्तुतियों की ओर विस्तार कर रहा है। हिन्दी में प्रतिबद्ध एवं राजनीतिज्ञ रंगमंच के प्रसार ने मंच मुक्त अथवा नुक्कड़ नाटकों गति प्रदान की है। इस क्षेत्र में बड़े रचनात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। नाट्य लेखन से लेकर मंच तक बहुविध प्रयोग हो रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं सामाजिक स्तर पर भी नाटकों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय लोकप्रियता अर्जित की है। बाल रंगमंच का विस्तार भी रचनात्मक दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारतेन्दु ने जिस नाटक परंपरा को प्रारंभ किया था, उसका निरंतर विकसित होता हुआ रूप देखना अत्यंत सुखद है। आज के नाटककार भी उन्हीं की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, यही आज भी भारतेन्दु की प्रासंगिकता है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को उनके छोटे से जीवनकाल (9 सितम्बर 1850 से 06 जनवरी 1885) में महान सफलताएं एवं सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें आधुनिक हिन्दी साहित्य एवं हिन्दी रंगमंच के जनक के विभूषण से विभूषित किया गया। हिन्दी गद्य लेखन में एक कवि, नाटककार, अनुवादक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने उन्नीसवीं शती में पुनर्जागरण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने अनेक नाटक, जीवनवृत्त, यात्रा विवरण, कविताओं की रचना की। उन्होंने साहित्य में पुनर्जागरण लाने हेतु तथा जनभावनाओं को आकार देने हेतु मीडिया के आधुनिक रूप जैसे रिपोर्टिंग, प्रकाशन, सम्पादक को पत्र, अनुवाद एवं साहित्यिक लेखन जैसे सभी का प्रयोग किया। उनके नाटकों ने जन-जन तक पैठ बनायी। उन्होंने जल्द ही नाटक लेखन, डायरेक्टर एवं मैनेजर की भूमिका को अपनाकर रंगमंच को जनभाव की अभिव्यक्ति का अस्त्र बना लिया। वे आम लोगों की भाषा हिन्दी में लेखन एवं हिन्दी के विस्तार के समर्थक थे। इसकी पुष्टि उनके द्वारा रचित कविता मातृभाषा के प्रति के निम्न दोहों से हो जाती है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।

सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।

उनकी यही हिन्दी भाषा का लेखन पुनर्जागरण का आधार बना, उनके

इस योगदान ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के लेखन और उसमें भी विशेषकर उनके नाटकों ने साहित्य में पुनर्जागरण को स्थापित कर दिया। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि विदेशी अंग्रेजी शासन होते हुए भी जनता की निराशा को तोड़कर उसमें नवस्फूर्ति का संचार करने का काम उनके नाटक बखूबी करते रहे। उनके नाटकों में न तो निराशा की भावना है और न ही पाठकों को मोहनिद्रा या स्वप्नलोक में विचरण करने के लिए भेज देने की अभिव्यक्ति। उन्हें पढ़कर तो देश की दुर्दशा की अनुभूति होती है तथा साथ ही अपने उत्कर्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा की उत्पत्ति भी होती है। विदेशी शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में उनके लेखन एवं नाटकों ने महती भूमिका का निर्वहन किया तथा समस्याओं के निवारण के विकल्प खोजने हेतु चिंतन की एक नवीन राह प्रस्तुत की। यही कारण है कि उनके नाटक आज भी प्रासंगिक हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र प्रेरित साहित्यकारों की अजस्र धारा भारत

के उज्वल भविष्य का ज्वलंत प्रमाण है। यही सच्चे अर्थों में साहित्यिक जगत में पुनर्जागरण की स्थापना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा कृष्णमुरारी (सम्पादन) - भारतीय नाट्य रंगा।
2. डॉ. नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास।
3. सिंह सत्येन्द्र कुमार - भारतेन्दु के प्रमुख नाटक।
4. बिष्ट, लक्ष्मण सिंह - हिन्दी साहित्य।
5. सौरभ प्रदीप - सर्वेश्वर का रचना संसार।
6. शर्मा एस. के. - आधुनिक हिन्दी नाटक।
7. डिमिट्रोवा डायना - वेस्टर्न ट्रेडीशन एण्ड नेचुरलिस्टिक हिन्दी थियेटर।
8. डालमिया वसुधा - दि पॉयरिक, प्लेज एण्ड परफॉर्मेंसेज - दि हिन्दी पॉलिटिक्स ऑफ माडर्न इण्डियन थियेटर वर्ष 2006।
9. सैन्डिया बी. - दि बर्थ ऑफ हिन्दी ड्रामा इन बनारस।

भारत छोड़ो आंदोलन में सतपुड़ांचल का अवदान

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – क्रिप्स मिशन की असफलता एवं जापान की लगातार सफलताओं ने गांधीजी को एक निर्णायक आंदोलन करने पर विवश कर दिया अतएव उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की तथा जनता को करो या मरो का मूल मंत्र दिया। इस आंदोलन के आरंभ होते ही गांधीजी समेत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। भारत की जनता शासकीय दमनात्मक कार्यवाही के समाचार सुनकर उत्तेजित हो गई और एक देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि वास्तव में स्वतः स्फूर्त था। यह भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किया गया वृहत् प्रयास था, इस आंदोलन में भारत के वर्ग छात्र, श्रमिक, कृषक, महिला, ग्रामीण वर्ग इत्यादि सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। प्रस्तुत शोधपत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में सतपुड़ांचल के अवदान को बतलाने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – व्यक्तिगत सत्याग्रह।

प्रस्तावना – फरवरी 1942 तक द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यंत विचारणीय हो गई थी। अतएव मार्च 1942 को चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना सहित स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा किंतु क्रिप्स अपने साथ जिस घोषणा पत्र का मसविदा लाये थे वह अत्यंत निराशाजनक था। इसमें भारत को पूर्ण स्वराज्य के स्थान पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रावधान था और उसकी कोई तिथि भी निश्चित नहीं की गई थी। दूसरी ओर द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण परिस्थितियाँ अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, वर्मा इत्यादि को अधिकृत कर भारत की ओर बढ़ने लगा। इस परिस्थिति में गांधीजी के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब वे एक संगठित जन आंदोलन का विचार करने लगे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया। भारत छोड़ो आंदोलन पर विचार-विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 14 जुलाई 1942 वर्धा में आयोजित की गई। यहाँ गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यसमिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वर्धा की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित भारत छोड़ो प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। मौलाना आजाद के अध्यक्षीय उद्घाटन भाषण के बाद पं. नेहरू ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन सरदार पटेल द्वारा किया गया। अगले दिन 8 अगस्त को कुछ संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया।

9 अगस्त 1942 को प्रातः काल ही गांधीजी, मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्य समिति के सभी महत्वपूर्ण सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया।¹ भारत की जनता शासकीय दमनात्मक कार्यवाही के समाचार सुनकर उत्तेजित हो गई और एक देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो

गया जो कि वास्तव में स्वतः स्फूर्त था।² मध्यप्रांत ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 9 अगस्त को ही प्रांत के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं भवानी प्रसाद तिवारी, कुंजीलाल दुबे, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरसिंह दास अग्रवाल तथा नर्मदा प्रसाद मिश्र इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया।³ जबकि प्रांत के श्रीराम शर्मा, रामानंद मिश्रा, जगन प्रसाद राउत, ठाकुर निरंजन प्रसाद, सहस्रबुद्धे तथा सत्येन्द्र प्रसाद मिश्र इत्यादि ने भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन किया। प्रांत में पुलिस की दमनात्मक नीति एवं अत्याचारों से जनता खुले विद्रोह पर उतर गई तथा आंदोलन ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। यह आंदोलन शीघ्र ही प्रांत के सभी प्रमुख जिलों, तहसीलों, नगरों एवं ग्रामों में फैल गया। टीकमगढ़, सागर, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, मण्डला, सिवनी इत्यादि स्थानों में यह विलक्षण आंदोलन एक साथ ही प्रादुर्भाव हुआ तथा परस्पर सम्मत योजना न होने पर भी उसने एक सा स्वरूप धारण कर लिया।⁴

नागपुर एवं जबलपुर से निकटता के कारण कोई भी प्रांतव्यापी राजनैतिक हलचल शीघ्र ही बालाघाट जिले तक पहुँच जाती थी। अवएव इस जिले पर भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव परिलक्षित हुआ। 10 अगस्त की शाम को बालाघाट नगर के गांधी चौक में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। अनेक कार्यकर्ताओं को इसी सभा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।⁵ भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक उग्र रूप जिले की वारासिवनी तहसील में दृष्टिगत हुआ। वारासिवनी में 20 अगस्त 1942 को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया जिसे स्थानीय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तथा भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास में लाठीचार्ज किया। इसके उत्तार में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके गए। अवएव पुलिस ने भीड़ पर गोलीचालन कर दिया जिसमें एक व्यक्ति दशराम फुलमारी शहीद हो गया।⁶ आंदोलन के दौरान वारासिवनी में धारा 144 का प्रयोग किया गया। अनेक स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई। आंदोलन में वारासिवनी के छात्र वर्ग एवं नवयवक वर्ग ने सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। यहाँ के नौजवान राष्ट्रीय

* अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

कांग्रेस स्वयंसेवक संघ तथा वानर सेना के माध्यम से संगठित हुए थे। इन छात्रों की गतिविधियों को ठाकुर सीताराम सिंह, धरमचंद सोलंकी, मुदलियार, कस्तूरचंद वर्मा तथा शांतिलाल जैन इत्यादि के द्वारा संचालित किया गया। सन 1942 में बालाघाट वार फंड कमेटी के एक माननीय वकील जब युद्धकोष एकत्रित करने के संबंध में वारासिवनी क्षेत्र के दौरे पर थे तब इन छात्रों ने वारासिवनी रेलवे प्लेटफार्म पर उन्हें जूतों की माला पहनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था।⁷

जबलपुर-नागपुर राजमार्ग के मध्य स्थित सिवनी जिले का भारत छोड़ो आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान रहा। गांधीजी द्वारा आंदोलन का शुभारंभ करते ही ब्रिटिश शासन ने सिवनी से पं. दुर्गाशंकर मेहता एवं प्रभाकर राव जठार को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में नगर में 10 अगस्त 1942 को व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया तथा एक विशाल जुलूस निकाला गया इस जुलूस का नेतृत्व कुंजबिहारी लाल खरे, पद्माकर राव जठार, पं. नारायण प्रसाद मिश्र, रविन्द्रनाथ भार्गव इत्यादि नेताओं ने किया।⁸ आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जिले में एक गुप्त समिति का गठन किया गया जिसके प्रमुख सदस्य कुंजबिहारी लाल खरे, पं. नारायण प्रसाद मिश्र, पद्माकर राव जठार, रविन्द्रनाथ भार्गव एवं अम्बिका प्रसाद वैद्य थे। आंदोलन में जिले के युवाओं विशेषकर छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया। अनंतराम दुबे के नेतृत्व में 'स्टुडेंट फेडरेशन' ने 19 अगस्त 1942 को सिवनी नगर के मिशन स्कूल के सामने से विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में अनंतराम दुबे को सहयोग करने वाले छात्रों में ओमप्रकाश वर्मा एवं रमेशचंद्र यादव उल्लेखनीय हैं। आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक नेताओं को विभिन्न अवधियों के लिए जेल में डाल दिया गया था। इनमें दुर्गाशंकर मेहता, किसनलाल चौरसिया, प्रभाकर राव जठार, अम्बिका प्रसाद वैद्य, अभयकुमार जैन, कुंजबिहारी खरे, ओंकार प्रसाद कठल, छोटूराम अग्रवाल, रविन्द्रनाथ भार्गव, शंकरलाल ईसरिका, उमाशंकर दुबे, नन्हेलाल अग्रवाल, नर्मदाप्रसाद अग्रवाल, नारायणदास गुप्त, विरंधीचंद गोयल इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार 1942 के निष्ठापूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में सिवनी जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा।⁹

भारत छोड़ो आंदोलन में छिंदवाड़ा जिले का विस्मरणीय योगदान रहा। 9 अगस्त 1942 को प्रातः से ही यहाँ तनाव का वातावरण निर्मित हो गया जब पुलिस ने छोटीबाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय को सील कर दिया। इसके बाद नगर में हड़तालें, जुलूस एवं सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। पुलिस द्वारा चौखेलाल मान्धाता, कृष्णास्वामी नायडू सहित सैकड़ों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर दंडित किया गया। जिले के सौंसर, लोधीखेड़ा, अमरवाड़ा तथा चौरई स्थानों पर 16 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले एवं शासन विरोधी नारे लगाये। इन सभी स्थानों पर सशस्त्र सेना तैनात की गई। 17 अगस्त को छात्र नेता दत्तात्रय बागड़वे के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के छात्रों के जुलूस ने सरकारी संपत्ति नष्ट करने का प्रयास किया, प्रतिक्रियास्वरूप पुलिस द्वारा जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया और दत्तात्रय को गिरफ्तार कर लिया गया।¹⁰ इस आंदोलन के दौरान कुछ आंदोलनकारियों ने आवागमन एवं संचार व्यवस्था को क्षति पहुँचाने का प्रयास भी किया। नागपुर-छिंदवाड़ा छोटीलाईन पर स्थित पाँच रेलवे स्टेशनों को आंदोलनकारियों द्वारा जला दिया गया, जिससे इस रेलमार्ग पर कई दिनों तक आवागमन अवरुद्ध हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने का

समाचार रेडियों पर सुनते ही बैतूल जिले के आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त 1942 की संध्या को प्रभातपट्टन में बिहारीलाल पटेल के निवास पर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में समस्त सदस्यों ने निर्णय लिया कि वे अंतिम सांस तक अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे। इसी दिन जिले में 'फिरंगियों वापस जाओ', 'इंकलाब जिंदाबाद' जैसे नारे लगाते हुए जुलूस निकाले गए। फलस्वरूप रात्रि में जिले के प्रमुख नेताओं बिहारीलाल पटेल, बालकृष्ण पटेल, दीपचंद गोठी, जेठमल तातेड़ इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर उसके कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। इन घटनाओं से जिले का जनमानस विक्षुब्ध हो गया और आक्रोश से भर गया।¹¹ स्थान-स्थान पर शासकीय अभिलेख तथा संपत्ति जलाई जाने लगी तथा विभिन्न स्थानों जैसे प्रभातपट्टन, चिचोली, जेवरखेड़, देवगाँव, आमला, नहिया में विशाल जुलूस निकाले गए। आंदोलन के दौरान घोड़ाडोंगरी का इमारती लकड़ी डिपो जला दिया गया। पुलिस ने यहाँ एकत्रित जनसमूह को गोलीचालन के माध्यम से नियंत्रित किया जिसमें एक व्यक्ति वीरसा गोंड शहीद हो गया जबकि 6 व्यक्ति घायल हो गए।¹² इसके पश्चात् 100 से अधिक आदिवासी उनके नेता विष्णुसिंह गोंड एवं उनकी पत्नी सुमित्राबाई सहित गिरफ्तार कर लिए गये।¹³ घोड़ाडोंगरी गोलीकाण्ड के पश्चात् वहाँ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस का आतंक इतना फैल गया था कि आदिवासी ग्रामों को छोड़कर निकट के वनों में छिप गए थे।

1942 के जनआंदोलन में देश के अन्य भागों की भांति निमाड़ जिले में भी अभूतपूर्व उत्साह से सम्पन्न हुआ। आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व ही हरसूद में एक जिला राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जनता को आगामी संघर्ष के प्रति सतर्क कर दिया गया था। आंदोलन के दौरान बुरहानपुर का नगरपालिक विद्यालय बंद कर दिया गया। छात्रों द्वारा इस नगर के 'राबर्टसन हाईस्कूल' के भवन पर 15 अगस्त को तिरंगा झण्डा फहराया गया जिले पुलिस ने हटा दिया। छात्रों द्वारा कई दिनों तक जुलूस निकाला गया और तब तक हड़ताल की गई, जब तक पुनः तिरंगा फहराने और शाला भवन की दीवारों पर राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर लिया गया।¹⁴ पश्चिमी निमाड़ के मण्डलेश्वर, बड़वाह, सनावद, खरगोन इत्यादि नगरों की भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले के नारायणदास भावसार, बी.एस. खोड़े, मन्नालाल पंचोलिया, मायाचंद जटाले, फकीरचंद, मांगीलाल पाटनी, कोमलचंद जैन, सुमेरसिंह, जगदीश विद्यार्थी, गुलाबचंद, ब्रजमोहन, भगवानदास, जड़ावदचंद जैन इत्यादि अनेक लोगों ने इस आंदोलन में अपूर्व उत्साह के साथ भाग लिया। जिले के सनावद नगर में 1942 के जनआंदोलन में ऐसा उग्ररूप धारण कर लिया था कि उसका दमन करने के लिए ब्रिटिश शासन को लाठीचार्ज और धारा 144 का प्रयोग करना पड़ा था।¹⁵ इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों में सबसे अधिक भीषण सिद्ध हुआ जिसने भारतीय जनमानस में ऐसी जागृति उत्पन्न की जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में और अधिक समय तक रहना असंभव हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चंद्र, विपिन - भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृ. 368
2. गुरु रामेश्वर प्रसाद तथा शुवल शंकरलाल - स्वतंत्रता संग्राम और जबलपुर नगर (1857 से 15 अगस्त 1947 तक), पृ. 69-70
3. मिश्र, डी.पी. - द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन एम.पी. पृ. 475
4. गुरु एसडी. - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 190

5. सहाय, गोविंद - सन 42 का विद्रोह, पृ. 283
6. मध्यप्रदेश संदेश 15 अगस्त 1987 पृ. 166
7. तिवारी, बृजबिहारी - बालाघाट जिले के 50 वर्ष, द्वितीय सोपान, पृ. 24
8. पाठक, जे.पी. - सिवनी कल आज और कल, पृ. 14
9. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश - मध्यप्रान्त एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 251
10. ओकटे, मारुतिराव - छिंदवाड़ा क्षितिज, पृ. 250
11. सहाय, गोविंद - वही, पृ. 281
12. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खण्ड पाँच, पृ. 138
13. मिश्रा, डी.पी.(सं) - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृ. 472
14. श्रीवास्तव, पी.एन. - पूर्वी निमाड़ जिला गजेटियर, पृ. 97
15. मध्य-प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खण्ड चार, पृ. 82

श्री रामकृष्ण परमहंस की सांस्कृतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक देन

डॉ. अजय आचार्य *

शोध सारांश - संसार में जब जब धर्म का पतन होता है। नैतिक मूल्यों का विघटन प्रारंभ होना है तो उस विचार को दूर करने के लिए कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति मानव रूप में अवश्य जन्म लेती है। अपने काया एवं विचारों के द्वारा उन दोषों को दूर करने का कार्य करती है। इन महान ईश्वरीय शक्ति के रूप में रामकृष्ण परमहंस ने भारत में जन्म लिया और अपने विचार व्यक्तित्व एवं साधना कार्य के द्वारा भारत में स्त्री जाति की गरिमा सनातन धर्म सामाजिक क्रुप्रथा जातिप्रथा छुआछूत भारतीय होने की आत्म ग्लानि हिन्दू धर्म के प्रति संकीर्ण विचारधारा को दूर करने का प्रयत्न किया। भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने का कार्य अपने शिष्य विवेकानंद के द्वारा पूर्ण कराया जो की रामकृष्ण परमहंस की प्रमुख आध्यात्मिक देन है।

प्रस्तावना - 'संसार में जब जब धर्म का पतन होता है तब धर्म के पुनः स्थापना के लिए ईश्वर की विशेष शक्ति का आविर्भाव होता है, इन अवतारों में से प्रत्येक विशेष शक्ति के आधार है, विविध भावों एवं शक्ति के सत्य के प्रतिक है विश्व के सभी धर्मों में बड़े व्यापक रूप में धर्म ग्लानि उपस्थित हुई है तब श्री रामकृष्ण सभी धर्मों को निर्मल एवं दोष मुक्त करने आये थे'।¹

भारतीय पुनर्जागरण एवं चिंतन में रामकृष्ण का वही स्थान है जो यूनान के चिंतक सुकरात का था। सुकरात और रामकृष्ण दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे। जिनके पास जिनके पास कोई सत्ता या अधिकार नहीं था। किन्तु अपने समय के सब महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया। दोनों ने किसी नए मार्ग संप्रदाय की स्थापना किये बिना ही बहुत सी ऐसी बातों की प्रेरणा दी जो की स्थाई मूल्य की है, वे एक शक्तिशाली बौद्धिक उत्तोलक थे। जिसमें अपने समकालीनों की चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाने की सामर्थ्य थी।²

सुकरात और रामकृष्ण दोनों अपने शिष्यों के द्वारा जीवित रहे एक ने अफलातून तैयार किया। दूसरे ने विवेकानंद को सबसे मुख्य बात यह थी की दोनों का गहरा आकर्षण उनके व्यक्तिगत उदाहरण में था। जीवन और कर्म में पूर्ण विरवित थी, रामकृष्ण की प्रमुख देन यह थी की उन्होंने अपने कार्य एवं अनुभूति द्वारा भारतीय जनता का सनातन धर्म में पुनः विश्वास स्थापित किया। तत्कालीन समय में आर्य समाज और ब्रह्मसमाज शक्तिशाली सांस्कृतिक आंदोलन थे। किन्तु उनकी जो कमजोरियाँ थी वे रामकृष्ण को ठीक दिखाई पड़ी दयानन्द और राजाराममोहन राय तथा केशव चंद्र सेन से रामकृष्ण अनेक बातों से भिन्न थे। वे कभी भी अपनी बात करने के लिए मंचों पर नहीं चढ़े और नहीं कोई आंदोलन चलाया।³

रामकृष्ण की मानव समाज को प्रमुख देन यह है की उनके आगमन से धर्म की अनुभूति प्रत्यक्ष हुई विद्या ज्ञान समुन्द्र की सतह पर उठती हुई तरंगों का नाम है। किन्तु अनुभूति समुन्द्र के अंतरात्मा में बस्ती है। उन्होंने अपने जीवन से यह बता दिया की धार्मिक सत्य केवल बौद्धिक अनुमान की वस्तु नहीं है रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू सनातन धर्म को जागृत किया। क्योंकि उनीसवीं सदी का हिन्दू जागरण केवल ईसाईयन से हिंदुत्व की रक्षा के प्रश्न तक सिमित नहीं था। अपितु धर्म पर से शिक्षितों की हिली हुई श्रद्धा

फिर से स्थिर बनाई जाये यह प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने भारत व विश्व की धार्मिक समस्या का जो समाधान दिया है, उसने सर्वश्रेष्ठ और कोई समाधान हो ही नहीं सकता है, उन्होंने क्रम से वैष्णव शिव शाक्त तांत्रिक अदवादी मुस्लिम और ईसाई साधना करके सभी धर्मों को एकता का सन्देश दिया। रामकृष्ण की सहज वृत्ति ने उन्हें सामाजिक सतयता की और ध्यान देने को प्रेरित किया। उन्होंने समकालीन सुधार आंदोलन को समझने का प्रयत्न किया दूर दूर तक भ्रमण किया और अपनी यात्राओं से समस्त मानव जाति के अनुभव के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया।⁵

रामकृष्ण परमहंस का जीवन एवं उपदेश देश काल एवं पात्र के अनुसार अपने को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, उनका सन्देश मूलतः एक होते हुए भी विविधातापूर्ण है, जिसका प्रमाण हमें रामकृष्ण विवेकानंद माँ सारदा के व्यक्तित्व एवं उपदेश में मिलता है, जिसमें सबसे प्रमुख बात की धर्म साधना के साथ मानव कल्याण है।⁶

रामकृष्ण ने अपने आचरण से हिंदुत्व के उस अउदार भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया जो हिन्दू संस्कृति की आदिकाल से आज तक विशेषता रही है। उन्होंने समूचे हिंदुत्व का अपनी अनुभूति से उदाहरण प्रस्तुत किया। उनको अनुभूति आचरण अभ्यास लगन और निष्ठा के द्वारा के द्वारा पथ भ्रष्ट अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को हिंदुत्व की ओर आकर्षित किया इन लोगों को विश्वास होने लगा की रामकृष्ण में असाधारण शक्ति है, उनसे प्रभावित होना हिंदुत्व से प्रभावित होना था। संस्कृति की और झुकना था। इन सबका परिणाम पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीयता का उद्भव था।⁷

गृहस्थ व्यक्तियों को अमृतत्व का लाभ हो वे सत्य पथ पर चले, इसलिए रामकृष्ण ने अपने जीवन में गृहस्थधर्म का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत मँ धर्म का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। केवल भारत वर्ष के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए के लिए भी उन्होंने त्याग का आदर्श दिखाकर मध्यमपथ का विधान किया। रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को अपने साथ रख कर ब्रह्मचर्य का पालन कर उसे अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ाया और उन्हें जगत माता जगदम्बा का दर्जा देकर सोडपी पूजा की इससे नारियों के प्रति उनका असीम सम्मान प्रकट होता है। इससे नारी जाति के प्रति लोगों के मन में सम्मान की वृद्धि हुई जो भारत के लिये आवश्यक थी।⁸

स्त्रियों की दशा सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है इसलिए रामकृष्ण अवतार में स्त्री गुरु को उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने स्त्री वेश तथा स्त्री भाव में साधना की और उन्होंने नारियो के मातृभाव में जगदम्बा के रूप का दर्शन उसे का सन्देश दिया।⁹

रामकृष्ण की सहज वृत्ति ने उन्हें सामाजिक यथार्थ की और ध्यान देने को प्रेरित किया। उन्होंने समकालीन सुधार आंदोलन को समझने का प्रयत्न किया दूर दूर तक भ्रमण किया। अपनी तीर्थ यात्राओं से समस्त मानव जाती के अनुभव के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। जाती प्रथा को उन्होंने तोड़ा यही कारण है की उनके शिष्यों में सभी जाती के लोग थे।¹⁰

रामकृष्ण की सबसे मुख्य देन यह थी कि, वे अवतार रूप में आये थे। उनके जीवन के अंतिम समय में जब उनके शिष्य उन पर शंका कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था जो राम और कृष्ण रूप में अवतार लेकर आये थे। वे ही इस बार इस बार इस शरीर में आये है पर इस बार वेश में आना हुआ है। इस तरह से उन्होंने अंतिम समय में यह स्वीकार किया की वे एक ईश्वरीय अवतार है।¹¹

इस प्रकार रामकृष्ण का नाम उनके जीवन काल में भी दूर दूर तक पहुंचा था किन्तु उनके देहांत के बाद तो उनके उपदेशो को स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार फैलाया की संसार कीर्ति व्यापत हो गयी रामकृष्ण की सबसे मुख्य और अनुपम देन हेजिसके द्वारा वे जग जग में व्यापत है और उसके

माध्यम से मानव कल्याण में लगे है। वह की रामकृष्ण संघ व् रामकृष्ण मिशन जिसके द्वारा वह आज भी विश्व में आज भी जीवंत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामी अपूर्णानन्द, श्री रामकृष्ण संक्षिप्त जीवनी एवं उपदेश रामकृष्ण मठनागपुर तेरहवा, संस्करण पृष्ठ 60
2. वी एस नरवणे, 2008 आधुनिक चिंतन, पृष्ठ 66
3. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 482, राजपाल एंड संस दिल्ली प्रथम संस्करण
4. वी एस नरवणे, आधुनिक भारतीय चिंतन पृष्ठ 69, रामकमल प्रशांत दिल्ली
5. स्वामी ब्रम्हा शानंद, श्री रामकृष्ण भाव धारा, पृष्ठ 13, रामकृष्ण नागपुर प्रथम संस्करण
6. कालीशंकर भटनागर, भारतीय संस्कृति का इतिहास, रतन प्रकाशन मंदिर, पृष्ठ 490
7. मजूमदार राय चौधारी, भारत का इतिहास भाग 3, पृष्ठ 252
8. स्वामी अपूर्णानन्द, श्री रामकृष्ण जीवनी उपदेश, पृष्ठ 48
9. वी एस नरवणे, आधुनिक भारतीय चिंतन, पृष्ठ 69
10. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 488
11. सतेंद्र नाथ मजूमदार, विवेकानंद चरित, पृष्ठ 76

वैश्वीकरण के कारण सार्वभौमिक परिवर्तन और बदलता परिवेश

डॉ. आर.के.यादव *

प्रस्तावना - वैश्वीकरण का अभिप्राय यह है कि सारी दुनिया को एक भूमण्डलीय गाँव के रूप में देखा जाना। विश्व के सारे संसाधनों, ज्ञान, जानकारी, जनशक्ति और बाजारों, सुविधाओं, सेवाओं का लाभ विश्व के हर कोने में सभी को प्राप्त हो सके यह विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को एक गतिमान व्यापक रूप प्रदान करने की धारणा एवं प्रक्रिया हैं। इसके माध्यम से विश्व के समग्र मानवों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक बंधुत्व स्थापित हो सके। वैश्वीकरण मानव मात्र की मूलभूत एकता का ही बाह्य प्रकटीकरण है। अंतर्राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रों की एकता का भी प्रतीक है वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकासशील स्थिति में चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझी जा सकती है।

आठारह सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने लोगों के सोचने के तरीके को ही बदल दिया। इस क्रांति को ही आधुनिकता का जनक माना जाता है। औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ वहीं दूसरी ओर पूंजीवाद का विकास हुआ धीरे-धीरे गाँव शहर, शहर कस्बों में और महानगर अपने विशाल स्वरूप में उभर कर सामने आये। बीसवीं शताब्दी में पहुंचकर आधुनिकता का परिवेश अधिक व्यापक हो गया। औद्योगिकीकरण एक प्रकार से औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का दर्पण होता है जिससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

आधुनिकता का संबंध काल परिवर्तन या युगान्तर से है। भारत में आधुनिकता की उपस्थिति ब्रिटिश काल से समझी जा सकती है। भारत के संविधान बनने के बाद हमने घोषित किया कि हम एक आधुनिक राष्ट्र बनेंगे। एशिया के सभी राष्ट्र अपने आपको आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आधुनिकता विज्ञान केन्द्रित होती है। तकनीकी तंत्र को बढ़ावा देती है। किंतु मूल्य व्यवस्था भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता है। समानता, धर्म निरपेक्षता आधुनिक मूल्य है।

आज भारत में जो भी आधुनिकता आई है, वह स्पष्ट रूप से विदेशों, विशेषकर के पश्चिमी देशों से आई है समाज निरन्तर गतिशील व्यवस्था है, इस गतिशीलता के कारण समाज में परिवर्तन होते हैं। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन का एक ऐसा कारण है, जो भारतीय सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आधुनिकता से है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रिय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक तकनीकी राजनीतिक ताकतों का संयोजन है। वैश्वीकरण विश्व में चारों ओर अर्थ व्यवस्थाओं का

बढ़ता हुए एकीकरण है।

वैश्वीकरण और चुनौतियाँ - आज के भौतिकवादी युग में जिस तरह का दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार वैश्वीकरण का भी हो रहा है। संपन्न राष्ट्रों की बड़ी पूंजी वाली कंपनियों ने इस प्रक्रिया में अपने लाभ के लिए अपनी पूंजी के प्रभाव का प्रयोग करते हुए वैश्वीकरण को आर्थिक एवं व्यापारिक दिशा में मोड़ दिया है। खुले व्यापार की नीति पर जोर देकर इन कंपनियों ने अपने लिए नये बाजार पैदा कर लिए हैं। विकासशील एवं गरीब राष्ट्रों में पूंजी निवेश के द्वारा वहाँ की औद्योगिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अपनी पकड़ और प्रभाव बना लिया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण विकसित एवं संपन्न राष्ट्रों की विचारधारा है जिसके माध्यम से वे कमजोर व पिछड़े देशों में अपनी आर्थिक व राजनीतिक पकड़ बना रहे हैं। इस दुरुपयोग से जो आर्थिक असमानताएं पैदा हो रही हैं उनका विरोध अवश्यम्भावी है और क्रमिक रूप से कमजोर व पिछड़े देश भी आगे बढ़ेंगे एवं इस असंतुलन को समाप्त करेंगे।

आज सभी राष्ट्रों के हित एक दूसरे की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए हैं। आज विश्व का कोई भी विकसित और शक्तिशाली देश भारत जैसे विकासशील देश को नजर अंदाज नहीं कर सकता यही भूमण्डलीयकरण का प्रमुख गुण है घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियाँ क्रिया करती हैं उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही वैश्वीकरण है। इसमें पूंजी राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर मुक्त रूप से विचरण करती है तथा अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम और कच्चे माल की तलाश में रहती है। वैश्वीकरण बाजार अर्थ व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा एवं श्रमविभाजन के माध्यम से कार्य कुशलता को प्रोत्साहित करता है आर्थिक के साथ-साथ वैश्वीकरण के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिदृश्य संबंधी आयाम भी है। वैश्वीकरण के द्वारा ही विश्व बाजार की परिकल्पना साकार हो रही है। विश्व व्यापार का अर्थ है और अधिक पूंजी प्रौद्योगिकी सस्ते आयात तथा अधिक निर्यात के लिए प्रवेश मार्ग। वैश्वीकरण के लिए अमीर देश और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ विभिन्न विकासशील देशों पर दबाव डालते हैं कि वे अपने यहाँ विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध समाप्त करें और विश्व बाजार का हिस्सा बन जाय। इसमें सम्पूर्ण राष्ट्रों को एकाकार के 'ग्लोबल विलेज' की व्यवस्था प्रस्तुत की है। वैश्वीकरण में एक सुधरे हुए पूंजीवाद की उदारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होता है। राजनीतिक वैश्वीकरण विश्व सरकार का एक गठन है जो राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध का नियमन करता है तथा सामाजिक और आर्थिक वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले अधिकारों की गारंटी देता है। यूरोपीय संघ रूसी संघ और भारत पहले से ही स्थापित विश्व शक्तियों में है जिसमें पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचार व्यापक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते

हैं। लोकतंत्र में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। 1900 में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसके पास सार्वभौमिक मताधिकार हो लेकिन 2000 में ऐसे राष्ट्रों की संख्या कुल की 64 प्रतिशत हो गई है।

वैश्वीकरण वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है। वैश्वीकरण ने राष्ट्रों और व्यक्तियों को समग्र रूप से उनके सभी क्षेत्रों में जाकर प्रभावित किया है यद्यपि वैश्वीकरण का कोई मूर्तरूप तो नहीं है पर इसे व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर समझा और अनुभव किया जा सकता है, वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, तकनीकी और सूचना क्रांति, इन्टरनेट आदि ने विश्व के वर्तमान परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इन सबने समय को छोटा कर दिया है भूगोल को संकुचित किया है परिणामतः देशों की राष्ट्रीय सीमाएँ अर्थहीन होती जा रही हैं। सारा विश्व एक छोटे बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। तकनीक, ज्ञान, अर्थतंत्र, मूल्य और विचारों को, राष्ट्रों की सीमाओं को ध्वस्त करते हुए चारों ओर फैला रहा है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण जहाँ अनुकूलता आई है वहीं हमें कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम लाभ या हानि के रूप में समझ सकते हैं।

वैश्वीकरण के लाभ :

- वैश्वीकरण के कारण पूँजी का प्रवाह बढ़ जाता है इससे राष्ट्र का आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में विकास होगा तथा विकास के नये आयाम जनता के समक्ष आवेंगे।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जिससे रोजगार के नये अवसरों का सृजन होता है।
- वैश्वीकरण से सामाजिक एवं राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है एवं उसके हल निकालता है क्योंकि सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
- संचार, तकनीक तथा सूचना के क्षेत्र में क्रांति के कारण कोई भी घटना अब कुछ ही पलों में सारे विश्व में पहुँचाई जा सकती है।
- विकासशील देशों में जीवन स्तर में वृद्धि हुई है जिसके कारण जीवन प्रत्याशा आयु में वृद्धि हुई है।
- वैश्वीकरण के कारण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है।
- विश्व की अर्थव्यवस्था में जबरजस्त सुधार आया है। वैश्वीकरण के कारण विश्व मंदी से निपटने में अनेक देश सक्षम हो गए हैं।
- अनेक देशों की विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई है।
- हर देश के निर्यात में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि, स्थिर व मजबूत अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति में विकास हुआ है।

वैश्वीकरण से हानियाँ :

- विश्वव्यापीकरण में समान प्रतियोगिता को जन्म दिया है यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के बीच होने के कारण भारतीय उद्यम समाप्त होते जा रहे हैं।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सुपर प्राफिट को अपने मूल देश को निर्यात करती हैं। ये अपने मूल देशों से पूँजी लाकर हमारे यहाँ उद्योग लगाती हैं। भारत के सन्दर्भ में इन कम्पनियों ने अपने मूल देश से पैसे न उगाहकर यहाँ के बाजारों से अपने पैसे वसूल किये हैं।
- इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य- कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाना है।

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने नयी तकनीकों के बदले पुरानी तकनीकें लाकर अपने भागीदारों से अधिक रॉयल्टी प्राप्त करती हैं। विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करती हैं।
- वैश्वीकरण के कारण हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो गया है एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
- आज यूरोप अमेरिका से लेकर एशिया के सभी देश इबोला के आंतक को अपनी हठों से दूर रखने में जुटे हैं। वैश्विक गाँव में बीमारियों के भी वैश्वीकरण का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। इबोला संक्रमित महामारी ने कई देशों की अर्थ व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है।
- वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों की शिक्षा में जो बदलाव आया है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण ने बाजारवाद को प्रोत्साहित किया। इसके कारण बाजारवाद सभी क्षेत्रों में और सभी मान्यताओं पर हावी हो रहा है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। भारतीय विचार से शिक्षा एक पवित्र कार्य एवं संस्कार है जिसे बाजार में बेचा या खरीदा नहीं जाता पर आज शिक्षा व्यापार हो गई है उसे खरीदा व बेचा जा रहा है। वर्तमान में शिक्षा पर पूरा जोर तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर दिया जा रहा है। वर्तमान में पूरा विकास ही तकनीक पर आधारित है।

वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न समस्याएं – वैश्वीकरण का यह असर है कि भारत की प्रतिभाये विकसित राष्ट्रों की ओर अग्रसर हो रही है तथा अपना भविष्य और करियर उन्हीं राष्ट्रों में ढूँढ रही है जिसका असर देश के विकास पर दिखाई देने लगा है। आज वैश्वीकरण के कारण अनेक समस्याये उत्पन्न हो रही हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं।

- हमारे देश में मातृभाषा की उपेक्षा और अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। विश्व बाजार में देशज भाषाओं का कोई महत्व नहीं है। अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमेरिका और ब्रिटेन की हैं जो अंग्रेजी को महत्व ही नहीं देती अपितु अंग्रेजी के विस्तार में सहायक भी हैं।
 - वैश्वीकरण के कारण सभी देशों में परम्परा और मूल्य शिथिल पड़ रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में तकनीकी और संचार क्रांति ने पूरे परिदृश्य को और व्यक्ति के जीवन को बदल दिया है।
 - वैश्वीकरण के कारण पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रभाव ने वर्जनाओं को स्वीकार करने का नहीं अपितु उन्हे तोड़ने का वातावरण बन रहा है। रेव पाटियाँ और पब कल्चर शिक्षित और विकसित समाज की पहचान बन रहे हैं।
 - आज देश की परंपरागत संस्कृति से अलग पश्चिमी अपसंस्कृति को ही संस्कृति माना जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों का मनोविज्ञान बदल रहा है। युवाओं में सेक्स के प्रति खुला आकर्षण, हिंसक प्रवृत्ति में वृद्धि, नकारात्मक सोच, स्वयं के भौतिक विकास की लालसा बढ़ रही है और सामाजिक सोच कम हो रही है।
 - वैश्वीकरण के कारण भौतिकवाद और व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है जिसके कारण प्रतिस्पर्धा करियर की चिंता अनिश्चित भविष्य अवसाद एवं तनाव जैसी जैविक व मानसिक बिमारीयों में वृद्धि होने लगी है।
- वर्तमान युग में वैश्वीकरण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ वैश्वीकरण के अनेक लाभ हैं वहीं हमें हानियाँ भी देखने को मिल रही हैं किंतु भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को विश्व के अन्य देशों के साथ समन्वय

बनाने की नितांत आवश्यकता है। विश्व में आधुनिक तकनीकी ज्ञान शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी को भारत में अपनाये जाने की आवश्यकता है। नवीनतम चुनौतिया जिनमें आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अन्य देशों के अनुभवों की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में हमारे देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में अन्य देशों का सहयोग आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजनीतिक समाज शास्त्र विज्ञान- डॉ. शशि जैन
2. परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र-डॉ. डी.एस. बघेल
3. आधुनिकता, उत्तर आधुनिक एवं नव समाज शास्त्रीय सिद्धांत- एस.एल. दोषी
4. इन्टरनेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर

वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों की उपयोगिता एवं समस्याएँ

डॉ. एस. एस. धुर्वे *

शोध सारांश – मानव सतही एवं भूजल को आधुनिक तकनीक से मशीनों की सहायता से अधिकाधिक प्रयोग में ला रहा है। इस अतिदोहन का परिणाम यह हुआ कि भूगर्भ में भूजल स्तर भारत सहित विश्व के अधिकांश भागों में नीचे गिरता जा रहा है, तथा उपलब्धता घट रही है। वर्षा जल एक अनमोल नैसर्गिक उपहार है, जो प्रति वर्ष पूरी धरती को बिना भेदभाव के प्राप्त होता है। परन्तु इस जल के समुचित प्रबन्धन के अभाव में यह जल नदी नालों से होकर समुद्र में चला जाता है। जल प्रबन्धन में कमी के कारण भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। वर्षा जल के संचयन के लिए तालाब या पोखर बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचयन की परम्परा रही है। वर्षा जल के संचयन के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया जाता था। इन माध्यमों से वर्षा जल को संचित किया जाता था। इनसे भूजल स्तर में सुधार होता था, ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों से पर्याप्त पानी मिलता था। मानवीय उपेक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली एवं जल के कुप्रबन्धन के कारण जल स्रोत मृतप्राय हो गये हैं। कई जल स्रोत कचरे के गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, कई पर अवैध कब्जे हो गए हैं, तो कई मिट्टी व गाद से भर गए हैं। इससे उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गयी है। प्राचीन तालाब, बावड़ी आदि दुर्दशा के शिकार हैं, जो मरम्मत की राह देख रहे हैं। अल्पवृष्टि, सूखा एवं पेयजल संकट हमारे देश में हर वर्ष नागरिकों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। ऐसे संकटों का सामना करने के लिए तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की प्राचीन काल में आवश्यकता थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी। वर्षा जल को संचित करने, जल स्रोतों का पुनर्भरण करने, बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने, कृषि में सिंचाई हेतु, घरेलू उपयोग एवं निर्माण कार्य करने, मृदा कटाव को नियंत्रित करने तथा परिस्थिती संतुलन बनाये रखने जैसे कार्यों के लिए तालाबों को संरक्षित एवं नवनिर्माण करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्! सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्, शशय श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्! भारत की स्वाधीनता पश्चात् 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत इस राष्ट्रगीत की उपर्युक्त पंक्तियाँ स्वाधीनता संग्राम के दौरान मातृभूमि की प्रशंसा में 07 नवम्बर 1876 को बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ भारत की तत्कालीन प्राकृतिक पर्यावरण की सम्पन्नता की साक्षी हैं। स्वाधीनता पश्चात् देश में विकास करना तत्कालीन सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती थी। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, उद्योग, तकनीक, व्यापार, कृषि आदि का बुनियादी स्तर से प्रगति की शुरुआत की गई। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रतिस्पर्धात्मक रूप से होने लगा। सन् 1966 में प्रारम्भ, हरित क्रान्ति ने कृषि क्षेत्र में भारी परिवर्तन कर उत्पादन में वृद्धि कर दी। कृषि कार्यों, उद्योगों, रेलवे आदि के क्षेत्र में सतही एवं भूगर्भिक जल का दोहन अधिक होने लगा। 21वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व हमारी प्रत्याशा थी कि भविष्य में भारत विकास के साथ पर्यावरण की सम्पन्नता का संरक्षण व संवर्द्धन करेगा, किन्तु हमारी आशाएँ निष्प्रभ हो गयीं। निःसंदेह स्वाधीनता पश्चात् भारत ने शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक, तकनीक, कृषि आदि क्षेत्र में विकास अवश्य किया, किन्तु विकास के दूसरे पक्ष में उत्तरोत्तर जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अनुचित विदोहन, जल, वायु, मृदा, ध्वनि एवं रेडियोएक्टिव प्रदूषण जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं, जो विकास के साथ हमें निःशुल्क प्राप्त हुये हैं, और हमें चुनौती दे रहे हैं। इन चुनौतियों में 21 वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है : जल संकट। धरती पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। भारतीय वर्षा मानसून

पर आधारित है, और यह मानसून अनिश्चितताओं से ग्रसित है। देश के कुछ भागों को छोड़कर धार एवं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र अनावृष्टि एवं सूखा जैसे जल संकट से जूझते रहते हैं। अभी तक हमारे देश में वर्षा जल को संचित एवं संरक्षित करने एवं इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। एक अनुमान है कि स्थिति में यदि सुधार नहीं किया जाता तो आगामी कुछ दशकों में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

कठिन शब्द – सम्वर्द्धन, निष्प्रभ, नैसर्गिक, बहुआयामी, संचयन, परिवर्द्धन, तलछट, गाद, पुनर्भरण, पारितंत्र, पारिस्थितिकी, राष्ट्रीकृत।

उद्देश्य –

1. वर्षा जल संचयन हेतु कम लागत वाली तकनीक की आवश्यकता से परिचित होना।
2. जल संकट को कम करने हेतु तालाबों की महत्ता का अध्ययन करना।
3. वर्तमान में तालाबों की हालात से परिचित होना।
4. तालाबों के संरक्षण एवं परिवर्द्धन हेतु सूक्ष्म प्रयास करना।
5. तालाबों के बहुआयामी उपयोगिताओं का अध्ययन करना।

तालाबों की उपयोगिता – जल जीवन का आधार है। जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा के इस अनमोल जल के समुचित प्रबन्धन के अभाव में अपने चक्रानुसार समुद्रों में चला जाता है, जबकि विशाल जनसंख्या ग्रीष्म ऋतु में पानी के लिए तरसती है। अतः जल संचयन के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल को कुओं, तालाबों, जलाशयों आदि के द्वारा संचित करें तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा इसे भूमिगत करना अनिवार्य है। वर्षा जल के संचयन और

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, बरही, जिला – कटनी (म.प्र) भारत

भूमिगत करने की दिशा में तालाबों की अहम उपयोगिता हो सकती है। उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है -

(क) प्रत्येक धरातल में निर्माण सम्भव - तालाबों का निर्माण तीव्र ढालयुक्त धरातल को छोड़कर पठारी, मैदानी, रेगिस्तानी, बन्जर आदि भूमि में आसानी से किया जा सकता है। अल्प प्रवणता युक्त भूमि में अपेक्षाकृत छोटे तथा समतल भूमि में बड़े तालाबों का निर्माण किया जा सकता है।

(ख) वर्षा जल संचयन की सस्ती प्रविधि - लघु, मध्यम एवं वृहत् स्तर की जल परियोजनाओं की उपयोगिता एवं लागत अवश्य अधिक होती है, किन्तु इनकी तुलना में तालाब निर्माण की लागत बहुत कम होती है। छोटे एवं बिखरे बस्तियों एवं कृषि क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु तालाबों की विशेष उपयोगिता है। इन बिखरे लघु जल निकायों से विस्तृत क्षेत्रों में जल सम्भरण में वृद्धि एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ग) शुष्क कृषि क्षेत्रों में उपयोगी - ऐसे कृषि क्षेत्र जो नहर पहुँच विहीन हों, कुएँ एवं ट्यूबवेल में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता कम हो, इन क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण कर संचित वर्षा जल से सिंचाई की जा सकती है तथा इस संचित जल के भूगर्भिक रिसाव से भूजल स्तर में वृद्धि होने से भूगर्भिक जल स्रोतों में जल उपलब्धता बढ़ायी जा सकती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। सही समय पर वर्षा न होना, कम होना कृषि की आम समस्या है। किसानों को इन संकट की परिस्थितियों में तालाब मददगार हो सकते हैं।

(घ) बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण - बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने की दिशा में तालाबों की अहम भूमिका हो सकती है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के ऊपरी भागों पर तालाबों में वर्षा जल को रोककर नदियों में बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है।

(ङ) मृदा अपरदन पर नियंत्रण - वनस्पति विहीन और जुताई की गई प्रवण भूमि में वर्षा जल से मृदा अपरदन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में अपरदन को नियंत्रित करने के हेतु प्रवाही जल को रोकने के लिये तालाबों का निर्माण कारगर हो सकता है। वर्षा जल के साथ बहती मिट्टी को इन तालाबों में रोका जा सकता है।

(च) घरेलू कार्यों में उपयोगी - बस्तियों के निकट बने तालाबों से मानव के घरेलू कार्यों के लिए जल आपूर्ति हो सकती है। तालाबों के जल का उपयोग नहाने, कपड़ों की धुलाई, घरों की सफाई, भवन निर्माण के अतिरिक्त सड़क निर्माण, बागों की सिंचाई आदि के लिए किया जा सकता है। जिन बस्तियों में तालाबों एवं अन्य सतही जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पेय जल स्रोतों पर ही लोग घरेलू कार्यों के लिए निर्भर रहते हैं, जिससे इन पर जल उपभोग का भार बढ़ जाता है, और जल स्तर निम्न होने की समस्या उत्पन्न होती है।

(छ) विभिन्न प्राणियों के लिए उपयोगी - बस्तियों के समीप या दूर स्थित तालाब पालतू जानवरों एवं वन्य प्राणियों के लिये पेय जल के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो वन्य प्राणी बस्तियों के समीप तक पानी की तलाश में भटकते हुए पहुँच जाते हैं। इनके अतिरिक्त ये जल स्रोत विभिन्न प्रकार के जीवों एवं कीट पतंगों के पेय जल के आधार होते हैं।

(ज) पर्यावरणीय महत्व - तालाबों में विविध प्रकार के जलीय जीव और वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इनसे मिलकर तालाब का एक जलीय पारितंत्र निर्मित होता है। पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन के लिये ऐसे पारितंत्र महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से भी तालाबों का विशेष महत्व होता है।

(झ) वैकल्पिक कृषि के लिए उपयोगी - तालाबों का जल एक ओर

प्राणियों के जीवन का आधार है, तो वहीं कृषि कार्य में सिंचाई के लिए उपयोगी भी है। इनके अतिरिक्त मत्स्य पालन, बतख पालन, सिंघाड़ा एवं कमल की कृषि के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तालाबों की मेड़ों पर फूलों व सब्जियों की भी कृषि की जा सकती है। इन मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाकर फलोत्पादन भी किया जा सकता है।

प्रमुख समस्याएँ - हमारे देश में तालाबों की बहुउद्देशीय उपयोगिताओं के बाद भी अधिकांश तालाब विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। कुछ प्रमुख समस्याएँ इस तरह हैं -

(क) मानवीय उपेक्षा से ग्रस्त - हमारे देश में प्राचीन काल से जल संचयन के लिए बहुउपयोगी ये तालाब अब हमारी उपेक्षा से ग्रस्त हैं। पेयजल, सिंचाई, भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए हम नल जल, ट्यूबवेल, व नहरों जैसे साधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तालाबों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। हम अपने घरों व खेतों में गहरे गहरे बोर कराकर भूजल का अनियंत्रित विदोहन कर रहे हैं। तालाबों की महत्ता को हम नकार रहे हैं, ये दुर्दशा के शिकारग्रस्त हैं। इन तालाबों में गाढ़ का जमाव हो चुका है, इनकी मेड़ खराब हैं या इनमें जलकुम्भी आदि जलीय पौधे अनावश्यक अतिक्रमण कर चुके हैं।

(ख) कचरे के गड्डों के रूप में - वर्तमान में हम प्लास्टिक को अपने जीवन का अनिवार्य साधन बना चुके हैं। अपने अधिकांश छोटे बड़े कार्यों में हम प्लास्टिक का प्रयोग अवश्य करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग के पश्चात् यह पॉलिथीन यूँ ही फेंक दिया जाता है। ऐसी पॉलिथीन का ढेर बस्तियों के किनारे तालाबों में हम अवश्य देख सकते हैं। यह दशा अन्य जल स्रोतों की भी है। कचरे के अलावा इन तालाबों पर घरों का गंदा पानी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का प्रदूषित जल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ मुक्त किया जाता है। इससे तालाबों का जल प्रदूषित होता है, और यहाँ का पारितंत्र संकटग्रस्त हो जाता है।

(ग) अवैध कब्जा - सामान्यतः यह देखा जाता है कि तालाबों की मेड़ों एवं जल भराव क्षेत्रों में अवैध कब्जा कर भवन निर्माण या अन्य दूसरे कार्यों में उपयोग किया जाता है। कई जगहों पर पूरे तालाब को ही नष्ट कर उस भूमि में औद्योगिक इकाई, बस स्टैंड, बाजार, मॉल या संस्थान बना दिये जाते हैं, तो कहीं कृषि हेतु इस भूमि को उपयोग में लाया जाता है।

(घ) जल ग्रहण क्षमता में कमी - वर्षा जल के प्रवाह के साथ हर वर्ष बाहरी मृदा तालाबों या जलाशयों पर आकर गाढ़ के रूप में निक्षेपित होती है। जिससे तालाबों की जल ग्रहण क्षमता कम होते जाती है। यह भी तालाबों की एक प्राकृतिक समस्या है।

(ङ) नये तालाबों के निर्माण में कमी - प्राचीन काल में अनेक राजा तालाब, बावड़ी, कुएँ आदि का निर्माण सार्वजनिक उपयोग हेतु कराते थे, किन्तु हमारे देश में अब प्राचीन काल की तरह तालाबों के निर्माण में ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं सरकारें बड़े बांधों के निर्माण में ज्यादा रुचि दिखाती हैं। सिंचाई व पेयजल के लिये बोरेवेल्स को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

सुझाव -

1. तालाबों के नवनिर्माण एवं रखरखाव के लिये समाज, स्थानीय संस्थाओं व सरकार सभी को आगे आना चाहिये।
2. तालाबों के धार्मिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व के बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता है।
3. तालाबों को प्रदूषण व अवैध कब्जों से मुक्त कराने की आवश्यकता है।

4. शासन द्वारा तालाब निर्माण के साथ जलीय कृषि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
5. जल को राष्ट्रीकृत संपदा घोषित कर जल एवं जल स्रोतों के दुरुपयोग एवं प्रदूषण पर दण्ड हेतु कानून बनाने एवं लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष – ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचयन की परम्परा रही है। वर्षा जल के संचयन के लिये सामूहिक प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया जाता था। इन माध्यमों से वर्षा जल को संचित किया जाता था। इनसे भूजल स्तर में सुधार होता था, ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों से पर्याप्त पानी मिलता था। मानवीय उपेक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली एवं जल के कुप्रबन्धन के कारण जल स्रोत मृतप्राय हो गए हैं। कई जल स्रोत कचरे के गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, कई पर अवैध कब्जे हो गए हैं, तो कई मिट्टी व गाद से भर गए हैं। इससे उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गयी है। प्राचीन तालाब, बावड़ी आदि दुर्दशा के शिकार हैं, जो मरम्मत की राह देख रहे हैं। अल्पवृष्टि, सूखा एवं पेयजल संकट हमारे देश में हर वर्ष नागरिकों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। इन तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की प्राचीन काल में आवश्यकता थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी। वर्षा जल को संचित करने, जल स्रोतों का पुनर्भरण करने, बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने, कृषि में सिंचाई हेतु, घरेलू उपयोग एवं निर्माण कार्य करने, मृदा कटाव को नियंत्रित करने

तथा परिस्थिती संतुलन बनाये रखने जैसे कार्यों के लिए तालाबों को संरक्षित एवं नवनिर्माण करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, अंकित, जल, वायु एवं मृदा संरक्षण की चुनौतियाँ, ए. जे. बुक्स गाजियाबाद (उ.प्र.), संस्करण 2016
2. यादव, चन्द्रशेखर, जल और हमारा भविष्य, वंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली, संस्करण 2016
3. शर्मा, शिवांशु, पर्यावरण संकट के हल हेतु वैश्विक नीतियाँ, वरुण पब्लिकेशन नई दिल्ली, संस्करण 2016
4. सिंह, डॉ. निशान्त, आपदा प्रबन्धन, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, पहला संस्करण 2008
5. शुक्ल, प्रो. त्रिभुवन नाथ, प्रधान संपादक, पर्यावरणीय अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, प्रथम संस्करण 2019
6. वर्मा, प्रो. धनंजय, प्रधान संपादक, पर्यावरण चेतना, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, तृतीय संस्करण 2006
7. कृषक दूत पत्रिका, अंक 14, 27 अगस्त से 02 सितम्बर 2019, भोपाल (म.प्र.)
8. <http://m.bharatdiscovery.org>
9. www.drishtias.com
10. www.hindi.indiawaterportal.org

भिलाला लोक संस्कृति का अनुशीलन (कुक्षी तह. के विशेष संदर्भ में)

सुमन सिसोदिया * डॉ. गुलाब सिंह डावर **

प्रस्तावना - म.प्र. एक जनजातीय प्रधान राज्य है, भिलाला जनजातियाँ भी अन्य जातियों की तरह सुदूर वनों में निवास करती हैं, इन्हें आदिवासी, आदिमवासी, कबीली आबादी एवं जनजाति आदि नामों से सम्बोधित किया है। ये एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं। अपनी सामान्य बोली बोलते हैं। विवाह व्यवसाय कृषि मजदूरी आदि कुछ मूल्यवान कामों में परस्पर एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। आदिवासी में कई उपजातियाँ हैं। इन्हीं उपजाति में भिलाला जनजाति भी एक है। अन्य जनजातियों की तरह इसे भी वनवासी, मामा, अनपढ़, गँवार आदि कई नामों से सम्बोधित करते हैं। ये क्रमशः मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश के जिलों में निवासरत हैं। ये स्थाई कृषि करते हैं तथा इनमें से कई शासकीय सेवा के उच्च पदों पर आसीन भी हैं। ये हिन्दू धर्मावलम्बी हैं। भील और राजपूत की कन्याओं के वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न संतानें भिलाला कही गई हैं। मानव और पशु-पक्षियों में भिन्नता का मूल आधार मानव की अपनी संस्कृति है। मनुष्य जिस संस्कृति में पलता है, उसी के अनुरूप उसका विकास भी होता है। भिलाला समाज संस्कृति के बल पर वह पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। उबड़-खाबड़ जमीन पर घर बनाकर वह परम्पराओं से चली आ रही रूढ़ियों को अपनाते वह मनुष्य से सम्पर्क बनाए रखता है।

हिन्दी शब्दकोष के अनुसार - 'संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का है जो सामान्यतः सम्यक कृति के अर्थ से व्यवहृत होता है'। व्यवहार, रीति-रिवाज, पर्व, उत्सव, संस्कार, कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, पूजा आदि के विधि-विधान एवं अनुष्ठान संस्कृति के रूप हैं। संस्कृति का निर्माण शनैः-शनैः होता है। आरंभ में शिक्षण संस्कार और अभ्यास के जो बीज मानव जीवन में डाले जाते हैं, वही संस्कृति की आरंभिक अवस्था है। बीजों के प्रतिफलित होने पर मानव जीवन में विकास और परिमार्जन का स्वरूप प्रकट होता है। वही उसकी अंतिम स्थिति है।

डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार - 'मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है, उसी को संस्कृति कहते हैं, चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरस सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है'।¹² मानव जीवन को सरल सुन्दर और कल्याणमय बनाने के उद्देश्य से बुद्धि के प्रयोग द्वारा विचार और कर्म के क्षेत्र में किया गया सृजन ही संस्कृति है।

डॉ. हरवंशलाल शर्मा के अनुसार - 'किसी विशिष्ट समाज द्वारा दीर्घ सामाजिक अनुभवों के आधार पर साधु आचरण के जो मापदण्ड स्थिर कर दिए जाते हैं, वे जब भावनात्मक रूप में परिणित होकर समाज के दैनिक जीवन में अनायास ही व्यक्त होने लगते हैं, जो संस्कृति के नाम से जाने

जाते हैं'¹³

भिलाला जनजाति की उत्पत्ति - मध्ययुग में जब मुसलमानों का दबाव राजपूतों पर अधिक पड़ा तो वे बहादुर भीलों की सहायता के आकांक्षी बने। भीलों ने राजपूतों का साथ दिया। इस प्रकार भील और राजपूत अधिक निकट आए। अनेक ऐसी लोककथाएँ प्रचलित हैं जिनमें यह संकेत मिलता है कि 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में भील राजपूतों से घुल मिल गए। 'शरीर से सुदृढ़ एवं साहसी होने के कारण भील लोग राजपूत राजाओं की सेना में रहते थे। विशेषकर महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सेना में अधिक महत्व दिया। भीलों व राजपूतों के संबंध कालान्तर में विवाह संबंध तक हो गये। फलस्वरूप भीलों के इस वर्ग के रहन-सहन एवं आचार-विचार में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ तथा इनमें से ही एक नई उपजाति 'भिलाला' का उदय हुआ।'¹⁴

भिलाला शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बताया जाता है कि वह भील सुसंस्कृत भील, भिलाले हैं। ये अपने आपको भूरिया, डावर, रावत, चौहान, मण्डलोई, आदि कहकर साधारण भीलों से पृथक मानते हैं। 'भिलालों में बहुसंख्यक भोपावर एजेन्सी (निमाड से मिली हुई) में रहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीनकाल में राजपूतों ने भील प्रदेश में अपना अधिपत्य स्थापित किया और भील कन्याओं से विवाह करके मैत्रीभाव को दृढ़ बनाया। इस संबंध से उत्पन्न संताने ही भिलाला कहलाई'¹⁵ निमाड क्षेत्र में भिलाले अपने आपको 'दरबार' कहलाना प्रतिष्ठा समझते हैं। अपने आपको शुद्ध राजपूत कहते हैं, ये स्वयं को राव तथा रावत कहलाना पसंद करते हैं। इनके कथानुसार भिलालों की उत्पत्ति राजपूतों एवं भील कन्याओं के वैवाहिक संबंध से मान्य है। 'प्रसिद्ध ओकाल मान्धाता मंदिर की देख-रेख की पुश्तैनी जिम्मेदारी भिलाला सरदारों की थी। सन् 1165 ई. में भारतसिंह नामक राजपूत ने उपर्युक्त क्षेत्र को दुर्दान्त दस्यु नाथू भील को पराजित कर इस मंदिर को जन सामान्य के लिए सुरक्षित किया था। किंवदन्ती है कि भारतसिंह और दस्यु राजा की कन्या से उत्पन्न पुत्र आगे चलकर भिलाला प्रमुख बने।' इनके अनेक गोत्र हैं, जिनका नामकरण अनेक वृक्षों और पशुओं पर आधारित है। समान गोत्रों में विवाह संबंध वर्जित है।

भिलाला लोकसंस्कृति - लगभग पांच लाख वर्ष पहले आदिम मानव ने पृथ्वी पर विचरण करना शुरू किया होगा। वृक्षों और गुफाओं का निवासी कन्दमूल फल तथा आखेट पर निर्भर था। वह न तो कृषि से परिचित था और न उद्योग धंधों से। विकास यात्रा के दौरान मानव ने अनेक आपदाएँ झेली, संघर्ष किया और अपने जीवन को सहेजा। दावानाल, दुर्भिक्ष, जलप्लावन तथा विभिन्न बिमारियों से संघर्ष करता हुआ, अपने अस्तित्व की रक्षा कर 'मानव संस्कृति' का महल खड़ा किया। हावल का मत है कि 'मनुष्य ही

* शोधार्थी (हिन्दी) बध्व डावर, 06 सार्थक गैलेक्सी, सराय वार्ड पीथमपुर रोड, राऊ, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय वि. महाविद्यालय, खाचरौद - जिला, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अकेला ऐसा प्राणी है जो संस्कृति को बनाए रखने की क्षमता रखता है। भारत वर्ष में सभ्य और असभ्य लोगों के मध्य पारस्परिक संस्कृति का संक्रमण होता है। उबड़-खाबड़ व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला भिलाला जनजातीय समाज भी विविध युगों की आदिम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता जीवनयापन कर रहा है। प्रकृति की गोद में पलने बसने वाले इन जनजाति का आचरण व्यवहार बेहद सहनशील और विनम्र है। यही सहनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा इनकी पहचान है। वह अपनी संस्कृति संस्कारों से बेहद प्यार करता है। अपनी माटी से उसका जुड़ाव है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ जन्म हुआ, जिस धरती पर रहता है, वहाँ शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक मृत्युपर्यन्त रहना है। वहीं तो उसकी माँ है। माँ के आंचल को छोड़कर कहाँ जाए। अपनी संस्कृति में जीना है तो साथ मरना भी है। इसलिए व निभर होकर प्रकृति के आंगन में उन्मुक्त होकर गाता है, गुनगुनाता है। फिर काहे का डर। आर्थिक स्थिति कैसी हो, हालात से मजबूर वह साहूकारों से ऋण लेकर भी दशहरा, दीपावली, होली, गणगौर जैसे पर्वों को प्रतिवर्ष मनाते हैं। पर्व इनकी जिंदगी में कब आते हैं, कब चले जाते हैं। हम उनकी पावन अनुभूति से भरे उल्लेखित होकर रह जाते हैं।

भिलाला संस्कृति जंगलों, फलों, गाँवों जनपदों में बसी है। अपनी माटी का जुड़ाव इनमें औत्सविकता प्रदान करता है। यही उत्सव इनके प्राण तत्व हैं। इसलिए लोकजीवन में लोकनृत्य, लोककला, लोकगीत, लोकवार्ता इत्यादि का बड़ा महत्व है। यही इनकी संस्कृति है। जो इनके आचार-व्यवहार में दिखाई देती है।

रीति-रिवाज - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में प्रचलित उत्सव, व्रत, त्यौहार रीति-रिवाज का जो व्यवहार समाज में होता है। यही समाज के जुड़ाव एवं औत्सविकता का प्रमुख स्रोत भी है। भिलालों के रीति-रिवाज बोली परम्परा रहन-सहन सब अलग हैं। बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला संजा व्रत, नवाई में बड़े-बुजुर्गों का व्रत रखना, पुरुषों के बाद स्त्रियों का भोजन करना, बहु का अपने ससुर, जेठ से पर्दा करना, पति-पत्नी में एक दूसरे का प्रेम एवं एकता की भावना, शहरी लोगों के सामने हिन्दी भाषा में बात करना, अनजान व्यक्ति से भी राम-राम कहना, अपना घर स्वच्छ रखना, बड़ों का आदर करना, शालीन व्यवहार करना आदि ऐसे कुछ रीति-रिवाज हैं। भिलाला जनजाति में कन्या मूल्य नकद रूपये अथवा आभूषण देने के रूप में रिवाज है। ये रीति-रिवाज परिवर्तित होते रहते हैं। इनका स्वरूप अलिखित रहता है। इनके वैधानिक नियम नहीं होते। प्रत्येक भिलाला जनजाति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि, वह स्वमेव ही बिना किसी दबाव के इनका पालन करें।

संस्कार - भिलाला समाज में संस्कार समयानुसार विधिवत संपन्न होते हैं। कहीं समूह में तो कहीं असमूही। अनपढ़ गरीब लोग अपनी झोपड़ी में सामर्थ्य के अनुसार करते रहते हैं। संस्कार परंपरागत जन्म से मृत्यु तक होते रहते हैं। 'शब्दिक दृष्टि से संस्कार का अर्थ शुद्धि या सफाई। इसी आधार पर हिंदू संस्कारों को आत्मा का परिशुद्धन कहा जाता है। ये संस्कार जीवन के आधार होते हैं। इनके बिना जीवन की परिशुद्धि संभव नहीं। इसलिये ये जीवन पर्यन्त संपादित होते रहते हैं।'¹⁷ अतः जीवन में संस्कृति की सत्ता महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य मानी गई है। समय-समय पर होने वाले संस्कार व्यक्ति और समूदाय दोनों को इसकी महत्ता का भान कराते हैं।

खानपान - भिलाला समाज में खानपान सामान्यतः मक्का की रोटी, उड़द की दाल, अरहर की दाल, बाजरे की रोटी, अमोड़ी की भाजी, मक्का की राब आदि है। मांगलिक अवसरों पर बाटी, बाफले, लड्डू, नुक्ती आदि विशेष

अवसरों पर मीठा दलिया (थुली), मुर्गा, बकरा तथा शराब का भी उपयोग करते हैं। फलों में आम, महुआ, बेर, जाम, ककड़ी, आदि का उपयोग करीब-करीब सब करते हैं। दूधारू जानवरों को पालते हैं। दूध का उपयोग घर परिवार के सदस्य करते हैं। बचा दुध गरम कर घी बनाकर उपयोग करते हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में घी बनाकर बाजार में विक्रय हेतु लाया जाता है। शहरी सम्पर्क व शिक्षा का स्तर सुधरने से इस जनजाति में शराब और माँस का सेवन त्याग रहे हैं। वैवाहिक अवसरों पर नुक्ती, शक्कर बेसन, मिश्रित लड्डू, चकती, आलू की सब्जी, चावल, पूरी आदि व्यंजन का उपयोग करने लगे हैं।

वस्त्राभूषण - भिलाला जनजाति अपनी अलग-अलग वेशभूषा के कारण शहरी लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहते हैं। ये विचित्र कपड़ों के पहनने के शौकीन हैं। भिलाला युवक प्रायः घुटनों तक धोती, कुरता, कमीज एवं सिर में साफा अवश्य बांधते हैं। अब पेंट कमीज का उपयोग होने लगा है। धूम्रपान के अंतर्गत बीड़ी के अतिरिक्त तम्बाकू, चिलम, हुक्का व सिगरेट के शौकीन हैं।

स्त्रियाँ प्रायः घाघरा लुगड़ा धारण करती हैं। स्त्रियाँ गहनों की बड़ी शौकीन होती हैं। मस्तक पर टीकी, भम्मर, गले में नौसार हार, साकळ्या, कान में झेला, झुमका, भुजा में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में चुड़ला, पैर में पायल, पैर की अंगुलियों में बिछिया तथा चाँदी की कड़ी, पैर के अंगूठे में अनवट जैसे आभूषण पहनती हैं।

अंधविश्वास - भिलाला जनजातीय समाज में प्रकृति संबंधि अंधविश्वास भी काफी प्रचलित है। जैसे वट वृक्ष की पूजा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। पीपल का पेड़ काटने से वंश का नाश होता है। इनका विश्वास है कि आत्मा न केवल मनुष्य में होती है, वरन पशु पक्षियों, वृक्षों में भी होती है। रात्रि में काग की ध्वनि सुनने वालों के लिए अशुभ होता है। उल्लू का घर पर बैठना, बोलना अशुभ होता है। रात्रि में गाय का रंभाना अशुभ, शनिवार को बाल बनाने, खाट पर बैठकर खाना खाना, बुधवार को यात्रा करना आदि चीजों को ये अशुभ मानते हैं।

भिलाला के अनुसार इनके क्षेत्रों में 'डाकिने' भी होती हैं। सुंदर बच्चे एवं विरोधी मनुष्य का कलेजा खा जाती हैं। इत्र लगाकर रात में घूमने से परियां वश में कर लेती हैं। हथेली की खुजाल धन प्राप्ति की सूचक है। रोगों के शमन के लिए वृक्ष देवता की पूजा करना, भूत, चुड़ैल आदि में विश्वास करना, मूठ मारना इत्यादि अनेक अंधविश्वास इनके जीवन में दीर्घ काल से जड़े जमाये हैं। दीपावली के चौदस के दिन प्रातः युवक युवतियाँ अपने अरोग्य की कामना के लिए कलाई पर 'डॉव' लगा लेते हैं।

आस्थाएँ - भिलाला समाज में कोई किसी पशु को अपना गोत्र चिन्ह मानता है तो कोई किसी पक्षी एवं पेड़ को अपने-अपने गोत्र चिन्ह को सभी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उसका उपयोग उपभोग दैनिक जीवन में वर्जित मानते हैं।

टोने टोटके - पूर्व जन्म के प्रति अटूट विश्वास हैं। मृत पूरखों की पूजा में अत्यधिक विश्वास करते हैं। भिलाला बोली में मृत पूरखे को 'खत्रियां' कहते हैं। लोक में कुछ देवी-देवताओं के भय के कारण तो कुछ को रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु पूजा जाता है। चेचक की बीमारी में बाल (केश), गधे की लीद, पोंछने का कपड़ा आदि की धूनी की जाती है। भिलालों में जाण-विद्या का अटूट विश्वास है। गाँव में भयंकर बीमारी फैलने, बीमार आदमी को ठीक करने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त मंत्र ज्ञाता होता है। जिसे बड़वा कहा जाता है। बड़वा प्रेतात्मा, चुड़ैल को मंत्र के माध्यम से भगाता है और आरोग्य की कामना करता है।

दिवासा - पासव ऋतु के प्रारंभ होते ही भिलाला श्रावण मास की अमावस्या को इन्द्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा मनाते हैं। गांव का कोटवार प्रत्येक घर से बाबदेव (दिवासा) के पूजन के लिए रूपया पैसा व अनाज मांगता है। संध्या समय बाबदेव के स्थान पर एकत्रित होते हैं। श्रावण में जनी गाय का दूध भी लाते हैं। बाबदेव को शुद्ध जल से स्नान कराकर तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं। बाबदेव के पूजन में कहीं-कहीं बकरे की बलि देने की प्रथा भी है।

भूर/गोट - भगोरिया प्रणय पर्व के बाद रंग और मस्ती का त्यौहार होली के पश्चात् सात दिन तक कहीं 'गोट' के रूप में तो कहीं 'भूर'। दोनों परंपराओं में भिलाला जनजाति के व्यक्ति सड़कों पर नाचते गाते हैं और आते जाते वाहनों को रोककर लोगों से पैसा मांगते हैं। पैसा लेना ये अपना अधिकार समझते हैं। विभिन्न भाव-भंगिमाओं में सजे आदिवासी पुरुष टोली में, कोई महिला परिधान एवं तत्संबंधी श्रृंगार किए रहता है। कोई रीछ आदि जानवरों सा बाना धारण किए रहता है, तो कोई मुँह पर कालिख पोतकर हाथों में धान झटकने का सूपड़ा लिए नाचता है। ढोल और परात लेकर बादक भी शामिल रहते हैं। इनकी थाप पर ही ये सदस्य गोल घेरा बनाकर नाचते हैं।

नन्हें बच्चों की भी टोलिया मांगने आती हैं। बच्चों के साथ डुगडुगी नामक वाद्य होता है। राह चलते वाहनों को ये लोग रोककर पैसा मांगते हैं। पैस न देने की स्थिति में राख या मिट्टी का घोल उड़ेलते हैं। कहते हैं - 'काय कोरजे ये तें हामरा गांडा दाहड़ा छे' अर्थात् क्या करें ये तो हमारे पागल दिन हैं।

भगोरिया - भगोरिया उत्सव का प्रारंभ होलिका दहन के सात दिन पूर्व से शुरू होता है। सुबह से ही ये लोग भगोरिया हाट स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। अविवाहित भील-भिलाले इस अवसर पर वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे होते हैं। भगोरिया उनका प्रणय पर्व है। वे हाट बाजार में टोलियां बनाकर घुमते हैं। भगोरिया के पहले आने वाले बाजार को 'गुलालिया हाट' इसके बाद वाले बाजार को 'भगोरिया हाट' भगोरिया के बाद वही हाट स्थल को 'उजाड़िया हाट' कहते हैं।

उजवणी - अच्छी वर्षा हो जाने से प्रसन्न मुद्रा से भिलाला किसान बोबनी तो कर देता है, लेकिन बोबनी पश्चात् फिर लंबे समय तक वर्षा नहीं होने पर किसान बैचैन एवं चिंतित हो जाता है। गाँव के सभी स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे गाँव से बाहर उजवणी के लिए प्रस्थान करते हैं। यह पूजन मेघ के आगमन का स्वागत कहा जाता है। जब कोई मेहमान घर आता है, तो हम दरवाजे तक लेने जाते हैं तो फिर मेघ को लेने क्या हम गाँव की दहलीज तक नहीं जाएंगे। ऐसे विचार भिलालों में हैं। इस दिन गाँव से बाहर नदी, कुंआ, तालाब या बावड़ी पर डेरा डालकर मक्का गेहूँ के पानिये बनाते और खाते हैं।

नवाई - अलग-अलग गाँवों में अलग-अलग दिन अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाने वाला नवाई त्यौहार अपने आप में अनुठा है। नई फसल पकने के बाद ग्रामवासी यह पर्व मनाने के लिए पहले से ही एक दिन निश्चित कर लेते हैं, उस दिन हर घर में विशेष रूप से चावल बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम खेत में पका छोटा अनाज अथवा भूट्टे-ककड़ी बाबादेव (इन्द्र) के समक्ष चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद ग्राम में प्रतिष्ठापित देवी देवताओं को फसल की नई पकी हुई चीजें चढ़ाई जाती हैं। भिलालों में कहीं-कहीं राखी और नवाई एक ही दिन मनाते हैं।

दितवारिया - भारत देश त्यौहार का देश है। यहाँ पर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या इसाई वह प्रत्येक महीने कोई न कोई त्यौहार मनाता है, उसी प्रकार आदिवासी भिलाला

जनजाति समाज में वर्ष प्रारंभ होने पर सबसे पहले पर्व मनाया जाता है। वह पर्व है दितवारिया। दितवारिया दो शब्दों से मिलकर बना है 'दित' का अर्थ है दीपक या दीया 'वारया' का अर्थ है वार या दिवस अर्थात् कोई निश्चित दिन पर मनाने वाला त्यौहार। इस त्यौहार पर समाज द्वारा एक निश्चित दिन दीपक जलाकर कुल देवी-देवताओं की पूजा की जाती है।

दितवारिया भील भिलाला जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व वर्षा ऋतु के आगमन के साथ बोवनी के 15-20 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से किसान जल देवता (इन्द्रदेव) को पैगाम भेजते हुए निवेदन करते हैं कि इस वर्ष फसल का उत्पादन पिछले वर्षों से अधिक हो और अच्छी वर्षा की कामना की जाती है। दितवारिया अधिकांश समाज के लोगों द्वारा रविवार को मनाते हैं। इस पर्व के दिन आदमियों द्वारा खेतों में जाकर बांस की डंडियों पर टूटा मटका, फटा जूता (विशेषकर मिर्ची एवं कपास वाली खेतों में) लगाया जाता है तथा बच्चों द्वारा आम की पतियां, खड़ी लाल मिर्च, प्याज आदि को रस्सी में गूँथकर मालाएं बनाकर घर के प्रत्येक दरवाजे पर लगा दी जाती हैं।

लोक संगीत - लोक संस्कृति, लोककला और लोकसंगीत की दृष्टि से भी भिलाला जनजाति अत्यधिक समृद्ध हैं। पावली भेरिया केन्द्रिया कुण्डी, कासे की थाली इनके संगीत के उपकरण हैं। जनजातीय संगीत जनजातीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। नृत्य के पदचाप और मुद्राएं उस संस्कृति के विविध पहलुओं को उजागर करती हैं। संगीत तनाव को दूर करने का एक साधन है। लक्ष्य की प्राप्ति का एक मार्ग है, तथा जनजाति समन्वय का एक सूत्र है। वह सामाजिक वर्ग तथा पहचान को बनाए रखने में भी उनकी सहायता करता है।

गधवानी तहसील के साली ग्राम निवासी श्री बलरामसिंह मण्डलोई कहते हैं 'जब भिलाला का मन संगीत की लहरियों में उतरने का होता है तब बांसुरी उठा लेता है। 'युवा भिलाले तो इसे बड़ी तन्मयता से बजाते हैं। बांसुरी को भिलाला जनजाति 'पावली' कहते हैं। वहीं दूसरी ओर केन्द्रिया बांस की चपटी चिपली से बनी होती है। इसमें एक धागा लगा होता है। केन्द्रिया मुख में रखकर बजाया जाता है। भिलाला में कला, धर्म, दर्शन, रीति-रिवाज, सोचना-विचारना और साहित्य आदि सब कुछ उनकी शक्तियां हैं। इनके पास लिपिबद्ध भाषा का आविष्कार न होने के कारण साक्षरता के अभाव में साहित्य की मर्यादा केवल वाणी तक ही सीमित है, उसका आधार सर्वथा मौखिक ही है। उनका संपूर्ण साहित्य उनकी देह के भीतर ही संचित है, स्मृति में या जिन्हा पर।

लोकवाद्य - भिलाला समाज के पर्व की मस्ती और उल्लास को बढ़ाने में विभिन्न वाद्ययंत्रों का भी खास योगदान है। जब ये वाद्य बजाये जाते हैं, तो इनकी मनमोहक थाप और ध्वनि न केवल आदिवासियों को वरन सामान्य जनता को भी थिरकने व भटकने के लिए मजबूर कर देती है। इनके वाद्य यंत्रों में मादल, ढाक, डमरू, ढोल, ढोलगी, तासे आदि का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रिय वाद्य 'ढोल' है जिसकी मधुर ध्वनि भगोरिया व पर्व त्यौहारों पर अपनी खनक के साथ सुनाई देती है। यंत्र का स्वर कान में मधुर रस घुलते ही नर्तकों के पैर थिरकने लगते हैं। ढोल को गले में रस्सी के सहारे लटकाकर बजाते हैं। ढोल पोली लकड़ी से बनाया जाता है, इसके दोनों ओर बकरे की खाल मड़ी जाती है।

लोकनृत्य - मन के भाव पैदा होने पर शरीर भी किसी न किसी क्रिया में साकार हो उठता है और उसी से अभिनय का सूत्रपात होता है। नृत्य को भिलाला में नाचणु, नाचणे, नाची लेजे आदि कहा जाता है। इनके नृत्यों में

विभिन्न रूप प्रचलित हैं। गीत गायन के साथ स्त्री पुरुष के अलग-अलग नृत्य परम्परा होती हैं। स्त्रियों का प्रसिद्ध 'गणगौर' नृत्य काफी प्रचलित है। नृत्यों में गरबा, आन्टयां, पाली आदि प्रमुख हैं। विवाह के अवसर पर नृत्य अधिक होते हैं, जो प्रायः ग्रीष्मकाल में होते हैं, जो पूरे क्षेत्र भिलाला समाज के लिए 'पिकनिक' मनाने का अवसर बन जाता है। ग्रामीण और जनजातीय लोक जीवन में सब रंग, रूपों, ऋतुओं और पर्वों के नृत्य हैं। वन पर्वत नृत्य संगीत तथा उमंग और मस्ती की पृष्ठभूमि के बिना आदिवासी जीवन का चित्र नहीं उभरता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोक मानस का स्तर प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान रहता है, केवल उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक है, तो कहीं कम होती है, तो कहीं गौण। सम्पूर्ण लोक की रचना लिखित एवं मौखिक रूप में प्राप्त होती है। किन्तु भिलाला जनजाति की संस्कृति मौखिक रूप से ही काल प्रवाह में बिखरी पड़ी है। इनकी लोक संस्कृति को मात्र सजोना है। लोकजीवन में लोकनृत्य, लोककला, लोकगीत, लोकवार्ता इत्यादि का

बड़ा महत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बलदेव मिश्र - भारतीय संस्कृति पृ. 3
2. डॉ. सत्सकेतु विद्यालंकार - भारतीय संस्कृति इतिहास पृ. 16
3. डॉ. हरवंशलाल शर्मा - परिशिष्ट-2 सूर और उनका साहित्य पृ. 13
4. आशीष भट्ट (2002) लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण और जनजातीय नेतृत्व पृ. 93
5. डॉ. एम.एल. वर्मा (1995) भीलों की सामाजिक व्यवस्था पृ. 25 व 26
6. डॉ. शिव कुमार तिवारी (1984) म.प्र. के आदिवासी पृ. 243
7. पी.सी. खरे (1976) भारतीय समाज एवं संस्कृति पृ. 66
8. श्री बलरामसिंह मण्डलोई गंधवानी से भेट।
9. श्री भेरूसिंह डावर निसरपुर से भेट।
10. श्री रइत्या डावर निसरपुर से भेट।

मुनि श्री प्रमाणसागर और 'ज्योतिर्मय जीवन'

डॉ. गणेश लाल जैन * सतीश शर्मा **

प्रस्तावना - जैन सिद्धान्तों में छुपे वैज्ञानिक तथ्यों को अपनी सरल वाणी से जन जन तक पहुंचाने वाले मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज स्वयं को जैन धर्म का एक विद्यार्थी मानते हैं तथा अपने ज्ञान को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद मानते हैं। ऐसे पूजनीय, ज्ञान के भंडार, शंकाओं का समाधान करने वाले मुनि श्री का जीवन परिचय इस प्रकार है।

प्रारंभिक जीवन - जिन्हें आज संपूर्ण विश्व मुनि श्री प्रमाण सागर जी के नाम से जानता है, उनका जन्म झारखण्ड के हजारीबाग जिले में खंडेलवाल दिगंबर जैन के श्रावक श्रेष्ठी श्री सुरेन्द्र कुमार जी तथा श्रीमती सोहनी देवी जी के घर 27 जून 1967 को हुआ। गृहस्थ जीवन में मुनिश्री के दो भाई और एक बहन हैं। एक समय था जब अल्प आयु में अंतर्यात्रा की ओर उन्मुख होने वाले मुनि श्री के भीतर धार्मिक संस्कार के 1 गुण भी समाहित नहीं थे, लेकिन श्री सम्मैद शिखर में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक झलक ने उनके जीवन के लक्ष्य को ही बदल दिया। आचार्य श्री को आहार लेते देख कुछ ऐसा आकर्षण रहा कि 3 दिनों तक मुनि श्री पढ़ाई लिखाई छोड़ कर गुरु चरणों में लगे रहे। नवापारा राजिम और रायपुर में दर्शन के पश्चात् कुछ समय बाद भिलाई में गुरुदेव से भेंट हुई एवं 4 मार्च 1984 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सौभाग्यवश मुनि श्री को आचार्य श्री के संग में ब्रह्मचर्यव्रत के साथ प्रवेश मिला।

दीक्षा उपरांत - मुनि श्री पढ़ते समय काफी तर्क-वितर्क करते थे एक बार यह तर्क सुनकर एक ब्रह्मचारिणी साध्वी ने कहा यह तो शंका के सागर हैं तब गुरुदेव ने कहा यह शंका के नहीं प्रमाण सागर है। इस प्रकार दीक्षा पूर्व ही मुनिश्री को नाम मिल गया। आचार्य श्री के सानिध्य में 8 नवंबर 1985 को क्षुल्लक दीक्षा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ स्थित सिद्धक्षेत्र आहार जी में हुई। क्षुल्लक दीक्षा के लगभग 2 साल बाद अतिशय क्षेत्र थूबोन जी में ऐलक दीक्षा के 1 वर्ष बाद ही भगवान महावीर जयंती के पावन दिवस पर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में मुनि श्री ने आचार्य श्री से मुनि दीक्षा ग्रहण की। इनके आचार्य श्री के सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में मुनि श्री ने आचार्य श्री से मुनि दीक्षा ग्रहण की। इनके आचार्य श्री के साथ पांच चातुर्मास संपन्न हुए। सन 1990 से 1998 के बीच मुनिश्री लगातार अस्वस्थ रहें, इस दौरान पीलिया (जॉन्डिस), शीत ज्वर (मलेरिया) एवं मियादी बुखार (टाइफाइड) जैसी बीमारियों से शरीर घिरा रहा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी तप और संयम का पथ नहीं छोड़ा मुनि श्री की साधना लगातार चलती रही।

विशेष योगदान - मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में 2015 में 'सल्लेखना' के विरोध में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विष्वव्यापी धर्म बचाओ आंदोलन नाम से एक महा अभियान चलाया गया, जिसके

अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के समर्थन में जैन समाज के लगभग एक करोड़ लोगों ने एक करोड़ बार नमोकार मंत्र का जाप किया। सल्लेखना विषय पर होने वाले विवाद के बारे में मुनि श्री ने कहा कि: 'सल्लेखना आत्महत्या नहीं है, जैन धर्म में आत्महत्या को पाप का दर्जा दिया गया है। हर धर्म के लोग अपने-अपने तरीके से तपस्या करते हैं और सल्लेखना जैन अनुयायियों के लिए आत्म शुद्धि का मार्ग है।'

मुनिश्री के दिशानिर्देशन में 1997 से 1999 के बीच मांस निर्यात के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी-बड़ी रैलियां निकाली गईं एवं मांस निर्यात पर रोक लगाने एवं गौशाला खुलवाने पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश विधानसभा में सरकार ने एक शासकीय संकल्प पारित किया जिसके तहत मांस निर्यात एवं यांत्रिक बूचड़खानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। 1999 में मनुष्य के मार्गदर्शन में सामाजिक कुरीतियों पर हमला बोलते हुए कुछ और मुहिम शुरू की गईं जिसमें मुख्य रूप से रात्रि कालीन भोजन, रात्रि विवाह एवं मृत्यु भोज को बंद कराने पर विशेष जोर दिया गया।

मुनि प्रमाणसागर जी का कृतित्व - मुनि श्री की पहली कृति के रूप में 'जैन धर्म और दर्शन' प्रकाशित हुई जिसे लोगों द्वारा बहुत सराहा गया। यह एक जटिल विषय है, किंतु मुनि श्री ने इस पुस्तक में तथ्यों का बहुत ही सरलता से वर्णन किया। 1997 में सागर चातुर्मास के दौरान मुनिश्री ने जैन तत्व विद्या पर पुस्तक लिखना शुरू किया जो लगभग 2 वर्षों बाद पूर्ण हुई। इस पुस्तक में मुनि श्री ने जैन तत्व सिद्धान्तों को विश्व के ग्लोबल परिस्थिति के अनुसार बहुत ही सरल ढंग से एवं वैज्ञानिक ढंग से समझाया है, यह मुनि श्री की सर्वोच्च कृतियों में शुमार है।

प्रमाणसागर जी की प्रमुख कृतियां

- सुखी जीवन की राह
- जीवन उत्कर्ष का आधार
- जीवन की संजीवनी
- घर को स्वर्ग कैसे बनाये
- दिव्य जीवन का द्वार
- धर्म साधिये जीवन में
- प्रामाणिक कहानियां - 4
- प्रामाणिक कहानिया - 1
- प्रामाणिक कहानिया - 2
- प्रामाणिक कहानिया - 3
- मर्म जीवन का

- मर्म जीवन का (भाग-2)
- कर्म जीवन का
- ज्योतिर्मय जीवन

ज्योतिर्मय जीवन की संक्षिप्त समीक्षा - जो भी शुभ है, वह जीवन को ज्योतिर्मय बनाता है, जबकि अशुभ से जीवन में अन्धकार छा जाता है। हमें वही आलेख या प्रवचन पढ़ने-सुनने चाहिये, जो जीवन को प्रकाश से भर दें। सारी अच्छाईयां ही जीवन का प्रकाश हैं। पूज्य मुनिश्री की यह कृति अथ से इति तक 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' स्वर्णिम सूत्र को पकड़कर ही आगे बढ़ी है। मानव-जीवन को सुन्दर, सुपथगामी और सुखी बनाने की चेष्टा दिखाई देती है- पूज्य मुनिश्री अपने अमृत प्रवचनों में।

अहिंसा के महत्व को बताते हुए मुनि श्री प्रमाण सागर जी का कथन है कि -

1. 'अहिंसा मनुष्यत्व की प्रथम पहचान और मनुष्य की मौलिकता उसकी निजता का जीवन सूत्र है।'¹
2. 'अहिंसा की पावनता को अपनाकर ही हम आध्यात्म की गहराई में उतर सकते हैं।'²

मुनि श्री अनेकान्त को लक्ष्य करके कहते हैं कि 'अनेकांत अनिर्णय नहीं है, अनेकान्त है वस्तु का साम्यक बोधा।'³

परिस्थितियों को बदलना संभव नहीं है किन्तु उनके अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदल कर सुख का अनुभव करना मुनि श्री ने कई उदा. देकर समझाया है।

अर्थ की अनियंत्रित इच्छाओं के विषय में मुनि प्रमाण सागर जी कहते हैं - 'यह अर्थ हमें भौतिक रूप से संतुष्ट कर सकता है, परन्तु पारमार्थिक सन्तुष्टि तीन काल में भी अर्थ से प्राप्त नहीं हो सकती है।'⁴

मुनि श्री ने इच्छाओं के विषय में कहा है -

'खूब तरशायी है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे।

अब तू इन ख्वाहिशों को, खुद तरशती छोड़ दे।'⁵

मुनि श्री चरित्र निर्माण पर विशेष बल देते हैं इस विषय में उनका कहना है - 'जीवन का विकास बाह्य संसाधनों से नहीं, चरित्र के विकास से ही संभव है, क्योंकि चरित्र जीवन भी मूल सम्पदा है।'⁶

मुनि श्री ने आहार के विषय में भी कहा है-

'शाकाहार पूर्णतः शांतिकारक और हानि रहित है। यह व्यक्ति को सुखी और समृद्ध बनाने वाली जीवन शैली है। इसके विपरीत मांसाहार अनेक रोगों को जन्म देता है।'⁷ मुनि श्री ने शाकाहार की इस प्रकार परिभाषित भी किया है।

शा - शांति
का - कारक
हा - हानि
र - रहित

समाज के उत्थान के लिए मुनि श्री कहते हैं कि -

'बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं,

बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं।

नया नक्सा बनाना है, समाज का अगर,

जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं।'⁸

'सधर्मी वात्सल्य के संदर्भ में जहाँ एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता है वही एक दूसरे के समादर करने की भी अपेक्षा है।'⁹

वात्सल्य का भाव जगाओ,

सधर्मी को गले लगाओ।।

सेवा भाव के लिए मुनि श्री विशेष बल देकर कहते हैं कि -

तड़फता देखता हूँ, जब कोई है।

उठा लेता हूँ, अपना दिल समझकर।।

'हम पत्थर की मूर्तियों की दो-दो घण्टे पूजा करते हैं लेकिन जीवित भगवानो की सदा उपेक्षा करते हैं।'¹⁰

प्राणी सेवा के लिए मुनि श्री कहते हैं- 'भगवान की पूजा से पुण्य मिल सकता है, पर प्राणी सेवा से न केवल पुण्य मिलता है, पुण्य की प्राप्ति के साथ-साथ आनन्द और सुख भी मिलता है। प्राणी सेवा करने के बाद व्यक्ति से जो सुख और संतोष मिलता है उसे कहा नहीं जा सकता। वह तो मात्र अनुभवगम्य है।'¹¹

भूखा-प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या?

दुःखिया पास पड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या?

दुःखियों के दुःख देखकर, आँसू चार बहायाकर।

प्रेमी बनकर, प्रेम से ईश्वर के गुण गाया करा।।

मुनि श्री ने आत्मानुशासन के प्रबल समर्थक हैं। वह अपने अनुशासन को ही जीवन की सफलता का सूत्र मानते हैं।

मुनि श्री ने आत्मानुशासन के प्रमुख पाँच सूत्र बताए हैं-

1. आत्मानुशासन का पहला सूत्र है - आत्मा नियंत्रण
2. आत्मानुशासन का दूसरा सूत्र है - 'दूसरो के कार्यों में अपनी प्रतिबद्धता का आरोपण करना बन्द कर दें।'
3. आत्मानुशासन का तीसरा सूत्र - स्वयं प्रतिबद्ध होकर रूपान्तरण करना।'
4. आत्मानुशासन का चौथा सूत्र- 'सत्संग।'

'स्वभाव पर नियंत्रण पाने या उसे बदलने का एक सशक्त निमित्त होता है - संतो का समागम या सत्संग'

'सत्संग' व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है।

5. आत्मानुशासन का पांचवा सूत्र है- 'संकल्प संकल्प में अद्भुत शक्ति है व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है।'

जुगनू जब तक निष्क्रिय बैठा रहता है, तब तक ज्योतिर्मय नहीं होता। जब वह उड़ता है, अपने पंखों को गति देता है, तभी वह चमकता है। किसी के व्यक्तित्व की दीप्ति का आधार भी जीवन की गतिशीलता ही है। जीवन की गतिशीलता का अर्थ है- अच्छाईयों के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते जाना। सद्विचार एवं सत्कर्म ही व्यक्ति को उंचा उठाते हैं, आगे बढ़ते या ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। ऊर्ध्वरोहण से वंचित जीवन अध्यात्म की दृष्टि से एक निष्क्रिय जीवन है और ऐसी निष्क्रियता अभिशाप है। पूज्य मुनिश्री प्रमाणसागर जी महाराज अपने प्रवचनों में भव्य जीवों को हमेशा ही जीवन को ऊर्ध्वगामी या समुन्नत बनाने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कृति में भी ऐसे ही कुछ प्रेरक सूत्र, जो जीवन को ज्योतिर्मय बना सकते हैं, हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। बीच-बीच में छोटे-छोटे उदाहरणों और प्रसंगों ने इस कृति को किसी रमणीय कथा की तरह रोचक, सरस एवं पठनीय बना दिया है।

मुनि प्रमाण सागर जी वास्तव में वर्तमान समय में सूर्य के समान हैं जो अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति के अंतर्मन के अंधकार को नष्ट कर, जन-जन के जीवन को ज्योतिर्मय बना रहे हैं वे युग दृष्टा हैं जो समाज के वर्तमान और भविष्य के प्रति चिंतित हैं इसी कारण मुनि श्री सदैव समाज के उत्थान के लिए कार्यरत हैं एवं समाज को नई दिशा देने हेतु प्रयासरत हैं। उनका संपूर्ण साहित्य इसी बात का परिचायक है कि ना केवल जैन धर्मावलंबी अपितु संपूर्ण मानव समाज, मानव मूल्यों को अपनाकर भौतिक व क्षणिक

उपालंभो से बचकर दिव्य और आत्म ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाएं। मुनि श्री प्रमाणसागर जी ने अपनी कृति 'ज्योतिर्मय जीवन' में नौ शीर्षकों में अपने प्रवचन के माध्यम से समाज को संयमित होने का मूल मंत्र दिया है। मुनि श्री ने अपनी इस प्रवचन श्रृंखला में गृहस्थ जीवन में रहकर किस प्रकार मानवता के श्रेष्ठ मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए नौ शीर्षकों के रूप में जीवन के नौ सूत्र समाज को दिए हैं जिससे अपना समाज निश्चित ही 'ज्योतिर्मय' बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - आत्मौपम्य दृष्टि, अहिंसा की सृष्टि-पृ./3
2. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - आत्मौपम्य दृष्टि, अहिंसा की सृष्टि-पृ./3
3. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - आग्रह छोड़ें अपेक्षा जोड़ें पृ./21
4. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - इच्छाओं का करे नियंत्रण पृ.-35
5. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - इच्छाओं का करे नियंत्रण पृ.-36
6. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सुचरित्र का आधार, सम्यक संस्कार पृ.-53
7. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सात्विक आहार, सुख का आधार पृ./67
8. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सधर्मी को गले लगाओ पृ./77
9. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सधर्मी को गले लगाओ पृ.-84
10. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सेवा ही पूजा है पृ.-93
11. ज्योतिर्मय जीवन - मुनि प्रमाणसागर - सेवा ही पूजा है पृ.-92

हिन्दी साहित्य में जीवन मूल्य का महत्व

डॉ. विनय कुमार सोनवानी *

प्रस्तावना - वास्तव में मूल्य की सार्थकता उसी समय तक है जब तक वह मानवीय आवश्यकता की सन्तुष्टि करे और यदि उसकी अर्थवत्ता समाप्त होती है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तात्पर्य स्थूल रूप में मूल्यों में मानवीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है। समाजशास्त्रीय शब्दकोश में मूल्य की परिभाषा इस प्रकार है - 'किसी वस्तु की मानवीय आकांक्षा को पूरी करने वाली विश्वस्त योग्यता किसी वस्तु का वह गुण जो व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के लिए उसे रुचिकर बनाता है। उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य शब्द धीरे-धीरे अपनी गरिमा के आधार पर व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। मूल्य का सम्बन्ध केवल बाह्य और भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहा अपितु यह शब्द जीवन के सत् पक्षों के साथ जुड़कर आन्तरिक जगत् (भाव-जगत) से स्थापित हुआ।

मूल्य उन्हीं व्यवहारों को कहा जाता है, जिनमें मानव जीवन का हित समाविष्ट है जिनकी रक्षा करना समाज अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता है। मूल्य एक प्रकार की शाश्वतता का बोध कराते हैं। ये जीवन के आदर्श एवं सर्वसम्मत सिद्धान्त होते हैं। मूल्य उस सर्वसम्मत व्यवहार को कहते हैं, जिसे अपना कर कोई जाति, धर्म या समाज सार्वजनिक जीवन को सुन्दर बनाने का नियोजन करता है। मूल्य सामाजिक मान्यताओं के साथ बदलते रहते हैं किन्तु उनमें अन्तर्निहित मंगलकामना और सार्वजनिक हित की भावना कभी तिरोहित नहीं होती। नये परिवेश में पुरानी मान्यताएँ जब कालातीत हो जाती हैं तो समाज नयी मान्यताओं को स्वीकार कर लेता है और वे ही मान्यताएँ 'मूल्य' बन जाती हैं।

मूल्य परम्परा का प्राणतत्व है। प्रत्येक समाज में परम्परागत व्यवहार और मान्यताएँ नदी के प्रवाह की तरह सतत चलती रहती हैं। जिस प्रकार नदी के मूलप्रवाह में यत्र-तत्र अनेक धाराएँ आ मिलती हैं परन्तु मूलधारा विस्तार पाकर संस्कारों में नये व्यवहार स्रोत आ मिलते हैं उसी प्रकार नयी परम्पराएँ और रूढ़ियाँ अस्तित्व में आती रहती हैं। पुरानी मान्यताएँ अपना अस्तित्व खोती जाती हैं, पर मूलधारा का प्रवाह नहीं टूटता, यह मूलधारा परम्परा कहलाती है। मूल्य इसकी शाश्वत मान्यताएँ हैं।'

जीवन मूल्य के संदर्भ में हिन्दी के रचनाकारों की मान्यताएँ उपयुक्त लगती हैं।

डॉ. देवराज के अनुसार - 'मूल्य होते हैं जिनकी मनुष्य कामना करता है। चरममूल्य उन वस्तुओं, स्थितियों तथा व्यापारों अथवा उनके उन विशिष्ट पहलुओं को कहते हैं जो मनुष्य की सार्वभौम संवेदना को आवेगात्मक अर्थवत्ता देते हुए दिखाई देते हैं।'

डॉ. प्रभाकर माचवे का कथन है कि - 'मानवी क्रियाओं में, आचार व्यवहार में, अच्छाई या शिवत्व का मूल्य क्या है? यही नीति शास्त्र का

विषय है।'

डॉ. मुखर्जी के अनुसार - 'किसी भी समाज में सभी मूल्य स्वीकार नहीं किये जाते। मान्यताएँ और परिस्थितियाँ जिस प्रकार की होंगी, उसी प्रकार मूल्य की स्वीकृति होगी।'

डॉ. आनन्द प्रकाश दीक्षित के अनुसार - 'मेरे लिए आदर्श या उदात्त लक्ष्य के अभाव में किसी 'मूल्य' जैसे शब्द की धारणा संभव नहीं है। 'मूल्य वह है कि जिसके पीछे हम चलना चाहें जिसे हम उपलब्धि के योग्य समझें, जिसे जीवन में महत्व दे सके।'

श्री प्र.ग. सहस्रबुद्धे के अनुसार - 'उन्नतिशील व्यक्ति एवं राष्ट्र की कुछ कसौटियाँ हैं। उन कसौटियों पर जो खरे उतरे वे ही तर गए, जीवन की परीक्षा में वे उतीर्ण हुए। जिन्हें आवश्यक गुणांक मिल न सके वे फिसल गए, अनुत्तीर्ण हुए। ये जो आवश्यक गुण हैं उन्हीं को श्रीमद्भागवत गीता में 'देवी सम्पन्न' के नाम से सम्बोधित किया गया है। आधुनिक परिभाषा में इन्हीं को 'जीवन मूल्य' कहते हैं।'

हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार - 'मूल्य और प्रतिमान समानार्थी शब्द हैं। दोनों ही मानव निर्मित कसौटियाँ हैं, जिनके सहारे साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य के कुछ वैयक्तिक व्यवहार होते हैं, परन्तु समाज, नगर, प्रदेश, प्रान्त, राष्ट्र और समाज का सदस्य होने के नाते उसे कुछ सामाजिक बन्धनों को स्वीकार करना पड़ता है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि मूल्यों का जैसे व्यक्तिगत संदर्भ में महत्व है उसी प्रकार सामाजिक संदर्भ में वे महत्वपूर्ण हैं। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण मूल्यों के जीवन संदर्भ में ही क्रियान्वयन की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। भारतीय आचार्यों और ऋषिमुनियों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने और परमानंद की प्राप्ति के लिए जिन पुरुषार्थों की रचना की हैं, उसे ही भारतीय दर्शनशास्त्र में मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनका पालन करके मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को सुखी बनाता है। पुरुषार्थ का सामान्य अर्थ है - धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। इन चारों पुरुषार्थों के आधार पर ही भारतीय जीवन टिका हुआ है और इन्हीं के अनुसार जीवन जिया जाता है।

भारतीय समाज में परम्परा और नये मूल्यों का संघर्ष प्रबलता से अनुभव किया जा रहा है। आज का व्यक्ति संघर्ष को झेल ही नहीं रहा वरन् इसमें से राह पाने का प्रयत्न कर रहा है। आज समाज में नये-नये मूल्य निर्माण हो रहे हैं, पुराने मूल्यों पर संकट आ रहे हैं। विज्ञान पर विश्वास रखने वाले लोग रूढ़िगत मान्यताओं को कम महत्व देने लगे हैं। प्राचीन काल में विवाह संस्था की पवित्रता स्वीकार की गई थी, समाज में लोगों की विवाह के प्रति अनुकूल धारणा विद्यमान थी, अतः विवाह समाज में महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में स्वीकृत

था लेकिन आज विवाह के बन्धन शिथिल होने लगे, विवाह-विच्छेद को इतना बुरा नहीं माना जाता, वैवाहिक सम्बन्धों में पड़ती हुई दरार ने विवाह की अनिवार्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अनेक पुरुष और स्त्रियाँ अविवाहित जीवन जीने में रुचि दिखाने लगे हैं। हर समाज तथा संस्कृति की भिन्न-भिन्न जातीय विशेषताएँ होती हैं जो मूल्य संस्कार को निरन्तर रूप प्रदान करती रहती हैं। जीवन की सहजता स्वयं एक मूल्य है। हमारी सभ्यता ने हमारे ऊपर इतने कृत्रिम अवधारणा डाल रखे हैं, कि हम मनुष्य की तरह जिन्दगी न जीकर यंत्र की तरह जीते हैं। हमारे पाप-पुण्य दोनों बनावटी हो गये हैं और हम बनावटी हो गये हैं। किसी चीज को सही समझकर उसे सही नहीं कर पाते, धीरे-धीरे बनावटी जीवन-मूल्यों और पद्धतियों को ओढ़ बैठे हैं। मूल्य दैविक चमत्कार की भाँति अचानक उत्पन्न नहीं होते हैं। मूल्यों का विकास समाज के साथ-साथ हुआ है। मनुष्य बनता है, बिगड़ता है।

निष्कर्षतः मूल्यों की अनिवार्य परिणति मानवीय सम्बन्धों को पुष्ट करने में होती है। मूल्यों का महत्व मानव जीवन में असाधारण है चाहे समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण सामाजिक विघटन के साथ मूल्य टूटते हैं बनते हैं तो भी उनकी स्थिति हमारे जीवन में अनिवार्य है।

साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन का जटिल इतिहास ही साहित्य का प्रमुख विषय है। जीवन ही साहित्य बनाता है, इसीलिए जीवनमूल्यों का और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन के शाश्वत मूल्य सत्यं, शिवं, सुन्दरम् तीनों की सामंजस्यपूर्ण प्रतिष्ठा ही सफलता की पराकाष्ठा है। सत्यं उसकी आधार भूमि है, शिवं उसका लक्ष्य और सुन्दर उस लक्ष्य तक पहुँचने का साधन है, 'हितेन सह सहितं' कहकर साहित्य शब्द के व्याख्याकारों ने उसमें स्वयं कल्याण भावना की प्रतिष्ठा की है। साहित्य स्थापित जीवन मूल्यों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर अपनी प्रणाली से देता है। जीवनमूल्य परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनमान स्थितियों को उस समय का रचयिता अथवा साहित्यकार अपनी अन्तर्दृष्टि से देखता है। प्रचलित मूल्यों को अस्वीकारण कर नये मूल्यों की रचना करता है। इस दृष्टि से 'साहित्य के मूल्य जीवन के मूल्यों के विरोधी नहीं हो सकते। भारतीय बुद्धिवादी जीवनमूल्यों को साहित्य की सर्वोच्च कसौटी मानते हैं।'

साहित्य को मानव समाज के लिए उदात्त विचारों तथा तत्त्वों का विवेचन करना होता है। 'मूल्य' शब्द की समाज-कल्याण या मानव हित वाले अर्थ तक ही सीमित नहीं रहता है। वह तो साहित्य में 'शिव' के साथ-साथ सत्य और सुन्दर' को भी समाहित करता जाता है। जीवन लक्ष्य से जुड़े हुए जीवनमूल्यों की पहचान हम साहित्य के जरिए कर सकते हैं।

आज की कहानी ने काल्पनिकता को त्यागकर 'सत्य' को अपना विषय बनाया है। यह सत्य हमारी रूढ़ियों, परम्पराओं, मान्यताओं, रीतिरिवाजों के साथ साथ मूल्यों से जुड़ा है। टूटते हुए पारिवारिक सम्बन्ध, बनते हुए नवीन सम्बन्ध नारी आर्थिक संघर्ष, नारी का प्राचीन भावभूमि से निकलकर नवीन भावभूमि में प्रवेश मानव के अस्तित्व का प्रश्न इस परिवर्तन के कुछ आयाम हैं जो कहानी साहित्य में अभिव्यक्त हुए हैं।

साहित्यकार अनिवार्य रूप से समाज के प्रति समर्पित होता है। वह अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन-मूल्यों के माध्यम से इसी साहित्यकर्म के दायित्व की पूर्णता करता है। साहित्य की विविध विधाओं में से 'कहानी' विधा मूल्यों के प्रति उसके जन्मकाल से ही समर्पित रह चुकी है। कहानी का उद्गम ही इसी उद्देश्य से हुआ है। प्राचीन काल की कहानियाँ नैतिकता का प्रतिपादन करने वाली एवं उपदेशपूर्ण ही रही हैं। कहानी कला की दृष्टि से अविकसित होते हुए भी जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित रह चुकी है चाहे

भारतेन्दुकालीन कहानी से लेकर प्रेमचंदजी, प्रसादजी की कहानियाँ हों अन्तर सिर्फ इतना ही रहा है कि प्रेमचंदकालीन कहानियों में कहानीकार की दृष्टि आदर्शों पर अधिक टिकी है। अधिकतर कहानियाँ मानव चरित्र की उदात्तता चित्रित करती हैं और समाज सुधारकों की भाँति सुधारवादी दृष्टिकोण से निहित हैं। इस परम्परा में सुदर्शन, राधिकारमण प्रसाद सिंह और गुलेरी जी आदि आते हैं।

प्रेमचंदोत्तर काल में हिन्दी कहानी में नया मोड़ आया अब तक की कहानी आदर्शपरक-कल्पना पर आधारित थी किन्तु अब कहानी धीरे-धीरे यार्थ की ओर मुड़ी इस परिवर्तन के उन्नायक स्वयं प्रेमचंद ही थे प्रेमचंदजी का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण आगे चलकर हिन्दी कहानी में एक सर्वमान्य सत्य बन गया। प्रारम्भिक कहानी में मूल्यों का आग्रह जहाँ प्रत्यक्ष रहता था, वहाँ इस युग की कहानियों में यथार्थ के द्वारा मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया गया। वस्तुतः साहित्यकार बगैर जीवन मूल्यों का आग्रह ही हुए समाज को कुछ नहीं दे सकता। जहाँ वह सत्य की पराजय दिखाता है, वहाँ भी उसका उद्देश्य सत्य की वकालत करना ही होता है। चौथे और पाँचवें दशक की कहानियों में यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई है। प्रेमचंदोत्तर कहानी अनेक स्रोतों में जैसे सामाजिक, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन के अनेक आयामों को छूती है। इस काल के यशपाल, जैनेन्द्र, रागेय राघव, भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय और विष्णु प्रभाकर आदि रचनाकारों ने कहानी के इस धारा को प्रवाहित किया है और हिन्दी कहानी को एक नया मोड़ दिया है। कहानी विधा ने मूल्यों के प्रति अपनी आस्थाओं को प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष शैली में व्यक्त किया है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में धीरे-धीरे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आरम्भ हुआ। स्वातंत्र्य उपलब्धि ने जनता में नवीन आशा-आकांक्षाओं का नया संचार किया। स्वातंत्र्य प्राप्ति के प्रयासों से भारतीय जनता की एक ऐसी मानसिकता हो गई थी, जिसमें राष्ट्रनेताओं के प्रति अगाध विश्वास था कि स्वातंत्र्य मिलते ही देश की जनता को आर्थिक और सामाजिक मुक्ति मिलेगी परन्तु आजादी मिलते ही भारत विभाजन के रक्तंजित इतिहास ने सबसे पहले भारतीय जनता का मोहभंग किया, करोड़ों शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, देशी रियासतों के विलय का प्रश्न, यगों-यगों से टूटी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत और न जाने कितने ही प्रश्न जो भारतीय जनता से जुड़े हुए थे। उन्हें जिस आर्थिक व सामाजिक मुक्ति की आस्था थी वह पूर्ण न होते देखकर उनका धैर्य समाप्त हो गया। भारतीय जनता ने देश के जिन नेताओं की ईश्वर के समान मानकर पूजा की थी, वे नेता ही उनके लिए सबसे बड़े शोषक सिद्ध हुए। भारतीय राजनीति जीवन मूल्यों से निरन्तर दूर होती गई। 'राजनीति' नेताओं के लिए व्यापार बन गई। 'इन समस्त परिस्थितियों ने व्यक्ति को बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी और सामाजिक से वैयक्तिक बना दिया, व्यक्ति आत्मकेन्द्रित हो गई। वह स्वहित को ही सर्वोपरि समझने लगा। अवसरवादिता, स्वार्थान्धता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और स्वहित ने देश में गहरी अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। देशवासियों का नैतिक पतन और व्यर्थ की नारेबाजी ने गाँधीजी के रामराज्य को स्वप्न बना दिया, चारों ओर कुण्ठा, निराशा, संत्रास और दिग्भ्रम की स्थिति दिखलाई देने लगी थी।'

सन् 1960 तक आते-आते व्यवस्था के प्रति जनता का मोह टूटता ही चला गया इसीलिए सन् 1960 के आसपास का समय स्वतंत्र भारत ऐसा काल-बिन्दु माना जा सकता है जहाँ पर भारतीय जनता का चिन्तन ढंग बदलने लगा था, यहाँ आशा का स्थान निराशा ले रही थी। मोह के स्थान पर

मोहभंग उपरिस्थित होने लगा था और कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता का स्थान यथार्थ की कड़वाहट ने ले लिया था। इसी अव्यवस्था का परिणाम था कि देश में भाषावाद, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि को लेकर झगड़े शुरू हुए। इसी स्थिति को देखते हुए साहित्यकारों ने अपने साहित्य द्वारा जन-जागरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रयत्न किया और आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं ने और विकराल रूप धारण किया। इस संदर्भ में कमलेश्वर का कथन है - 'ऐसे ही समय में जबकि पुराने लेखकों के सृजन स्रोत सूख रहे थे और नया पाठक वर्ग बदलते हुए मानव-मूल्यों की अभिव्यक्ति चाह रहा था, नयी कहानी का उदय हुआ था।'

इस प्रकार सातवां दशक एक कसमसाहट के साथ प्रारम्भ हुआ; इसी के परिणामस्वरूप सातवें और उसके पश्चात के दशकों के साहित्य में नयी विचारधारा का जन्म हुआ उसी की अभिव्यक्ति नयी कहानी में हुई। जैसे तो सातवां दशक युद्धों से आक्रान्त रहा। हमारे बजट का अधिकांश हिस्सा 'सैन्य बजट' में समाहित होता गया इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं एक ओर औद्योगिकरण से जुड़ी रहीं और दूसरी ओर औद्योगिकरण के दुष्परिणाम के कारण हमारे पारम्परिक जीवन मूल्य लड़खड़ा गए। इनकी चर्चा करते हुए डॉ. शिवदान सिंह लिखते हैं - 'समस्त वैज्ञानिक तथा भौतिक प्रगति के बावजूद भारतीय जनजीवन स्वातंत्र्योत्तर काल में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक मूल्यहीनता, जड़ता का शिकार रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, विलासप्रिय नकली चेहरों तथा मुखौटों को सत्ता मिली, जनता के हिस्से लगी बेबसी, कायरता, गरीबी और उदासीनता। एक तो सैन्य बजट ने प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा दिया तथा भारी उद्योगों की स्थापना की इच्छा की, औद्योगिकरण ने निजी फैक्टरी में मुनाफा बढ़ाया। इससे काला धन भी बढ़ा और भ्रष्टाचार में व्यापकता भी आई। इस नवसमृद्ध ने नैतिकता को उतार फेंका और नयी पीढ़ी पश्चिमी रंग में रंग गयी। नगरीकरण ने वैयक्तिक विघटन को गति दी। महानगरों की विपुल जनसंख्या ने बेकारी और निर्धनता को बढ़ावा दिया, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्तमानकालीन स्थितियों में राष्ट्र, सरकारी कर्मचारी और मध्यमवर्ग के सभी मूल्य ध्वस्त हो गये। इन परिस्थितियों का घातक प्रभाव हमारी सामाजिक संरचना पर हुआ। सामाजिक परिवर्तन के इस क्रम में गाँवों की संस्कृति तेजी से समाप्त होने लगी, हमारे पारम्परिक जीवन-मूल्य ध्वस्त होने लगे। हमारी सामाजिक संस्थाएँ चरमरा उठीं। सम्बन्धों के लक्षण का प्रभाव परिवार के विघटन के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए इस युग के रचनाकारों ने परम्परागत गलित मूल्यों से मुक्ति पाकर नये मूल्यों को अपनाना चाहा जिनके द्वारा वह समता पर आधारित शोषण मुक्त और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की स्थापना कर सके। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण जीवन दृष्टि में आमूल परिवर्तन दिखाई देने लगा इस संदर्भ में डॉ. भैरूलाल गर्ग अपना मत प्रकट करते हैं - 'अब तक की स्थिति से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य, बंधुत्व, मानव समानता, न्याय, प्रेम, यौन सम्बन्ध ही वे मूल्य हैं जिनकी ओर नये कहानीकार का ध्यान आकर्षित हुआ है।'

स्वातंत्र्योत्तर काल में कहानी ने चाहे अलग-अलग नाम धारण किए जैसे नयी कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समान्तर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, फिर भी इन सभी कहानियों के कथ्य में समानता पायी जाती है। सामाजिक स्तर पर चरमरा उठे ढाँचे का चित्रण करना, परम्परागत जीवनमूल्यों, परिवर्तित स्थिति, समयगति के अनुसार नवीन यगसापेक्ष मूल्यों की प्रतिष्ठापना करना यही उद्देश्य कहानीकारों के रह चुके हैं। इस दिशा में पुरुष कहानीकारों के समान महिला कहानीकारों का

योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। प्रमुख रूप से महिला कहानीकारों ने पारिवारिक स्तर पर ढहते हुए जीवनमूल्यों की चर्चा समग्र रूप से अपनी कहानियों में की है। समाज का अभिन्न अंग परिवार है, संक्रान्तिकालीन परिवर्तित परिस्थितियों का मुख्य अभाव परिवार पर लक्षित होता हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंदजी ने यथार्थ के माध्यम से जिस आदर्श की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास किया है वह भी परिवर्तित परिस्थितियों में यथार्थ पर अधिक बल देने लगे थे। प्रेमचंदोत्तर काल की कहानियों में पारिवारिकता के चित्रण एवं ढहते हुए मानवीय मूल्यों की चर्चा अधिक होती रही। यद्ध की विभीषिका, औद्योगिकरण की अधिकता, पाश्चात्य जीवन प्रणाली का अंधानुकरण, मोहभंग, बेकारी, निर्धनता, शिक्षा प्रसार साधनों की कमी, स्वार्थीधता, संकुचितता आदि विविध घटकों ने पारिवारिक संस्थाओं को चुनौती थी।

साहित्य में चित्रित मूल्यों की चर्चा मानवजीवन को सही रूप में हमारे सामने प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय संस्कृति मूल्यों पर प्रतिष्ठित है। मनुष्य ने अपनी चिन्तन शक्ति द्वारा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए दया, क्षमा, शान्ति, परोपकार, सेवा, समर्पण, त्याग, उदारता आदि मूल्यों का आविष्कार करते हुए 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के रूप में शाश्वत मूल्यों की निर्मिति की है। उसी लक्ष्य में एकमात्र मानव जाति का 'कल्याण' निहित है। साहित्य में इन्हीं मूल्यों की चर्चा होती है। 'साहित्य' शब्द की व्युत्पत्तिजन्य संज्ञा में ही 'हितेन सह सहितम्' कहकर उपर्यक्त मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। 'मूल्य' शब्द मनुष्य के बाह्य जगत से लेकर आन्तरिक जगत के सत्य पक्ष का उद्घाटक है। विविध विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मूल्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः मूल्य शाश्वत होते हैं। वह एक सर्वसम्मत व्यवहार है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति, जाति-समाज-राष्ट्र अपने सार्वजनिक जीवन को सुन्दर बनाता है। मूल्यों की विशेषता है कि कुछ मूल्य शाश्वत हैं तो कुछ कालसापेक्ष और देशसापेक्ष हैं। भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की चर्चा की गई है वे ही जीवनमूल्य हैं। आज के वर्तमान युग में इन्हीं मूल्यों के अन्तर्गत अन्य विविध मूल्यों को जैसे सौन्दर्यात्मक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्यों को रखा गया है। मानव जीवन से सम्बन्धित, मानवजीवन के लिए महत्वपूर्ण वह मूल्य काल और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं। सामाजिक विघटन के साथ साथ यह मूल्य बनते हैं - टूटते हैं फिर भी इनका महत्व अक्षुण्ण है। हर एक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण करता है। भौतिक विकास आधुनिक नूतन जीवन दृष्टि, पाश्चात्य विचारप्रणाली के परिणामस्वरूप मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। विविध विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मूल्यों का वर्गीकरण किया है। जिनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि मूल्य हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है, इसीलिए मानव जीवन का यथार्थ चित्रण उसमें होने से उपर्यक्त मूल्यों की चर्चा साहित्यकार करता है। अतः मानवजीवन से सम्बन्धित जीवन मूल्यों की चर्चा भी साहित्य में होती है। 'कहानी' साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, इसीलिए कहानी के अन्तर्गत मानवीय जीवन से सम्बन्धित जीवन मूल्यों की अभिव्यक्तिपूर्ण चर्चा सूक्ष्मतरंग रूप में हुई है। साठोत्तरी काल की कहानी इन जीवन मूल्यों की चर्चा करने में अग्रसर हैं। हिन्दी कहानी साहित्य में संक्रान्तिकालीन विघटित परिस्थितियों ने कहानीकार को सामाजिक विघटनकारी स्थितियों का ब्यौरा अपनी रचनाओं में चित्रित करने के लिए बाध्य किया है।

निष्कर्षतः हिन्दी कथा साहित्य और जीवन मूल्य के प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में कहानी और उपन्यासों में मानवीय

जीवन मूल्यों को लेकर तीव्रतम विकास हुआ है। मनुष्य का आन्तरिक और वाह्य व्यक्तित्व उसके परिवेश से बनता है। प्राचीन काल में जीवन मूल्य धार्मिक था किन्तु आधुनिक काल में औद्योगिक और वैज्ञानिक जीवन दृष्टियों ने मानव-चेतना को कथात्मक मूल्यों का प्रमुख स्रोत बना दिया है। समग्रतः हिन्दी कथा साहित्य और जीवन मूल्यों का सृजन मनुष्य की चेतना करती है। यह सभी मूल्य कथा अवसर समाज की मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। मूल्यों के इन परिवर्तित रूपों में साहित्यिक मूल्यों को भी निश्चित रूप से प्रभावित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पृष्ठ 450, गणपति चन्द्र गुप्ता
2. समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं पद्धति, पृष्ठ 82, अनुवादक हरिश्चंद्र उप्रेती।
3. आठवें दशक की हिन्दी कहानी और जीवन मूल्य, पृष्ठ 13, रमेश देशमुख ।
4. हिन्दी कोश भाग- 1, पृष्ठ 658, डॉ. प्रभाकर माचवे ।
5. स्वाधीनता कालीन-हिन्दी साहित्य के जीवन मूल्य, पृष्ठ 16, सं. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ।
6. प्र.ग. सहस्रबुद्धे-जीवनमूल्य भाग 1, पृष्ठ 184
7. स्वाधीनता कालीन-हिन्दी साहित्य के जीवन मूल्य, पृष्ठ 16, सं. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ।
8. प्र.ग. सहस्रबुद्धे-जीवनमूल्य भाग 1, पृष्ठ 184
9. आलोचना-अक्टूबर-दिसम्बर, पृष्ठ 3
10. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी में सामाजिक परिवर्तन, प्र.सं. 1979, पृष्ठ 13 डॉ. भैरुलाल गर्ग ।

आधुनिक हिन्दी काव्य में गांधीवाद

डॉ अनुसुइया अग्रवाल *

प्रस्तावना - महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं विचारधारा थे, दर्शन थे। वे गुणों की खान थे। वे संस्कार थे- 'जीयो और जीने दो' के संस्कार के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और संस्कार वाहक के रूप में गांधी युगों तक जाने जाएंगे। श्रेष्ठ जीवन शैली के उदाहरण, स्वावलंबन, समसरता, सौहाद्र, अनेकता में एकता के समन्वय के लिए यदि किसी महापुरुष का नाम लिया जाता है तो वे गांधी हैं। सत्य और अहिंसा उनके दो बड़े शस्त्र थे। अपने असीम आत्मबल से इन दोनों को वे संचालित करते थे। सत्य ही उनका ईश्वर था और अहिंसा के वे प्रबल पक्षधर थे। गांधी एक सशक्त उदाहरण हैं, इन गुणों के। वे हमेशा कहा भी करते थे- 'खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।' अपने इस कथन को उन्होंने अपने जीवन में साबित किया। यही कारण है कि हमारे देश में महापुरुषों के विषय में जितना इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है, साहित्य और लोकसाहित्य में उससे तनिक कम नहीं है। साहित्यचेतना में सर्वाधिक उल्लेख गांधीजी, गांधीवादी विचारधारा और गांधीगिरी पर है।

गांधीवाद; उनकी विचार पद्धति का व्यापक नाम है। विचार करें कि गांधीवाद के इस परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कवियों के काव्य पर इस विचार पद्धति का क्या प्रभाव पड़ा और उनके साहित्य में किस रूप में यह परिलक्षित हुआ।

यह तो विदित है कि गांधीयुग से पहले साहित्य में जो समय बीत रहा था, उसे हम किसी हद तक दयानंद युग कह सकते हैं। दयानंद युग और गांधीयुग में मूलभूत भिन्नता थी; निराकार और साकार को लेकर। गांधीयुग निराकार और साकार के पचड़े से परे था तथा हिंदुओं की एकता उन लोगों के साथ भी स्थापित करना चाहता था जिनसे स्वामी दयानंद के साथ संघर्ष चला था। उस समय बंगाल में बंकिम युग चल रहा था; तब पं. प्रतापनारायण मिश्र ने 'हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान' का नारा दिया था। गांधीयुग के प्रभाव में आने से इस नारा ने अधिक उदार रूप ले लिया-

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में हैं भाई- भाई।

यह नारा गांधीयुग की देन है। सन् 1920 से 1950 के मध्य के लगभग सभी कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप में गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है। यद्यपि साहित्य में गांधी आज एक मिथक बन गए हैं तथापि लगभग तीन दशकों तक साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने प्रमुखता से अपना स्थान सुरक्षित किया। यही नहीं; भारतीय साहित्य की यवा पीढ़ी हमेशा से गांधी दर्शन से प्रभावित रही है। उनके रचे साहित्य पर गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। फिर चाहे मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' हो, माखनलाल चतुर्वेदी की 'पुष्प की अभिलाषा' हो, रामधारी सिंह दिनकर की 'मेरे नगपति मेरे विशाल' हो अथवा

सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झांसी की रानी' हो; सभी साहित्यिक रचनाएं गांधी दर्शन से ही प्रेरित रही हैं। कहीं यह प्रभाव गांधीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रशस्तिपरक काव्य रूप में है तो कहीं गांधीजी के विचारों, सिद्धांतों और संदेशों को पौराणिक या आधुनिक कथानकों के रूप में संजोकर प्रस्तुत किया गया है।

गांधी जी पर पहली कविता पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने 1953 ई. में लिखी- 'निःशस्त्र सेनानी।'

बहन- भाई, हां कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम,
पिता सुनते हैं श्री विश्वेश्वर, जननि? श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम।

देश? यह प्रियतम भारत देश, सदा पशु- बल से जो बेहाल,

वेश? यदि वृन्दावन में रहे कहां जावे प्यारा गोपाल।

द्रौपदी भारत माँ का चीर, बढ़ाने दौड़े यह महाराज,

मान लें, तो पहनाने लंगूँ, मोर- पंखों का प्यारा ताज।

और यह भी-

किंतु, क्या कहता है आकाश? हृदय! हुलसो सुन यह गुंजार।

पलट जाए चाहे संसार, न लूंगा इन हाथों में तलवार।

इस रचना के समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत नहीं आए थे। अर्थात् तब न तो गांधी महात्मा बने थे न ही सत्याग्रह का बिगुल ही उन्होंने बजाया था। जनता के मध्य 'कर्मवीर गांधी' के नाम से वे प्रसिद्ध थे किंतु माखनलाल चतुर्वेदी की सूक्ष्म दृष्टि ने पहचान लिया था कि गांधी अहिंसा के पुजारी हैं।

गांधीजी पर हिन्दी में दूसरी काव्य कृति की रचना स्वर्गीय पं. रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक' शीर्षक से की। यह वर्ष भारत में गांधीयुग का माना जाता है। पथिक के रूप में कवि ने गांधीजी की ही कल्पना की थी और गांधीजी जो कुछ कह रहे थे, उन सभी बातों को कवि ने अपनी काव्य कृति में पथिक के मुंह से कहलाई है-

अपना शासन आप करो, बस, यही शांति है, सुख है।

पराधीनता से बढ़कर जग में न दूसरा दुःख है।

मैथिलीशरण गुप्त ने गाँधीवाद को कर्म और सियाराम शरण गुप्त ने तत्व के रूप में लिया है। गांधीजी की दृष्टि में जो कुछ अशुभ है, असुंदर है, असत्य है या अशिव है वह सब अनैतिक है। जो शुभ है, जो सत्य है वही शुभ है, वही नैतिक है। गांधीजी की दृष्टि में वही सत्य, वही शिव और वही सुंदर है; गुप्त ने भी गांधीजी के पदचिन्हों पर चलकर 'साकेत' में सत्य को शिव और सुंदर में समाहित करके सबसे उंचा पद दिया है साथ में गांधीजी की तरह ही राम नाम के महात्म्य को उसके साथ संपृक्त कर परम तत्व पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है।

सत्य है स्वयं शिव, राम सत्य सुंदर है,
सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है।

कवि नरेश मेहता गांधीवादी विश्ववेदना और मानव का मानव से प्रेम के सिद्धांत से अभिभूत हुए। गांधीजी मानवता के राजपथ के महान पथिक और सबके लिए आदर्श स्थापित करने वाले श्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। उनका आचरण मानवीय व्यवहार के आचरणों की प्रयोगशाला रहा और उनका चिंतन मानवता के निर्देशों के सृजन का बीज उत्पादित करने वाला था। कवि नरेश मेहता के रघुनाथ, यधिष्ठिर आदि सब प्रज्ञा पुरुष के रूप में भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। 'महाप्रस्थान' में निर्वाण के लिए जाते अनासक्त यधिष्ठिर के पीछे पूरा पांडव दल चला जा रहा है। भीम युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि जब न्याय आपके पक्ष में था तो आपने कौरवों से राज्य पहले ही क्यों नहीं छीन लिया। इस पर वे भीम से कहते हैं-

भीम!

में राज्यान्वेशी नहीं
मूल्यान्वेशी रहा हूँ
राज्य जैसी अपदार्थता के लिए
सौ वर्ष के वनवास के बाद भी
कौरव हमें अपना अधिकार दे देंगे
तो सच मानो भीम!

में कभी यद्ध के लिए सहमत नहीं होता।

महात्मा गांधी की तरह यधिष्ठिर को भी मूल्यनिष्ठ जीवन स्वीकार था। महात्मा सदैव मानव मात्र के गहन आंतरिक विकास पर जोर दिया करते थे। वे समाज में संघर्ष के बजाय सामंजस्य का मार्ग चुनते थे। नरेश मेहता के नायक यधिष्ठिर को भी राज्यमोह नहीं था। वे राज्यान्वेशी नहीं मानवीय मूल्यान्वेशी थे। उन्हें निर्जीव राज्य के लिए निर्दोषों का रक्त बहाना अस्वीकार्य था। वे कौरवों का भी नाश नहीं चाहते थे क्योंकि वे राज्य से बड़ा मनुष्य को मानते थे और उन्हें मनुष्य की आत्मा में बसने वाले परमात्मा पर विश्वास था।

कवि रामधारी सिंह दिनकर की कलम ने भी ऐसे चरित्र को रेखांकित किया जो उपेक्षित और पीड़ित मानवता का प्रतिनिधि था। आजादी के आसपास का समय गांधीवादी विचारों के जयघोष का समय था। गांधीवादी सोच या विश्वबंधुत्व की भावना, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, मानवता आदि का पूरा प्रभाव जनमानस पर था। दलित, गिरिजन की सेवा, उनके उद्धार का प्रयास जन-जन की सोच में समाया था। दिनकर की 'रश्मि' में भी गांधीवाद की गहरी छाप थी। कवि का ध्यान बाद में उन चरित्रों पर गया जो वर्षों प्रताड़ित, दलित और पीड़ित रहे। कवि का कर्ण भी चुपचाप अन्याय सहने वाला सहनशील प्राणी नहीं अपितु अपने पौरुष के सहारे उत्थान करने वाला विद्रोही पुरुष है। कर्ण ने दलितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों के सामने अपना आदर्श रखा; उनमें नई चेतना जागृत की। तभी तो इस दलित नायक की मृत्यु पर युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कहते हैं-

मगर, जो हो, मनुज सुवरिष्ठ था वह
हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का
दलित तारक, समृद्धधारक क्रिया का,
मनुजता का नया नेता उठा है,
जगत से ज्योति का नेता उठा है।

महात्मा ने कहा भी कि मनुष्य-मनुष्य के बीच असमानता का, ऊंच-नीचपन का विचार बुरा है। लेकिन इस बुराई को मनुष्य के हृदय से तलवार

की धार के जोर पर नहीं निकाला जा सकता बल्कि अनुग्रह, सद्भावना और प्रेम की बुनियाद पर उसे पल्लवित-पुष्पित किया जाना होगा। कवि दिनकर के काव्य लेखन का उद्देश्य भी जाति भेद को नष्ट करना, समाज में समानता, एकता और बंधुत्व लाना तथा राष्ट्रपिता गांधी की नवचेतना का नवनिर्माण करना ही था।

नरेन्द्र शर्मा की कृति 'उत्तरजय' भी गांधीवाद के विचारों से अनुप्राणित है। गांधीवादी दर्शन हिंसा के बदले हिंसा को नहीं अहिंसा को प्रत्युत्तर के रूप में स्वीकार करता है। काव्य नायक युधिष्ठिर करुणा की मूर्ति है। वे जानते हैं, प्रेम से प्रेम और हिंसा से हिंसा बढ़ती है। इसलिए कृष्ण से कहते हैं-
यद्यपि जीवनशक्ति यज्ञ-शिक्षा कृष्णा है,
गुरुसुत से शोषित की मुझे नहीं तृष्णा है।
हिंसा से प्रतिहिंसा, रुकता ही नहीं चक्र,
वृत्र न अश्वत्थामा पांडुपुत्र नहीं शक्र।

कुंवर नारायण बैचन की 'आत्मजयी' गांधीजी के सत्य और अहिंसा से प्रभावित खंडकाव्य है। महात्मा गांधी ने जनजीवन में आचरण की शुद्धि पर पूरा जोर दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम और भातृभाव को सार्वकालिक जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार किया। मात्र सत्य और अहिंसा के हथियार के बलबूते दुर्धर्ष योद्धा सा उनके जुझारूपन को लक्ष्य करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हाइ मांस का बना हुआ ऐसा मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर हुआ होगा, इस पर आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें। अहिंसा में द्वेष का भाव होता ही नहीं। वह तो प्रेम की संपत्ति है। कुंवर बैचन के खंडकाव्य का नायक 'नचिकेता' आधुनिक विचारों से संपृक्त है वह पिता के हिंसा भरे यज्ञादि कर्मों से सहमत नहीं है। हिंसा से भरे यज्ञ, कर्म, अनुष्ठान को अस्वीकार करते हुए वह कहता है-

तुम्हारे इरादों में हिंसा,
खड्ग में रक्त.....

तुम्हारे इच्छा की हत्या होती है,

तुम समृद्ध होंगे

लेकिन उससे पहले

समझाओ मुझे अपने कल्याण का आधार

ये निरीह आहुतियाँ यह रक्त यह हिंसा।

ये अबोध तड़पन बीमार गायों का जनसमूह।

वहीं समाज के दलित, उपेक्षित वर्ग के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना रखते हुए कवि जगदीश गुप्त ने 'शम्बूक' जैसे काव्य लिखा। गांधी की तरह कवि ने घृणा को अनुचित माना और प्रेम को महत्व दिया। गांधीजी का मत था कि हिंसक उपायों से कभी भी दमनकारी कृत्यों, युद्ध या आतंक को नहीं रोका जा सकता। हिंसक उपाय शांति के नहीं अशांति के संवाहक हैं। शांति के लिए शांतिमूलक उपाय ही उचित हैं। गांधीजी के इन सार्वकालिक और सर्वदेशीय सुझावों और उपायों की गुंज जगदीश गुप्त के काव्य में सुनाई देती है। यहां कवि ने शम्बूक के माध्यम से दलितों के विरुद्ध आवाज उठाई ही है साथ ही वे अहिंसा के भी पक्षधर हैं-

मात्र हिंसा नहीं मानव न्याय
है अहिंसक और और उपाय

दण्ड के हैं और बहुत।

इसी प्रेम को शक्ति और हथियार के रूप में स्वीकार करते हुए, प्रेम के जरिए विश्वकल्याण की कामना करते हैं कवि ठाकुर गोपालशरण सिंह अपने काव्य 'विश्वगीत' में। वे लिखते हैं-

क्षेम का बस प्रेम ही आधार है,
विश्व विशुत एक ही परिवार है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि गांधीजी ने जीवन पर्यन्त ढाई आखर की महत्ता लोगों को सिखाई। वे इंसानी भेदभाव के खिलाफ थे और इंसानी लिबास की एकरूपता के पक्षधर थे। उन्होंने सदैव शांति की कामना की। यह उनका ही सामर्थ्य था, उनका ही आत्मबल, सत्य, अहिंसा में अडिग आस्था और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति था कि पराधीन भारत के पराभूत वैभव को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराया। इन मूल्यों के कारण ही उनका अवदान अप्रतिम माना जाता है। महात्मा के इन्हीं मूल्यों और विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन कवियों ने अपने साहित्य में मानवता की हिफाजत और वकालत की। कर्ण, शम्बूक, शबरी, नचिकेता आदि के चरित्रों में गांधीवाद

की छाप देखी। सत्य, अहिंसा, प्रेम जैसे तत्वों को पोषित, पल्लवित और पुष्पित करने का अवसर दिया तथा समस्त विश्व में शांति के दीपक की ज्योत जलाए रखने की अनुकरणीय, काव्यात्मक पहल की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर सरिता- वर्ष 09, अंक 4, अक्टूबर 2016
2. राष्ट्रवीणा- वर्ष 53, अंक 6, जून 2004
3. नरेश मेहता- महा प्रस्थान ।
4. दिनकर- रश्मि रथी ।
5. नरेन्द्र शर्मा- उत्तरजय ।
6. कुँवर नारायण बैचन- आत्मजयी ।

‘धरती धन न अपना उपन्यास’ में चित्रित दलित समाज का यथार्थ

नवनाथ सदाशिव पाटील *

प्रस्तावना - साहित्य और समाज का संबंध काफी पुराना है। साहित्य में समाज का यथा तथ्य चित्रण किया जाता है। समाज परिवर्तन के साथ साहित्य सृजन में भी परिवर्तन होता गया। पौराणिक, ऐतिहासिकता की जगह वर्तमान स्थिति पर चर्चा होने लगी। अपने युगीन परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं को लेकर रचनाकारों ने समाज की नींव को हिला दिया। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा सबसे सशक्त विधा मानी जाती है। आज उपन्यास विधा के माध्यम से समाज के यथार्थ अंकन को प्राथमिकता दी जा रही है।

साहित्य के माध्यम से समाज के सदियों से पिछड़ी जाति-जनजाति की, सामाजिक समस्याओं का लेखा-जोखा रचनाकर प्रस्तुत करने लगा जिससे लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। पुरानी परिपाठी पर चल रही वर्णव्यवस्था के भग्नावशेष आज भी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं। समाज का एक वर्ग सदियों से अशिक्षा, अन्याय-अत्याचार की चक्की में पीसकर बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे तबके को दलित विमर्श के रूप में साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुति दी।

हिंदी साहित्य में काफी अरसे से दलित एवं गैर दलित रचनाकारों ने दलितों की वास्तविक स्थिति का अंकन करते हुए दलित समाज को न्याय देने का प्रयास किया। गैरदलित रचनाकारों में जगदीशचंद्रजी का नाम सर्वोपरी लिया जाता है। दलित रचनाकारों ने अन्याय-अत्याचार से ग्रस्त जीवन स्वयं भोगा हुआ था। जिसके कारण उनकी रचनाओं में उसका अंकन उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति रही है। लेकिन गैरदलित रचनाकार जब ऐसा लेखन करता है, तो उसे दलित समाज से एकरूप हुए बिना यह असाध्य है। बचपन से ही जगदीशचंद्र दलित समाज से संबंधित रहे। उनके गाँव के समीप ही दलित बस्ती थी और लेखक अपने दलित मित्रों के घर आते-जाते, खाना खाते हिचकिचाते नहीं थे। उस समय से उन्होंने इस वर्ग की व्यवस्था-दयनीय अवस्था नजदीक से देखी थी। प्रगतिशील रचनाकार के रूप में जगदीशचंद्र ने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। कहानी, नाटक विधा की अपेक्षा उपन्यास विधा में उन्होंने सशक्तता के साथ लेखन किया। धरती धन न अपना उपन्यास एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें सदियों से दबे-कुचले, अत्याचारित दलित समाज की पीड़ा को जगदीशचंद्र ने अभिव्यक्ति दी है। वर्णव्यवस्था से उत्पन्न उच्चवर्गीय मानसिकता से आज भी यह तबका समाज के अन्य वर्गों से पिछड़ा हुआ है। अज्ञान एवं अंधविश्वास के कारण अमानवीय प्रवृत्तियों, अन्याय-अत्याचार का सामना कर रहा है। दलित लोगों को अपनी संपत्ति समझकर सवर्ण लोग उनका शोषण करते हैं। सदियों से शोषित, पीड़ित समाज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत उपन्यास में हुई है।

बचपन में लेखक जगदीशचंद्र दलित बस्ती में अपने मित्र अमरू के घर आते-जाते थे। कभी-कभी वहीं खाना खाते थे। लेकिन जब वे घर जाते थे। उनकी नानी उन्हें पहले स्नान करवाती फिर घर में लेती थी। घरवालों की ओर से लेखक को बार-बार वहाँ न जाने की हिदायतें दी जाती थी। इसके बावजूद भी लेखक जगदीशचंद्र दलित बस्तियों में चले जाते थे। उनके बालसुलभ मन में काफी प्रश्न उठते थे। दलितों की अवस्था एवं उनकी समस्याओं का वे निरीक्षण करते थे। पंजाब प्रांत में स्थित घोड़े वाहा नामक गाँव के दलितों की अवस्था का वर्णन प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने किया है।

धरती धन न अपना उपन्यास की कथावस्तु का प्रारंभ काली के गाँव आगमन से होता है। छह साल शहर में रहने से वह अपने दलित समाज में चेतना जगाने का प्रयास करता है। गाँव के सवर्ण चौधरी हरनामसिंह की दहशत को टुकराकर वह स्वाभिमानी जीवन जीना चाहता है। आर्थिक अभाव के कारण दलितों को अपने मालकियत की जमीन नहीं होती है। गाँव से दूर बस्ती बनाकर दलित लोगों को रहना पड़ता है। काली अपने पिता का पक्का मकान बनाने का अरमान पूरा करना चाहता है। उपन्यास की सभी घटनाएँ इसी के ईर्द-गिर्द घुमती नजर आती हैं। दलित युवक मंगू अपने ही लोगों की चापलूसी करता है। प्रस्तुत उपन्यास में काली और ज्ञानो के प्रेम की त्रासदी का अंकन किया है। काली से ज्ञानो पेट सी रहती है। काली उससे शादी करना चाहता है परंतु एक ही गोत्र होने के कारण समाज मान्यता नहीं देता है। लोक लाजवश ज्ञानो के घरवाले उसे जहर देकर मार देते हैं। जिससे विक्षिप्त होकर काली इधर-उधर घुमता है।

आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, बेरोजगारी, उम्र बढ़ जाने के कारण दलित समाज में विवाह की समस्या निर्माण होती है। शादी ब्याह में पुरानी मान्यताएँ, स्त्री भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियों की संख्या में गिरावट आयी है। जिससे आजकल विवाह समस्या बन गई है। ज्ञानो की माँ बेटी को जहर देनेके लिए मजबूर है। 'कई बार उसके जी में आया कि उस पुड़िया को नाली में फेंक दिया लेकिन जब यह सोचती कि सात आठ महिने के बाद उसकी कँवारी बेटी के बच्चा जन्म लेगा तो वह काँप जाती। स्पष्ट है कि कुमारी माता तथा उसके बच्चे के समाज स्वीकार नहीं करता है। अर्थिक विपन्नता, अज्ञान, मजबूरी के कारण दलित स्त्रियाँ गाँव के जमींदार, चौधरी, साहूकार आदि से अवैध संबंध रखती हैं। ऐसे में अवैध संबंध रखना आम बात मानी जाती है। अवैध यौन संबंध की जड़े इतनी फैली हैं कि गाँव का पुजारी लोटा भर खीर का लालच दिखाकर दलित स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखता है। अवैध संबंधों से उत्पन्न संतानों को कोई नहीं पूछता। अतः ऐसी संताने धीरे-धीरे चोरी, डकैती, लूटपाट से अपना जीवनयापन करती है।

* शिरगाव विद्यालय, चिरगाव, तहसील - चिपलूण, जिला - रत्नागिरी (महाराष्ट्र) भारत

अशिक्षा के कारण दलित समाज अंधविश्वासी बन गया है। बीमारी हटाने के लिए, बाढ़ रोकने तथा मनोकामना पूर्ण के लिए बलि देना, मंत्रिक को भूत-प्रेत उतारने के लिए बुलाना आदि अंधविश्वास प्रचलित है। प्रतापी चाची के बीमार पड़ने पर मंत्रिक को बुलाया जाता है। बाढ़ को रोकने के लिए बकरी की बलि दी जाती है। सदियों से दलित समाज शिक्षा से वंचित रहा जिससे वे अपनी परंपराएँ रूढ़ियों से चिपके हुए दिखाई देते हैं। तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, भूत-प्रेतों के यह समाज इतना आदि हो गया कि वे नए विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

दलित शोषण का मूलाधार जाति-व्यवस्था रही है। धरती धन न अपना' उपन्यास में सवर्ण चौधरी हरनामसिंह दलित जातियों का मानसिक तथा शारीरिक शोषण करता है। बेगार उठाना, मुफ्त में काम करवा लिया जाता है। चौधरी हरनामसिंह का भतीजा हरदेव चमारों से मुफ्त में मालिश करवा लेता है। चौधरी मुंशी जैसे लोग मुफ्त में जूते ले जाता है। मंगू अपने बाप ने लिए हुए पाँच-सौ रूपये के लिए चौधरी के यहाँ बेगारी करता है। दलितों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जाता है। भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि काम न मिलने से घर में शाम को चूल्हा तक नहीं जलता। भारत के विभिन्न भागों में जमीनदारी के कारण जमींदारों की स्थिति भिन्न-भिन्न रहीं हैं किंतु भूमिहीन मजदूरों की स्थिति पूरे देश में एक सी दिखाई देती है। खान-पान की इतनी दूर्दशा थी कि किसी दलित को पेट भर अन्न भी नहीं मिलता था। प्रतापी चाची की चिता से उठने वाली धी की महक सूँघते हुए प्रीतो कहती है, 'भाभी प्रतापी ने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो उसकी चिता पर भी देशी घी डाला गया है। हम एक हैं, जिन्होंने जीते जी भी देशी घी चख कर नहीं देखा।' इस कथन से दलित समाज की आर्थिक विपन्नता दिखाई देती है। धार्मिक दृष्टि से भी दलित समाज पीछड़ा हुआ है। एक समय था जब धर्म-परिवर्तन की होड़ सी लगी रही। इसका मूल कारण आर्थिक विपन्नता एवं हिंदू धर्म में फैला पाखण्ड था। धर्म बदलने से व्यक्ति की जाति में कोई बदलाव नहीं आता। धरती धन न अपना उपन्यास में नन्दसिंह चमार हिंदू धर्म से तंग आकर ईसाई बनता है। इस पर पंडित संतराम कहता है, 'कभी किसी दूसरे धर्मवाले को अपना धर्म बदलते हुए सुना है? धर्म जब भी बदलता है तो हिंदू ही बदलता है, क्योंकि उसे अपने धर्म-कर्म पर विश्वास नहीं रहा।' इस कथन से हिंदू धर्म के प्रति लोगों की उदासीनता स्पष्ट होती है। यह सत्य है कि देश में जितने भी धर्म-परिवर्तन हुए वे सब दलित, पिछड़ी जाति के ही लोग थे। सवाल यह उठता है कि, क्या धर्म-परिवर्तन समस्या का समाधान है? नन्दसिंह के धर्म-परिवर्तन को समाज मान्यता नहीं देता। डॉक्टर बिशनदास कहता है कि, 'धर्म बदलने से नन्दसिंह क्लेश-कैरेक्टर नहीं बदलेगा। सब धर्म पाखंड है। हर धर्म मजबूर तबके के लिए अफीम है। अफीम काली हो या भूरी, उससे क्या फर्क पड़ता है।

यह सही है आज धर्म अपना अस्तित्व, आचार, विचार खोया हुआ है। धर्म-परिवर्तन की समस्या आज भी समाज में व्याप्त है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में दलित एवं पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया। 'शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष' यह मंत्र दलितों ने अपनाया। भारतीय संविधान ने दलितों को सम्मान एवं विकास के अवसर दिए। परंतु भ्रष्ट राजनीति, अवसरवादी नेता लोग के कारण दलित राजनीति में पिछड़े जा रहे हैं। अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चमादडी के दलित बायकाट करते हैं। इसका नेतृत्व डॉक्टर बिशनदास करते हैं। वह केवल अपना काम दलितों से निकलवाना जानता है। बायकाट में खाने के लाले पड़ते हैं। भूख से बेहाल होकर चमादडी के सभी

लोग डॉक्टर बिशनदास से मदद माँगते हैं, लेकिन भूख से बेहाल लोगों पर दया नहीं आती। अतः निराश होकर काली कहता है, 'मुझे उम्मीद थी डॉक्टर हमारी कुछ मदद करेगा। वह रोज कहता है कि वह गरीबों के पक्ष में है। उनसे अनाज माँगा तो उसने जवाब दिया कि वह हमारे हक में जलसा करेगा। वह बहुत लंबी-चौड़ी बातें करता है जो मेरी समझ में नहीं आती।' स्पष्ट है आज अवसरवादी नेता लोग दलित एवं पिछड़ी जातियों को एक वोट बैंक के रूप में ही देखता है। उनके सुख दुख से कोई लेना-देना नहीं होता। आज कई ऐसी योजनाएँ दलित एवं पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार की ओर से की जा रही हैं। परंतु अशिक्षित दलित समाज ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार और अवसरवादी राजनीति जिससे यह योजनाएँ केवल कागज पर ही रहती हैं। छुआ-छुत प्रथा दलित समाज को लगा हुआ कलंक है। अस्पृश्यता के बारे में डॉ. महेश भटनागर के विचार दृष्टव्य हैं, 'छुआछूत हिंदू समाज की एक भयंकर सामाजिक बीमारी है। धार्मिक अंधविश्वासों द्वारा पोषित छुआ-छूत की भावनाएँ हिंदू समाज के अधिकांशजनों में व्याप्त हैं।' ये लोग चाहे अनपढ़ ग्रामीण स्त्री-पुरुष हो या पढ़े-लिखे नागरिक, दोनों अपने को इस सामाजिक कुरीति से मुक्त नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था से उत्पन्न जाति व्यवस्था छुआ-छूत कर मूलाधार माना जाता है। धरती धन न अपना उपन्यास में पंडित संतराम जैसे लोग दलितों की परछाई से भी परहेज रहता है। छज्जू शाह अपनी दूकान पर चमारों के लिए अलग से हुक्का रखता है। छज्जू शाह कहता है, 'मैंने अपने हुक्के के अलावा दो हुक्के और भी रखे हुए थे। एक जाटो के लिए और दूसरे चमारों के लिए।' सवर्ण लोग अपने घर आए दलितों के लिए अलग-अलग वस्तुएँ रखते हैं। बाढ़ के समय चमार जाति की स्त्रियों को अस्पृश्य मानकर पादरी तथा पंडित संतराम पीने का पानी तक भरने नहीं देते।

दलित समाज में सबसे पीड़ित नारी ही है। स्वसं नारी होना और वह भी दलित नारी होना इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। आज भी दलित स्त्रियों की समस्याएँ कम नहीं हुई। ऐसी स्त्री को केवल भोग्य वस्तु माना जाता है। आर्थिक अभाव के कारण प्रस्तुत उपन्यास की नारी पात्र लक्ष्मी, जस्सो, पाशों आदि सवर्णों द्वारा यौन शोषित होने पर भी कुछ नहीं बोलती। दलित युवती लक्ष्मी पर हरदेव चौधरी दिन-दहाड़े बलात्कार करता है, फिर भी कोई इसका विरोध तक नहीं करता। अनेक स्त्रियाँ खेतों में घरों में काम करने पर मजबूर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति एवं असहायता का लाभ उठाकर यौन शोषण किया जाता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन करें इस उक्ति के अनुसार सभी चुप-चाप सह लिया जाता है।

दलित समाज के लिए न अपनी धरती होती है और न ही वे धन के अधिकारी होते हैं। सदियों से अन्याय-अत्याचार से ग्रस्त आर्थिक अभावों से जूझते हुए जीवनयापन करना होता है। 'धरती धन न अपना' उपन्यास में लेखक जगदीशचंद्र ने केवल पंजाब प्रांत के दलित समाज का वर्णन किया है, ऐसा नहीं है। प्रस्तुत उपन्यास समूचे भारतवर्ष के दलित एवं पिछड़ी जातियों की यथार्थता को अभिव्यक्ति देता है।

धरती धन न अपना उपन्यास कर अंत काली के फिर से गाँव छोड़ने से होता है। विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त दलित समाज के लोग गाँव की व्यवस्था से तंग आकर शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। गाँव की अपेक्षा शहरों में जाति भेद न के बराबर होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि, क्या शहरों में भी इन्हें सम्मान की जिंदगी मिलती है? यह प्रश्न भी अनुत्तरित होता है। असल में दलित एवं पिछड़ी जातियों में जागृति लाकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को फिर से लोगों के दिल-दिमाग में बिठाना होगा तभी दलित समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। गैर दलित रचनाकार होते हुए भी जगदीशचंद्र ने दलितों की व्यथा -कथा का स्पष्टता से अंकन किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. धरती धन न अपना जगदीशचंद्रराजकमल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली तृतीय संस्करण -2007
2. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचंदडॉ. महेन्द्र भटनागर ज्ञान भारती प्रकाशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण - 1982

लोकगीतों में गांधी

नियति अग्रवाल *

प्रस्तावना - महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने करोड़ों भारतवासियों के गुलामी पूर्ण अंधकार से भरे जीवन में स्वतंत्रता का आलोक बिखेरा। महात्मा गांधी एक सार्थक जीवन का नाम है। उन्होंने न केवल हिन्दुस्तान अपितु समूचे विश्व के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसकी बढौलत कोटि- कोटि जनों ने उन्हें साधारण मानव से भिन्न महामानव स्वीकार किया। यही कारण है न केवल हिन्दी साहित्य में अपितु लोकसाहित्य में भी उन पर काफी कुछ लिखा गया। लोकजीवन और लोकगीतों में जिन महापुरुषों पर लिखा गया है उनमें गांधी जी के किस्से सर्वाधिक हैं। लोकांचलों में गांधीजी को जादुई शक्तियों का पुंज माना जाता है। इससे संबंधित अनेक रोचक तथ्यों का उल्लेख लोकगीतों में मिलता है कि ये जादुई शक्तियाँ ही गांधी को महात्मा बनाती हैं।

हम जानते हैं कि लोकगीत भारतीय लोकसंस्कृति की आत्मा है। ये निरंतर और सनातन हैं। बरगद के वृक्ष की तरह इसकी जड़े धरती के भीतर- बहुत भीतर तक जाती हैं तो धरती के ऊपर भी इसके पत्ते, टहनियाँ, शाखाएं और कोंपले फैली रहती हैं। इन लोकगीतों की खूबी यह होती है कि भले ही उसमें साहित्यिक सलीका नहीं होता पर उसके खुरदुरे लहजे और बानगी में जब लोक का मन बोलता है, तो उसमें उस समय का सच सामने प्रतिबिंबित हो जाता है। लगता है मानों लोक ने पूरे हृदय को उड़ेल कर रख दिया हो। लोकगीतों के गांधी में चमत्कारी शक्तियाँ हैं उनकी मर्जी के बिना फिरंगी सरकार भी उन्हें कारागृह में बंद नहीं रख सकती। अपनी इन्हीं जादुई शक्ति के बल पर गांधी जब चाहें कारागृह का फाटक खोलकर बाहर आ सकते थे। देखिए-

एक जलेबी तेल में। गांधी बाबा जेल में।।

जेल का फाटक गिया टूटा। गांधी आया फौरन छूटा।¹

भोजपुरी लोकगीतों में गांधी कोई साधारण नहीं अपितु अवतारी पुरुष हैं। वे लोक के बीच इतने लोकप्रिय थे कि किसी काम की शुरुआत में लोग इनकी जयकारा करते थे। वे करुणा और मानवता के अवतार हैं-

गांधी कहै, गांधी कहै, मन चित्त लाइको।

गंगा सरजू चाहे कूपा पर नहाइ के।

लिहले अवतार एही देशवा में आइ के।²

अवधी लोकगीतों के अनुसार अंग्रेजों की दासता से भारत को आजादी दिलाने के लिए गांधी ने अवतार लिया है। जैसे रावण को मारने के लिए राम ने, कंस को मारने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया वैसे ही अंग्रेजी साम्राज्य को मिटाने के लिए गांधी का अवतार हुआ है-

अवतार महात्मा गांधी कै,
भारत के भार उतारै कां।

सिरी राम मारे रावण कां,
गांधी जी जग मां परगट भये,
अन्यायी राज्य हटावै कां।³

लगभग इन्हीं भावों को ब्रज भाषा के एक लोकगीत में भी अभिव्यक्ति किया गया है। राम के धनुष और कृष्ण के सुदर्शन चक्र से गांधी की तुलना करते हुए उन्हें भी ईश्वर का अवतार माना गया है-

अवतार महात्मा गांधी है,
सिरीराम के हाथ में धनुष बाण,
कान्हा के हाथ सुदर्शन था,
गांधी के हाथ में चरखा है,
भारतवासिन को तारन को।⁴

संथाली लोकगीत के गांधी आजादी की लड़ाई के महानायक है। वे पश्चिम दिशा से आए हैं, उनके हाथ में कानून की किताब है, माथे पर खादी की टोपी, कांधे पर गमछा है। वे हम लोगों को बचाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। देखिए-

चेतान दिसम् खुन गांधी बाबाये दराए कान,
तीरे तापे नायोगो कानुन पुथी,
बहर् रेटाए खदर टोपरी,
तारिन रेटाए नाया गो मोटा गमछा,
माहो दिसम् रेन मानवां वंचाव,
तबोन लगतिर है अकाना।

न केवल गांधी अपितु उनका चरखा भी लोकमानस में दर्ज होकर लोकगीतों में अभिव्यक्त हुआ है। गांधी जी की प्रेरणाओं में चरखा को मंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। चरखा विपत्ति के समय सखा सहश है। कहीं यह चरखा घर का आर्थिक संबल है तो कहीं मारवाड़ की स्त्री की हिम्मत का परिचायक है। इस चरखे से इतनी आमदनी हो गई कि वहां की नारी ने अपने श्रृंगार के लिए विविध आभूषण या नया नथ और चंद्रहार बनवा लिए। देखिए- चरखे री कमाई में तो नवड़ी नाथ चढाई.....हिंवड़े हार घढायो।

पुरुष की अनुपस्थिति में इसी चरखे की कमाई से वहां की नारी घर चलाती है। चरखे ने उस नारी को इतना सशक्त बनाया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह अपने देवर का ब्याह भी इसी चरखे की कमाई से करती है। ननद को मुकलावा कराके उसके ससुराल भेजती है। इस तरह पुरुषों की गैर मौजूदगी में पारिवारिक दायित्वों को अपने कंधे पर उठाती नारी गर्व से भरी हुई, मान कर करती है। देखिए-

चरखे री कमाई में तो देवरियो परणायों,
देवरियो परणायो मारे नणदण रो मुकलावो।

गांधी की दृष्टि में खादी बुनना, पहनना एक वृहद दृष्टि का विस्तार था। आज भी खादी के वर्तनों को उतनी ही महत्ता दी जाती है। बुंदेली लोकगीतों में सूत कातकर निर्धनता, बेकारी को दूर किया जा सकता है-

गांधी के गांव में सूत कते रे,
सूत कते रे भइया, सूत कते रे।
बेकारी निर्धनता जरे बरे सूखे,

अभावों को दुखियारों को भूत भगे रे। सूत कते रे।⁵

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में ददरिया दो- दो पंक्तियों में संपूर्ण भाव अभिव्यक्त कर देने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है। छत्तीसगढ़ के ददरिया, करमा आदि लोकगीतों में भी गांधी अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज करते हैं। गांधी जी के यश और कीर्ति का गान चहुं ओर हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के ददरिया लोकगीत की बानगी-

गोरी के अचरा भुइयां में लूरै,
गांधी के झण्डा दुनिया में फिरै।⁶

गांधी ने हम भारतवासियों पर बहुत एहसान किए हैं। उनके एहसानों की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। उनके ही कारण भारत में अमन-चैन है। उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत करमा में समूचा छत्तीसगढ़ उनके प्रति कृतज्ञ है। देखिए-

बापूजी हमला पढ़ायस अहिंसा के पाठ।

छेरी बघवा ला पानी पियायस एके घाट।

आजादी खातिर भइस अंततार।

दुखी भारत के बेड़ा लगावे पारा।

गांधी बबा ला सुमर, सुमरों भारत मांया।

सुमिरो नेहरू वीर ला, जौन सुराज देवाया।

इस तरह गांधी जी का लोक बहुत वृहद है। छत्तीसगढ़ी के साथ भारत की लगभग समस्त लोक बोलियों और वाचिक परंपरा में गांधी चेतना दिखाई पड़ता है। गांधी केवल भारतीय राजनीति के आलोक पुंज नहीं थे; लोकमानस के भी बहुत निकट थे। यदि कहें कि गांधी लोक के थे तो भी गलत नहीं होगा। ये लोकगीत इस बात के साक्षी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर सरिता, वीणा प्रकाशन- जयपुर।
2. भोजपुरी लोकगीतों में गांधी दर्शन- डॉ. राजेश्वरी शांडिल्य।
3. अवधी लोकगीत विरासत- विद्याभूषण सिंह।
4. लोकगीतों में क्रांतिकारी चेतना- विश्वामित्र उपाध्याय, प्रकाशन विभाग- नई दिल्ली।
5. सूत कते रे, एक लंगोटी वारो- माधव शुक्ल मनोज।
6. स्वर सरिता, वीणा प्रकाशन- नई दिल्ली, अक्टू 2016

अष्टादश पुराणों में शिव की परिकल्पना

संध्या दावरे *

प्रस्तावना - ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के 33 वें सूक्त में रुद्र देव के 15 मंत्र हैं जिसमें रुद्र को मरुतों का पिता माना गया है। इस सूक्त में उन्हें वैद्यों से भी उत्तम वैद्य के रूप में जाना है। वे समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता हैं। वे ऐश्वर्य प्रदाता हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के 7 वीं मण्डल के 46 वें सूक्त में भी रुद्र से संबंधित सूक्त दिये गये हैं।

यजुर्वेद के 'रुद्राध्याय' में रुद्र के अनेक नामों का उल्लेख है, सिर पर जटाजूट धारी होने से वे कपर्दी कहलाते हैं। ब्रभु (भूरे रंग वाले), सहस्राक्ष (हजार आँखों वाले) नीलग्रीव हलाहल का विषपान करने के कारण उनका कण्ठ नीला पड़ गया है। शितिकण्ठ, हरिकेश, कपिल तथा पिनाकधारी आदि उनके नाम कहे गये हैं।

शुक्ल यजुर्वेद में 'रुद्र' को अति बलशाली कहा गया है रुद्र के पिता, त्र्यम्बक, भूतपति, भस्मधारी के रूप में शिव को संबोधित किया गया है। विष्णु के रूप में वे संसार के रक्षक ब्रह्मा के रूप में सृष्टि निर्माता और शिव के रूप संहारकर्ता हैं।

'हरिहरोः प्रकृतिरेका प्रतभेदेन जनार्दनः॥'

ब्रह्मपुराण - सृष्टि निर्माण के प्रसंग में नारायण भगवान् की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। नारायण भगवान् की नाभि से हिरण्यवर्ण अण्डा उत्पन्न हुआ। उससे स्वभू ब्रह्मा उत्पन्न हुए।

'नाराणात्मकानां तु सप्तानां ब्रह्मजन्मनाम्।

ततोऽसृजत् पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसंभवम्॥'

नारायण भगवान् के अंश से उत्पन्न ब्रह्मा ने क्रोध से रुद्र को उत्पन्न किया।

ब्रह्मपुराण के 34 वें अध्याय में 'रुद्रामान' में रुद्र को ही शिव कहा गया है। उन्हें सर्ववपक, त्रिपुरारि, त्रिनेत्र, पार्वती प्रिय, अर्धचंद्रधारी आदि अनेक नामों से शिव को संबोधित किया गया है। प्राचीन काल में शिव की पूर्व पत्नी सती पति के आज्ञा न मानकर दक्षज्ञ में शामिल हुई। किन्तु दक्ष ने सती का घोर अपमान किया। शिव के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ कीं। इससे रूष्ट होकर सती से यज्ञ शाला में ही आत्मदाह किया।

'ततः स्वात्मा मुत्थाप्य वायुना समुदीरितः।

सर्वगिभे विनिसृत्य वह्निभस्मचकारतामा॥'

वायु प्रेरित अग्नि ने सती के सब अंगों को भस्मसात् कर दिया।

अगले जन्म सती ही पार्वती के रूप में पैदा हुई और पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की जिससे शिवजी ने प्रसन्न होकर पार्वती के साथ विवाह बंधन करने का निश्चय किया और शुभ प्रसंग पर विवाह किया।

ब्रह्मपुराण के 34 वें अध्याय में ही मदनदाह का वर्णन किया गया है।

'ततोऽस्य तेजो वह्निर्ज्वालामालासहस्रवान्।

सहसा रतिभर्तारिमदहत् तत्परिच्छम्॥'

कामदहन से अत्यंत दुखी होकर रति करुण विलाप करने लगी। दुख पीड़िता रति ने शिव और पार्वती से रति को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने उन्हें पुनः जन्म लेकर कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया।

विष्णु पुराण - ब्रह्मा ने अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन किया। जिससे 'रुद्र' नीललोहित के रूप में जन्म लिया।

जन्म के बाद वह रोने लगा तब ब्रह्मा ने उसका नाम 'रुद्र' रख दिया। 'रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि।'

समुद्र मन्थन के बाद चन्द्र को जन्म लिया। जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया।

वायु पुराण - वायु पुराण के पांचवें अध्याय में 'सृष्टि प्रकरण' में महादेव भगवान् की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है।

'देवेषु च महान्द्वो महादेवस्तनः स्मृतः।

सर्वेशत्वाच्च लोकानामवश्ट्वातथेश्वरः॥'

सब देवों में यह बड़ा है इसलिए इसे महादेव कहते हैं। सब का ईश तथा लोकों के वश में न होने के कारण वह ईश्वर कहलाते हैं।

वायु पुराण के 24 वें अध्याय में शंकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है।

वायु पुराण के 37 वें अध्याय में शिव को अनेक नामों से उल्लिखित किए गए हैं। रुद्र, भव, शिव, पशुपति, ईश, भीम, उग्र, महादेव ऐसे शंकर जी ने आठ नाम बताये।

वायु पुराण में भी सती के दक्षज्ञ में सदेह आत्मदाह का प्रसंग आया है। जिससे क्रुद्ध होकर शिवजी अपनी एक लट उखाड़ कर वीरभद्र के रूप में अवतरित हुए। शिवजी ने वीरभद्र को दक्षज्ञविध्वंस की आज्ञा प्रदान की जिसका अनुपालन करने के लिए अपने भानक गणों की सहायता से दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया।

वायु पुराण के 55 वें अध्याय में 'लिंगोद्भव' का वर्णन किया गया है।

शिव पुराण - शिवपुराण में शिव के महत्व को निम्नलिखित श्लोक में दर्शाया गया है-

'ऐतो देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः

अयं तु पराभवत्या दृष्टेनान्था ऋचित्॥'

वे ही देव महादेव हैं सर्वज्ञ तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। यह परमशक्ति से दृष्टिगोचर होते हैं। शिवपुराण में तारकासुर वध प्रकरण भी आया है। कार्तिकेय ने देव सेना गठित कर तारकासुर के साथ युद्ध किया। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि सात दिन का बालक युद्ध करके तारकासुर का वध करेगा। तदनुसार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया।

श्वेतकल्प में शिव पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ। शिव पुराण में जालंधर के साथ युद्ध और उनके वध का प्रसंग भी आया है।

श्रीमद्भागवत पुराण – भगवत् पुराण में भी ब्रह्मा द्वारा रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन आया है।

‘विश्वोद्भव स्थितिलेषु विभज्माने-

मयागुणैरनुगं विगृहीतदेहाः

ते ब्रह्मा विष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्महम्॥’

भगवन्! प्रतेक कला के आरंभ में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्त्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं- वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं।

भागवत् में भी सती दाह प्रकरण आया है। वीरभद्र द्वार दक्षज्ञविध्वंस का भी प्रसंग आया है।

देवी भागवत – ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के संबंध में वर्णन इस प्रकार देवी भागवत में किया गया है-

‘ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा माश्रुताः।

सृष्टिपालनसंहारकाः सगुणास्त्वमी॥’

मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि सगुण रूप में सम्पूर्ण जगत् का सृजन पालन और संहार करते हैं।

वामन पुराण – इस पुराण में भी दक्ष ज्ञय में सती का आत्मदाह का प्रसंग आया है।

सतीदाह के प्रकरण के कारण शिवजी उन्माद की अवस्था में पहुँच गये।

‘क्षणं गाति देवर्षे क्षणं रोदिति शंकरः।

क्षणं धति तन्वर्गी दक्षकन मनोरमात्॥’

देवर्षे! वे कभी गाते हैं, कभी रोते हैं कभी कृशांगी सुंदरी का धन करते। धन करके कभी सोते हैं और कभी स्वप्न देखते हैं।

कार्तिके द्वारा तारकासुर प्रसंग का वर्णन भी वामन पुराण में आया है।

मार्कण्डेय पुराण – मार्कण्डेय पुराण में भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन आया है।

‘तथा स सज्ञामाप्नोति ब्रह्माविष्णुहरात्मकाम’।

ब्रह्मत्वे सृजते लोकान् द्रुद्धत्वे संहरत्यपि॥’

वह ब्रह्मरूप से प्रजासृजनपूर्वक सत्त्व गुण की अधिकता के कारण विष्णुमूर्ति धारण करके न्यायानुसार प्रजा का पालन करते हैं। तदनन्तर तमोगुण के उद्रेक से रुद्र मूर्ति ग्रहण करण वे सम्पूर्ण विश्व का संहार करते

हैं। इस प्रकार स्वंभू भगवान् ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि निर्माण, सृष्टि पालन और संहार का काम करते हैं।

लिंग पुराण – लिंग पुराण में भी रजोगुण से ब्रह्मा, सत्त्व गुण से विष्णु और तमोगुण से रुद्र (शिव) की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।

‘नमो रुद्राय हरे ब्रह्मणे परमात्मने

प्रधान पुरुषेशा सर्गस्थित्यकारिणे॥’

लिंग पुराण में शिव को भी महादेव के रूप में चित्रित किया गया है।

‘तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा ब्रह्माणो हरो भवाः।

सृष्टा प्रधानेन तथा लब्ध्वा शम्भोस्तु सन्निधि’॥’

प्रधान प्रकृति ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्माण्ड में सर्वत्र चतुर्भुज ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सृजन करती हैं।

रुद्र कालाग्नि समान है। ब्रह्मा ने ही अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री शतरूपा के रूप में उत्पन्न हुई।

‘द्विधा कृत्वा स्वकं देहमण हर्म्येन पुरुषोऽभवत्।

अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजात्॥’

इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी शिव के रूप में विभिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. (शिवपुराण 55, विष्णुपुराण)
2. (ब्रह्मपुराण 1.45)
3. (ब्रह्म/ 34.25)
4. (ब्रह्म. 38.5)
5. (विष्णु. 4.8)
6. (वायु. 5.41)
7. (शिव. 3.12)
8. (भाग. 4.1.27)
9. (देवी. 3.1.4)
10. (वामन 6.34)
11. (वामन. 70.65, 68)
12. (लिंग 1.1)
13. (लिंग 3.34)
14. (लिंग 70.267)

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ *

शोध सारांश - इस अध्ययन का उद्देश्य था कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक अध्ययन करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदयपुर जिले के 4 माध्यमिक विद्यालयों के 105 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया। उपकरण के रूप में मानकीकृत उपकरण का चयन कर प्रायोगिक अभिक्रिया परीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन किया। परिणामस्वरूप पाया गया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में सार्थक अन्तर है।

प्रस्तावना - संज्ञानात्मक शैली - संज्ञानात्मक शैली किसी व्यक्ति के चिंतन व समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रारूप है, जिसमें ज्ञान प्रधानता अर्थात् जानने पहचानने, समझने बूझने या सोचने विचारने की प्रधानता रहती है जैसे प्रत्यक्षबोध (Perception) चिंतन तथा तर्क (Thinking or reasoning)।

सीगल एवं कूप (1974) के अनुसार- 'संज्ञानात्मक शैली एक समन्वित धारणा है जिसका संज्ञान पक्ष व्यक्तियों के व्यक्तित्व संज्ञानात्मक आयामों के लिए सेतु (Bridge) का कार्य करता है।'

बहुतों को यह भ्रम रहता है कि ज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु दोनों में वही अन्तर है जो ज्ञान और बुद्धि में होता है। ज्ञान 'अर्जित' है और बुद्धि 'जन्मजात'।

ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बाह्य वातावरण से प्राप्त उद्दीपकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ज्ञान की अनुभूति का संचय करता है अर्थात् ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बाह्य सूचनाओं को सिद्धान्त रूप में ग्रहण कर व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन की क्षमता विद्यमान रहती है। ज्ञानात्मक विकास का स्वरूप वैयक्तिक होता है। इस ज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति के सोचने, तर्क करने, जानने पहचानने व बोध करने की एक विशिष्ट एवं व्यक्तिगत शैली दिखती है, जो एक अलग प्रकार से सूचनाओं का प्रत्यक्षबोध एवं संगठन करती है। इसे व्यक्ति की संज्ञानात्मक शैली कहते हैं।

शोधकर्ता के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक शैली में प्रेरणा और भावना की अपेक्षा प्रधानता ज्ञान की होती है अर्थात् प्रधानता जानने, पहचानने, समझने, बूझने या सोचने, विचारने की रहती है। जैसे- प्रत्यक्षबोध, चिंतन या तर्क आदि।

किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक शैली को जानने से हम उस व्यक्ति को ओर करीब से जान सकते हैं जैसे उसका व्यक्तित्व (स्लाउटर, 1969), उसकी क्षेत्रीय स्वतंत्रता या क्षेत्रीय परतंत्रता (दानी, 1984), विभिन्न क्षेत्रों में वंचन (डे.बी., 1985) लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञानात्मक शैली विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक को किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी तथा परिवर्तन कर पाएगी? यह प्रश्न शोधार्थी के मन में उठा जिससे शोधार्थी को इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त वर्णित संज्ञानात्मक शैली के वर्णन के उपरान्त शोधार्थी के मन में जो प्रश्न उठे वो इस प्रकार हैं:-

- विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली क्या है ?
- छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में क्या अन्तर है ?

शोध समस्या - 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक का अध्ययन।'

अध्ययन के उद्देश्य -

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना - छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमन - शोधकर्ता ने समय को ध्यान में रखते हुए अपने शोध को निम्न क्षेत्रों में परिसीमित किया है-

- (1) अनुसंधानकर्ता ने शोध को उदयपुर शहर तक सीमित किया है।
- (2) अनुसंधानकर्ता ने शोध को माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित किया है।
- (3) अनुसंधानकर्ता ने शोध को कक्षा 9 वीं तक सीमित किया है।

न्यादर्श-न्यादर्श चयन के विविध प्रकारों में से अनुसंधानकर्ता ने इस शोध कार्य के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया है।

उदयपुर शहर के चार माध्यमिक विद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया जाएगा तथा इन चारों विद्यालय में कक्षा 9 वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया जाएगा।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी संख्या
1.	आलोक माध्यमिक विद्यालय, पंचवटी, उदयपुर	26
2.	गुरु नानक माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-4, उदयपुर	22
3.	सुधरमा माध्यमिक विद्यालय, अशोक नगर, उदयपुर	27
4.	रवीन्द्र माध्यमिक विद्यालय, देवाली, उदयपुर	37
	कुल	112

अतः कुल न्यादर्श के रूप में 112 विद्यार्थी है परीक्षण के दौरान 7 विद्यार्थी संज्ञानात्मक शैली के परीक्षण में अनुपस्थित रहे। अतः इन 7

* प्राचार्य, सिद्धेश्वर विनायक शि. प्रशि. महाविद्यालय, धरियावद जिला-प्रतापगढ़ गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

विद्यार्थियों को न्यादर्श में शामिल नहीं किया। अन्ततः कुल न्यादर्श 105 विद्यार्थी रहा।

शोध विधि - शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का चयन किया।

उपकरण - प्रस्तुत शोध में निम्न उपकरण इस्तेमाल किया गया हैं-

1. विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली ज्ञात करने के लिए ओटमैन, रस्किन व विटकीन का मानकीकृत (Group Embedded Figures Test) उपकरण का उपयोग किया गया है।

परिणाम - संज्ञानात्मक शैली के परीक्षण में शोधकर्ता ने मानकीकृत उपकरण प्रयोग में लिया है। इसमें कुल तीन भाग हैं। जिसे सारणी संख्या 1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.1 (देखें आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी संख्या 1.1 को देखने से पता चलता है कि दो (2) विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा अंक 17 पाया है तथा दो (2) विद्यार्थियों ने सबसे कम 0 (शून्य) अंक पाया है।

विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली के लिए के अनुसार जो अंकन किया गया है, उसके (सारणी संख्या 1.1) आधार पर पांच समान वर्ग अन्तराल एवं पांच समान संज्ञानात्मक शैली के स्तर में विभाजित किया गया है, जिसे सारणी संख्या 1.2 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी संख्या 1.2 को देखने से पता चलता है कि जिन विद्यार्थियों का GEFT अंक 0-3 वर्ग अन्तराल के बीच है वो अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (Very High Field Dependent) में आ रहे हैं, जिसका 4-7 के बीच है वो उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता, 8-11 के बीच है वो क्षेत्रीय केन्द्रित समूह (Field Central Peer) 12-15 के बीच है वो उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता तथा 16-18 के बीच है, वो अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता में आ रहे हैं।

सारणी संख्या 1.2 के अंक वर्ग अन्तराल व संज्ञानात्मक शैली के आधार से वर्ग अन्तराल की आवृत्ति ज्ञात की गई और आवृत्ति का 105 न्यादर्श के आधार से आवृत्ति प्रतिशत निकाला गया, जिसे सारणी संख्या 1.3 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.3 (देखें आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी संख्या 1.3 को अवलोकन करने से पता चलता है 20.0 प्रतिशत विद्यार्थी अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता, 26.66 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता, 24.76 प्रतिशत विद्यार्थी क्षेत्रीय केन्द्रित समूह, 20.15 प्रतिशत उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता व 7.61 प्रतिशत विद्यार्थी अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता वाले हैं।

सारणी संख्या 1.3 से आवृत्ति प्रतिशत के आधार पर संज्ञानात्मक शैली के स्तर को आरेख 4.1 में दर्शाया गया है।

आरेख संख्या (देखें आगे पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 1.2 के अंक वर्ग अन्तराल व संज्ञानात्मक शैली के स्तर पर छात्र व छात्राओं की आवृत्ति ज्ञात की गई और आवृत्ति प्रतिशत निकाला गया, जिसे सारणी संख्या 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.4 (देखें आगे पृष्ठ पर)

व्याख्या - सारणी संख्या 1.4 का अवलोकन करने से पता चलता है कि 15.62 प्रतिशत छात्र व 26.82 प्रतिशत छात्राएँ VHFD, 25 प्रतिशत छात्र व 29.26 प्रतिशत छात्राएँ HFD 28.12 छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ FCP 21.87 प्रतिशत छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ HFI व 9.37

प्रतिशत छात्र व 4.87 प्रतिशत छात्राएँ VHF1 स्तर के हैं।

सारणी संख्या 1.4 से छात्र और छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली के स्तर व आवृत्ति प्रतिशत को आरेख-4.2 में दर्शाया गया है। अतः आलेख-2 से स्पष्ट है कि छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र हैं।

आरेख संख्या 4.2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

छात्रों एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली की तुलना - छात्रों एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली की तुलना करने के लिए Manual अनुसार अंकन किया गया और 105 न्यादर्श के आधार पर मध्यमान (M), प्रमाप विचलन (S.D.) और 't' मूल्य निकाला गया, जिसे सारणी संख्या 1.5 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.5 (देखें आगे पृष्ठ पर)

छात्रों एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली का मध्यमान (M), प्रमाप विचलन (S.D.) और 't' मूल्य

	N	M	S.D.	't' Value
छात्र	64	6.16	3.65	2.1203
छात्राएँ	41	7.70	4.22	

व्याख्या - सारणी संख्या 1.5 का अवलोकन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए-

- (1) छात्रों की संज्ञानात्मक शैली का मध्यमान 6.16 तथा प्रमाप विचलन 3.65 है।
- (2) छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली का मध्यमान 7.70 तथा प्रमाप विचलन 4.22 है।
- (3) दोनों समूहों के मध्यमान की सार्थकता देखने के लिए टी मूल्य ज्ञात किया, जिसका मान 2.1203 प्राप्त हुआ। टी का निरीक्षित मूल्य 'टी' मूल्य की सारणी में 103 df पर 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.98 है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है।

अतः छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र हैं।

निष्कर्ष -

1. दत्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि 15.62 प्रतिशत छात्र व 26.82 प्रतिशत छात्राएँ अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (VHFD), 25 प्रतिशत छात्र व 29.26 प्रतिशत छात्राएँ उच्च क्षेत्रीय परतंत्र (HFD), 28.12 प्रतिशत छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ क्षेत्रीय केन्द्रित समूह (FCP), 21.87 प्रतिशत छात्र व 19.51 प्रतिशत छात्राएँ उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता (HFI) व 9.37 प्रतिशत छात्र व 4.87 प्रतिशत छात्राएँ अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता (VHF1) स्तर के हैं।
2. छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में सार्थक अन्तर है। अतः छात्र एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र है। (सारणी सं. 1.4)

सुझाव - यह शोध सीमित समय में शोधकर्ता ने पूरी लगन से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अंशशः योगदान देने के उद्देश्य से किया है, लेकिन फिर भी कुछ अनछुए पक्ष हैं, जिन पर यह शोध भावी शोधार्थियों को सहायता करेगा, जो निम्न प्रकार से है-

- (i) यह शोध माध्यमिक स्तर पर किया गया है। इसे उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक स्तर पर भी किया जा सकता है।
- (ii) यह शोध माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक सीमित है। इसे

कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों के स्तर पर भी किया जा सकता है।

(iii) इस शोध को सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Best, J.W. (1963). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India.
- Carter, H.; Loo, R. (1980). Group Embedded Figures Test : Psychometric Data . Perceptual and motor skills, Vol. 50 pp. 32-34
- Good, C.V.(1959). Introduction of Educational Research. Second Edition, New York : Appleton Century Crafts Ins.
- Panek, Paul (1982). Relationship between field dependence-independence and personality in order adult females. Perceptual and motor skills, Vol. 54 pp. 811-814.
- Vockel, E.L. (1983). Educational Research. New York : McMillan Pub. Co. Inc.
- भटनागर, सुरेश (1995). शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ : आर.लाल बुक डिपो।
- भटनागर, आर.पी.; भटनागर, ए.बी. (1995). शिक्षा अनुसंधान, मेरठ : लॉयल बुक डिपो।
- ढौंढियाल, एस.एन.; फाटक, ए.बी. (1972). शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- कपिल, एच.के. (2001). अनुसंधान विधि. आगरा : एच.पी. भार्गव हाउस।
- माथुर, एस.एस. : शिक्षा मनोविज्ञान. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- गुप्ता, एस.पी. (2003). सांख्यिकीय विधियाँ, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
- पाण्डेय, के.पी. (2005). शैक्षिक अनुसंधान, आगरा : विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- श्याम, सिंह (2006). शिक्षा दर्शन, नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स।
- श्रीवास्तव, डी.एन. (2000). अनुसंधान विधियाँ, आगरा : साहित्य प्रकाशन।
- शर्मा, आर.ए. (1995). शिक्षा अनुसंधान, मेरठ : आर.लाल बुक डिपो।
- सुखिया, एम.पी. मेहरोत्रा, एस.पी. (1976). शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्त्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- पटेल, दिपक (2005) 'गणित के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली, अध्ययन आदतें एवं उपलब्धि में अध्ययन', लघु शोधप्रबंध, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

विद्यार्थी की संज्ञानात्मक शैली का Row Scores और Frequency

Raw Scores	Frequency	Raw Scores	Frequency
0	2	10	5
1	5	11	8
2	5	12	8
3	9	13	6
4	10	14	5
5	4	15	3
6	8	16	6
7	6	17	2
8	6	18	0
9	7		
		Total	105

सारणी संख्या 1.2

GEFT के अंक का वर्ग अन्तराल व संज्ञानात्मक शैली के स्तर

क्र.सं.	वर्ग अन्तराल	संज्ञानात्मक शैली के स्तर
1.	0-3	अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (VHFD)
2.	4-7	उच्च क्षेत्रीय परतंत्रता (HFD)
3.	8-11	क्षेत्रीय केन्द्रित समूह (Field Central Peer)
4.	12-15	उच्च क्षेत्रीय समूह (HFI)
5.	16-18	अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्रता (VHFI)

सारणी संख्या 1.3

GEPT के अंक वर्ग अन्तराल, आवृत्ति व आवृत्ति प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ग अन्तराल	संज्ञानात्मक शैली के स्तर	आवृत्ति	आवृत्ति प्रतिशत
1.	0-3	VHFD	21	20.0
2.	4-7	HFD	28	26.66
3.	8-11	FCP	26	24.76
4.	12-15	HFI	22	20.95
5.	16-18	VHFI	08	7.61
			105	99.98


सारणी संख्या 1.4

छात्र-छात्राओं के अंक वर्ग अन्तराल, संज्ञानात्मक शैली के स्तर, आवृत्ति व आवृत्ति प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ग अन्तराल	संज्ञानात्मक शैली के स्तर	छात्र		छात्राएँ	
			आवृत्ति	आवृत्ति प्रतिशत	आवृत्ति	आवृत्ति प्रतिशत
1.	0-3	VHFD	10	15.62	11	26.82
2.	4-7	HFD	16	25.0	12	29.26
3.	8-11	FCP	18	28.12	8	19.51
4.	12-15	HFI	14	21.87	8	19.51
5.	16-18	VHFI	6	9.37	2	4.87
			64	99.98	41	99.97


आरेख संख्या 4.1

GEFT के अंक वर्ग अन्तराल, आवृत्ति व आवृत्ति प्रतिशत



अरेख संख्या 4.2

छात्र-छात्राओं के अंक वर्ग अन्तराल, संज्ञानात्मक शैली के स्तर, आवृत्ति व आवृत्ति प्रतिशत



शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का अध्ययन

साधना ओसवाल * डॉ. मंजू वर्मा **

शोध सारांश – अध्ययन हेतु अच्छा वातावरण होना बहुत जरूरी है। शोध के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों पर वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का क्या और कितना प्रभाव पड़ता है, इसका मापन एवं विश्लेषण किया गया। इस हेतु राजस्थान राज्य के 5 जिलों से 75-75 विद्यार्थियों का शोध कार्य हेतु चयन किया गया। 75 विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से एवं 75 विद्यार्थी अकादमिक महाविद्यालय से लिए गए। शोध में उन्हीं विद्यार्थियों का चयन किया गया जो कि नियमित रूप से महाविद्यालय आते हैं। शोध के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का प्रभाव शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय पर कितना है तथा क्या यह अकादमिक महाविद्यालयों के समान ही है अथवा उसमें कुछ सार्थक अंतर है।

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रशासन द्वारा यह माना जाता है कि वहां सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टाफ के सभी सदस्यों द्वारा वांछित रूप से पूरी योग्यता के साथ कार्य किया जा रहा है। किंतु कुछ महाविद्यालय ऐसे होते हैं, जहां पढ़ना विद्यार्थी पसंद करते हैं किंतु कुछ महाविद्यालय ऐसे भी होते हैं, जहां विद्यार्थी जाना भी पसंद नहीं करते। यह वातावरण जन्य अभिप्रेरणा ही है, जिसका महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर प्रभाव रहता है।

शब्द कुंजी – वातावरण जन्य अभिप्रेरणा, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, अकादमिक महाविद्यालय।

प्रस्तावना – अच्छे वातावरण में पढ़ने का मन अधिकांश विद्यार्थियों को सहज ही हो जाता है। वे पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक एवं प्रेरित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि महाविद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ती है। सुचारु रूप से उनके महाविद्यालय आने से वे अधिक ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। नियमित पढ़ाई करके वे विषयों को प्रायोगिक रूप से समझ पाते हैं। बहुत आवश्यक है कि महाविद्यालय का वातावरण अनुकूल एवं सहयोगी हो। इसके लिए वहां उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए। वहां कंप्यूटर उपलब्ध हो, इंटरनेट की सुविधा सुलभ हो, प्रकाश एवं विद्युत की आपूर्ति पर्याप्त हो, कर्मचारियों का सहयोग रहे, सहपाठियों में आपसी मेलजोल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। अध्यापक भी नियमित कक्षाएं ले तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। विभिन्न संदर्भ पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को संबंधित तथ्यों की भी विस्तार पूर्वक जानकारी अध्यापकों द्वारा दी जावे। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की मौजूदगी हो तो इनका सकारात्मक सामूहिक प्रभाव विद्यार्थियों की अध्ययन अभिप्रेरणा पर पड़ता है।

विद्यार्थियों को शिक्षकों, दोस्तों से अपनी पढ़ाई के लिए कितना प्रोत्साहन मिलता है। दूसरों से सीखने की कितनी प्रेरणा मिलती है, कक्षा में परिचर्चा किस प्रकार की होती है व उसमें कितनी भागीदारी रहती है। ये सभी तथ्य सामूहिक रूप से यह बताते हैं कि वातावरण जन्य अभिप्रेरणा कितनी है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित साहित्य का अध्ययन – हिरनवाल (1980) ने छात्रों के आत्मसम्मान, उपलब्धि अभिप्रेरणा, कक्षा का वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन किया तथा कक्षा के वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया गया। कक्षा के

वातावरण में अनुकूलता बढ़ने पर उपलब्धि अभिप्रेरणा में भी वृद्धि होती है।¹

इर्मस्ट एवं मोनरो (2000) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय आधारित शिक्षा एवं आलोचनात्मक विचारणीय कौशल एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य संबंध पर अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में कक्षा 9वीं एवं 12वीं के 586 विद्यार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में मानसिक अभिप्रेरणा मापन के लिए उपलब्धि अभिप्रेरणा इन्वेन्टरी का उपयोग किया गया। इस अध्ययन से यह परिणाम निकला कि पर्यावरण आधारित शिक्षा आलोचनात्मक विचारणीय कौशल तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा पर धनात्मक प्रभाव डालती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा नैतिकता पर औसत प्रभाव डालती है।²

एन्डरमैन (2006) ने उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कक्षा एवं विद्यालय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया तथा यह पाया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कक्षा एवं विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव पड़ता है जिससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित होती है।³

बजुआ एवं गोयल (2011) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय व्यवहार की जिम्मेदारी का उनके नियंत्रण अवस्थान एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के साथ संबंध पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए –

- पर्यावरणीय व्यवहार एवं नियंत्रण अवस्थान के मध्य सार्थक संबंध पाया जाता है।
- पर्यावरणीय व्यवहार तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य सार्थक संबंध पाया जाता है।
- निम्न उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की तुलना में उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र उत्तम पर्यावरणीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा

*शोधार्थी, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

**सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापिका, जे.आर.एन.यू., डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

समस्त सामाजिक क्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं।⁴

शोध के उद्देश्य -

1. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर ज्ञात करना।
2. अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर ज्ञात करना।
3. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं -

1. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है।
2. अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है।
3. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रक्रिया - शोध के लिए राजस्थान से 75 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं 75 अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। उनमें वातावरण जन्य अभिप्रेरणा मापने हेतु एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा- शोध कार्य से ज्ञात हुआ कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के 38.67% छात्रों में सामान्य वातावरण जन्य अभिप्रेरणा रहती है वहीं 52% छात्रों में अधिक वातावरण जन्य अभिप्रेरणा पाई गई जबकि 9.33% छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा की कमी है। औसत रूप से देखे तो शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर 2.43 अंक अर्थात् 60.67% है जिसे सामान्य कहा जा सकता है। अतः प्रथम परिकल्पना (शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है) को अस्वीकार किया जाता है।

तालिका 1

श्रेणी	स्तर (अंकों में)	छात्रों की संख्या
बहुत कम	0-0.8	3
कम	0.9 - 1.6	4
सामान्य	1.7-2.4	22
अधिक	2.5-3.2	38
बहुत अधिक	3.3-4	8
योग		75

चार्ट 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा - शोध कार्य से ज्ञात हुआ कि अकादमिक महाविद्यालय के 44% छात्रों में सामान्य वातावरण जन्य अभिप्रेरणा रहती है, वहीं 12% छात्रों में अधिक वातावरण जन्य अभिप्रेरणा पाई गई, जबकि 44% छात्रों में वातावरण जन्य

अभिप्रेरणा की कमी है। औसत रूप से देखे तो अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर 1.63 अंक अर्थात् 40.67% है, जिसे कम कहा जा सकता है। अतः प्रथम परिकल्पना (अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है) को स्वीकार किया जाता है।

तालिका 2

अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा

श्रेणी	स्तर (अंकों में)	छात्रों की संख्या
बहुत कम	0-0.8	11
कम	0.9 - 1.6	22
सामान्य	1.7-2.4	33
अधिक	2.5-3.2	9
बहुत अधिक	3.3-4	0
योग		75

चार्ट 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में वातावरण जन्य अभिप्रेरणा अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा अधिक है। क्या यह अंतर सार्थक रूप से अधिक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया। **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

Z का आंकलित मान 2.48 है जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है अतः शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों की वातावरण जन्य अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर है। अतः तृतीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।


सुझाव - अकादमिक महाविद्यालय में शिक्षकों को अधिक प्रेरक व सहयोगी वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए।

कक्षा में विविध विषयों पर समय-समय पर परिचर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि प्रेरक वातावरण बने।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिरिनवाल (1980) - छात्रों के स्वप्रत्यय, शैक्षिक प्रेरणा, कला वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन, थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, (1978 - 83)ए 607.
2. Ernst. J. & Monore, M. (2000). The effect of environment based education on students' critical thinking and achievement motivation. *Environmental Education Research*, 10(4), 507 -522.
3. Anderman, E.M. (2006). Classroom goal structure, student motivation and school environment. *Annual Review Psychology*, 57, 487 - 583. www.researchgate.net/.../72e7e52095544
4. Bajwa, S. & Goyal, S. (2011). Responsible environmental behavior of secondary school students in relation to their locus of control and achievement motivation. *Indian Educational Review*, 49(2), 99 - 116.

चार्ट 1



चार्ट 2



श्रेणी	वातावरण जन्य अभिप्रेरणा अंक	वातावरण जन्य अभिप्रेरणा प्रतिशत	Z का आंकलित मान
शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्र	2.43	63.67%	2.48
अकादमिक महाविद्यालय के छात्र	1.63	40.67%	

मानव अधिकार के रूप में महिला आयोग की भूमिका एक विश्लेषण

दीपिका तोमर * डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा **

प्रस्तावना – भारतीय समाज में महिलाओं की जीवन शैली का मूल्यांकन पारिवारिक संरचना के आधार पर होती है। महिला एवं पुरुष को प्राप्त आर्थिक एवं नैतिक अधिकार के व्यवहारिक स्वस्थ परिवार के व्यवस्था परक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं। महिलाओं को पारिवारिक संरचना में लैंगिक असमानता के व्यवहारिक स्वरूप से अंतर्क्रिया करनी पड़ती है। आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य देखरेख में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता उनके पुनर्वितरण में असमानता, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी और मुख्यतः निर्धन पारिवारिक दशाओं में पिता की अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्भरता इत्यादि समस्या है। चूंकि मानव समाज महिला एवं पुरुष दोनों की सम्मिलित रचना है तथा समाज के ढाँचे को संवारने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1960 के अनुपालनार्थ किया गया। जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1962 को किया गया। महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। तथा उनके स्तर में समानता प्रदान करना तथा उसके विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करना इत्यादि प्रमुख बिंदु हैं। जिसके आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में म.प्र. राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1993 में किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल एवं संरक्षण करने महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा एवं सम्मान सुनिश्चित करने, प्रत्येक क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मध्यप्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग महिलाओं का मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है।

मानव-अधिकार वे अधिकार हैं, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ पूर्णरूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। जे.ई.एस. फॉसेट के अनुसार, 'मानवाधिकार कभी-कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार पुरुष तथा महिला दोनों से संबंधित हैं। साथ

ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। व्यक्तित्व एक मात्र वह आधार होता है, तो मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक स्वरूप प्रदान करता है अन्यथा मानव व अन्य प्राणियों में आकार मात्र के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं होता।

व्यक्तित्व निर्माण का बहुत बड़ा आधार उन परिस्थितियों से निर्मित होता है, जो मानव को कुछ ऐसी आवश्यक दशाओं को सुलभ कराती है, जिनके अभाव में मानव व्यक्तित्व अपने अभीष्ट स्वरूप से वंचित रह जाता। उन परिस्थितियों में स्वतंत्रता व समानता का नाम सर्वोपरि है। स्वतंत्रता व समानता वे दो आधार बिन्दु हैं, जिन पर विश्व के प्रत्येक अधिकार-पत्र की नींव का निर्माण हुआ है, क्योंकि स्वतंत्रता व समानता वे आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, जिनके स्वस्थ सानिध्य में मानव व्यक्तित्व पुष्पित व पल्लवित होता है। मानव अधिकारों का आग्रह है कि मानव के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक समस्त परिस्थितियों का अधिकतम सृजन होना। मानव अधिकारों का दूसरा सशक्त आग्रह है कि मानव गरिमा का किसी भी मूल्य पर क्षरण नहीं होना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव अधिकारों का अर्थ है, मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए मानव व्यक्तित्व का अधिकतम विकास। मानव व्यक्तित्व का पल्लवन जिस स्वस्थ सानिध्य की अवधारणा पर आधारित है, वह स्वमेव मानव अधिकारों की माँग करता है।

अमेरिका का जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी करना तथा जर्मनी द्वारा नजरबंद शिविरों में युद्धबंदियों की निर्मम हत्या इसी समय की घटनाएँ हैं। विधि और उससे मानवाधिकारों के दर्शन ने एक नया आयाम ग्रहण कर लिया। परन्तु यह राज्य विधि या राष्ट्र विधि के क्षेत्र तक ही सीमित थी और अन्य राज्य या विश्व, राज्य और उसकी प्रजा के संबंध में कोई सरोकार नहीं रखती थी। परन्तु 1650 में डच दार्शनिक ग्रोशस, जिसको राष्ट्रों की विधि का जनक कहा जाता है। जिसने मानवाधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय विधि और विश्व व्यवस्था में स्थान देने का प्रयास किया। उन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब एक राज्य का प्रभुताधारी लगातार अपनी प्रजा के मूलभूत मानवाधिकारों को कुचलता रहता है, तो यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हो जाता है।

ऐसा निरंकुश शासक, ग्रोशस के अनुसार, राष्ट्रों की विधि के अन्तर्गत प्रभुताधारी के रूप में अपनी शक्तियों को खो बैठता है, और अन्य राष्ट्रों को प्रकृति की विधि और राष्ट्रों की विधि के अन्तर्गत प्रभुताधारी के रूप में अपनी शक्तियों को खो बैठता है, और अन्य राष्ट्रों को प्रकृति की विधि और राष्ट्रों की विधि के घोर अतिक्रमण के मामलों में हस्तक्षेप करना न्यायोचित होता है।

* शोधार्थी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

वर्तमान में सामाजिक विकृति के चलते महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के लिए राज्य महिला आयोग प्रशासनिक स्तर पर निवारण करता है। जिसके लिए पूर्व में शिकायत संबंधी पंजीकरण होता है। जिसकी जाँच एवं परीक्षण पश्चात् कार्यवाही हेतु शिकायत को अग्रोषित किया जाता है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अलग-अलग संभागों के अंतर्गत सम्मिलित जिलों में हो चुकी घटनाओं को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में राज्य महिला आयोग को प्राप्त शिकायत के पंजीकरण की विवेचना अलग-अलग बिन्दुओं के आधार पर की गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ममता महरोत्रा - महिला अधिकार और मानव अधिकार, ज्ञान गंगा, नई दिल्ली 2015
2. के.एल.भौमिक - महिला एवं बच्चों का विकास, इंडिया पब्लिक नई दिल्ली, 1985
3. ललित पाठक- महिलाओं की स्थिति, एलाईड पब्लिक मुम्बई 1980
4. रनेहलता पंडा- भारत में महिला एवं सामाजिक परिवर्तन, गंगा पब्लिक जयपुर, 1991
5. आशुरानी- आधुनिक परिवेश में भारतीय नारी, 1989


Banking The Unbanked -The Indian Revolution

Dr. Praveen Ojha*

Abstract - Government of India lays special emphasis on financial inclusion of citizens as it is crucial to poverty reduction. Exclusion of many people from any access to financial services prevents the growth of our country. A scheme to empower citizens financially was highly needed so that everyone can reap the benefits of growth and development. A large chunk of India's population lies on the outskirts of the formal economy. Living in far-flung corners of the country, illiteracy and a lack of connectivity are common reasons why consumers in these areas remain unbanked. Moreover, banks in rural areas are few and far in-between, making it difficult for many people to reach them during working hours. The government, however, is making efforts to broaden financial inclusion and has recently introduced several programs to address these obstacles, including Jan Dhan Yojana and Smart Cities.

Introduction - India is place of the largest unbanked population where, only 35 percent adults having an account in financial institutions which shows that percentage of account penetration in India just below rest of the developing world. About 50 percent of adults reports in Andhra Pradesh and Delhi NCR and 40 percent in Gujarat, Kerala, and Maharashtra having a formal account but Bihar, Orissa, and Rajasthan reports less than 30 percent account penetration. As per data available from Census 2011, India is having population of around 1.22 billion and 65 per cent of adults across the country are excluded from the formal financial system. As per the report of World Bank, In India, only 35.2 percent adults above the age of 15 years have an account at formal financial institutions. 55 percent population has deposit accounts and only 9 percent population have credit accounts with formal financial institutions. Reports show that there is one bank branch per 14,000 persons. Just 18 percent are debit card holders and less than 2 percent are credit cards holders. In India, despite expansion of bank branches post reform period, the total branches of commercial banks including RRBs and SCBs has still stood only 48000 in a country to provide service to 6 lakh villages. So there is only one bank branch over the 12.5 villages. In India and other BRICS economies unbanked respondents reported obstacles to access formal accounts.

"Unbanked" is a slang term for adults who do not use banks or banking institutions in any capacity. Unbanked persons generally pay for things in cash or else purchase money orders. Unbanked persons also typically do not have insurance, pensions or any other type of professional money-related services. They may take advantage of alternative financial services, such as check-cashing and payday lending, if such services are available to them.



The Global Findex Report released by World Bank, about 190 million Indian adults still don't have a bank account, second only to China, despite the account ownership more than doubling from 35 per cent in 2011 to 80 per cent in 2017. India's financial inclusion strategy has focused on expanding access to banking services for poorer and rural populations. In recent years, the Reserve Bank of India (RBI) and the Indian government have advanced three initiatives aimed at expanding India's use of banking services:

- **Basic savings bank accounts** - Open basic savings bank accounts for as many unbanked individuals as possible and increase the number of bank branches in rural areas.
- **The business correspondent (BC) model** - Expand branchless banking, through an external agent network, also known as customer service points (CSPs) using digital technologies such as micro-ATMs and kiosks, and, more recently, through mobile-phone and mobile-money services.^[2]
- **Digitized government payments** - Drive bank account

use among the poor by directly depositing social welfare payments into beneficiaries' bank accounts. Initiated by both central and state governments and alternatively known as direct benefit transfer (DBT) or electronic benefit transfer (EBT) programs.

Reasons why people are unbanked -

1. **Distrust** - Some unbanked and underbanked consumers avoid traditional institutions due to impersonal service and negative past experiences. Other former customers say they were not treated with respect by banking employees. They complain banks are not upfront about fees and charge too much for products and fees.
2. **Lack of Literacy** - Some unbanked and underbanked consumers are cautious due to their lack of understanding about banks, rates and the benefits of maintaining an account. Additionally, some retail banks don't have staff who are multi-lingual to accommodate customers who can't speak or read English very well.
3. **Unemployment** - Although it doesn't impact the ability to open an account, unemployment and job loss can drive consumers away from banks. Although a loss of income will reduce the frequency of transactions, the unbanked and underbanked are typically unaware that they can still benefit from banking services by maintaining an account.
4. **Inconvenience** - Some unbanked and underbanked consumers say their communities don't have enough nearby bank branches to use them regularly. They also cite their limited hours of operations for those who work different shifts.
5. **Bank Fees** - According to a Pew Research Center study, one-third of unbanked households left traditional institutions over excessive or unexplained fees. Some say they feel that banks are not transparent when it comes to fee explanations and fee structure.
6. **Blacklisted** - Some unbanked consumers are unable to pass the background check required to open a bank account. Others also are unable to open an account if they have a negative financial history, such as bounced checks or excessive account overdrafts.
7. **Lack of Services** - Unfortunately, a lack of money can also equate to fewer banking account options. Less money often means consumers can't qualify for certain accounts that require a higher maintained balance.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - PMJDY is a nationwide scheme launched by the Government of India to ensure financial inclusion of every individual who does not have a bank account in India. This scheme aims at providing access to financial services, namely, Banking / Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, and Pension in an affordable manner to all. This scheme was launched in August 2014 and according to reports by the Ministry of Finance, around 4 crore bank accounts have been opened under this scheme till September 2014.

Benefits of the PMJDY



- **Insurance Benefits** - The account holders under this scheme will get an accidental insurance cover of Rs 1 lakh and a life cover of Rs 30,000 – payment on the death of the beneficiary (subject to conditions).
- **Loan Benefits** - The account holders under this scheme can avail an overdraft facility upto Rs 5,000. This is available against one account per household. The quantum of the loan may look small but definitely is a boon to those below the poverty line and would enable them to reinvest this in more profitable avenues.
- **Mobile Banking Facility** - Enabling carrying out transactions through a mobile phone facilitates such account holders in checking of balance and also transferring funds with ease across India.

The other benefits being -

- The account holders would be eligible for interest on their deposits
- They are not mandated to have a minimum balance in the account
- The scheme allows Direct Benefit Transfer for beneficiaries of Government Schemes.
- Account-holders can get easy access to pension and other insurance products with the PMJDY scheme.

As far as plans go, Prime Minister Narendra Modi's scheme to ensure that every Indian has a bank account is as ambitious as they come. To be called the Pradhanmantri Jan Dhan Yojana, the programme attempts to expand financial inclusion in a country with the largest unbanked population in the world. A whopping 65% of India's adult population has no account in a formal bank and many of those who have signed up rarely have access to the full range of services a bank is supposed to offer. As a way of addressing this problem, the Modi government has announced incentives that should appeal to both the unbanked, such as built-in life insurance with every bank account, while also giving banks a reason to bring more people into the formal financial net. For the plan to work though, much depends on the humble business correspondent.

- **Bank agents** - In 2006, noting that the traditional branch-banking system was not doing enough to improve financial inclusion, the Reserve Bank of India decided to turn to a new model. The RBI allowed banks to employ an intermediary called a business correspondent, who could travel to areas where there are no branches and carry out transactions on a bank's behalf. The initial guidelines allowed BCs to do everything from helping open accounts to making deposits

and withdrawals, and even identifying customers for certain loans. BCs worked primarily with what were earlier known as no-frills accounts; basic savings accounts with no minimum balance and fewer paperwork requirements.

Initially, only non-profits were allowed to be banking correspondents, but over time RBI has made it easier for other organizations to join in. Today, according to the central bank, there are more than 2.2 lakh BCs. Microfinance institutions, PCO phone operators and grocery-store owners all act as agents for banks.

- **Accounting errors** - Although those numbers are impressive, few assessments of the BC model's application so far have been complimentary. Surveys and reports across the board have suggested that while there has been a substantial rise in bank accounts being opened, these very often go dormant quickly or are only used to receive money doled out by the government as subsidies. More problematically, the BCs aren't quite doing what they are expected to. A survey carried out by the RBI and the Consultative Group to Assist the Poor found that 47% of the banking correspondents they attempted to contact were untraceable. Worse, up to 16% of the ones that they were able to get in touch with had not carried out a single transaction till date. As a result, while access to bank accounts has gone up tremendously on paper, those living in far-to-reach areas continue to have to go to informal sources of credit for their financial needs.
- **Incentivizing agents** - The Modi government is hoping to salvage the model by offering carrots to both agents and customers to encourage more financial activity. The prime minister in his speech announced that business correspondents would be given a monthly remuneration of at least Rs 5,000, with variable components based on how much business and how many transactions are carried out. Meanwhile, the Jan Dhan Yojana also seeks to open bank accounts for every household with an overdraft facility of Rs 5,000 – dependent on a short course in financial literacy – as well as an immediate RuPay Debit Card that comes with Rs 1 lakh in accident insurance cover. These tweaks, as well as further efforts from the RBI to reduce restrictions, could improve India's financial inclusion substantially – but much of it will come down to how banking correspondents respond to the measures.

Digital India - In 2015, the Indian government launched a major initiative, Digital India, to upgrade the country's online infrastructure and provide government services to all of its citizens electronically. This campaign connects rural areas with high-speed internet and builds a secure and stable digital infrastructure including the digitization and modernization of India's banking and financial systems. Once Digital India began to be implemented, tens of millions of new bank customers opened accounts creating a massive increase in digital financial transactions. From the

IBV study, the quantity and value of mobile banking transactions increased by almost five times between 2015, and is expected to further grow by almost twenty percent each year through 2021.

To coincide with the enormous increases in banking customers, accounts and transactions, the Indian economy has become ripe for growth in the FinTech industry. Mobile-only banking and payment services, digital lending, point-of sale, block chain and crypto currency, investment services, and other digitalized financial solutions are all seen in a hyper-growth phase in the country, due in part to the high adoption of technology currently in India along with the government initiative of digitization of the country's infrastructure.

Paytm - Paytm Payment Bank, a digital bank which offers instant account opening using Aadhar (India's national identification number) will be expanding its network to cover retail stores, mom-and-pop stores in the country to be its local banking partners. Through this collaboration, the bank aims to create a network where customers can open a new saving account, withdraw money, and deposit cash through these partners without having to visit the bank directly. This initiative was taken to ensure that customers who live in smaller cities where infrastructure and costs are the main hindrances, can still have access to banking services through partners at their nearest locations. The bank will invest IDR 3,000 crore (USD 460 million) to build this network and reach 100,000 consumers in three years' time. Most of the banking services, however, will continue to be online. Apart from expanding the network, Paytm recently enhanced its QR code payment system, allowing its merchant partners such as retail stores to receive payments directly into their bank account without any charge. The company will further provide training to build awareness and familiarity of Paytm QR code among the offline merchants, especially the non-banked shop owners. According to RFI Group data, saving accounts are the most popular banking product taken up in the past two years, especially among the mass market group (65%). The initiatives to reach the unbanked population could be attributed to this high take-up.

The domestic remittance opportunity for the rural economy - Remittance, or the transfer of money between two people (rather than a payment for goods or services), is a basic financial activity for many rural Indians; it's also a key untapped business opportunity for players looking to facilitate the abundance of money transfers. Payments banks can provide a ready solution to the current domestic remittance scenario. There are 120 million migrant workers in India, and more than 80% live in the inadequately connected rural areas. Additionally, migrants who hail from villages but work in towns and cities make 80% of the country's domestic remittances.

According to the National Remote Payments Survey by National Council of Applied Economic Research, and additional insights using Nielsen's forecasting technique,

domestic remittance in India is valued at more than INR 900 billion per year, including non-traditional modes of transfer. Rural India's contribution is over INR 700 billion per year. Of the INR 700 billion worth of domestic remittances that happen in rural India, traditional channels comprise a mere 40%, or INR 300 billion. The rest of the remittance happens via non-traditional remittance modes. Given the high risk of non-traditional remittance modes, there is a huge scope to expand traditional remittance avenues like payments banks.

Financial literacy and the gender gap - Female bank-account ownership increased by 79% between 2014 and 2017. The gender gap, the difference between male and female account ownership, also narrowed to 6 percentage points, down from a 20-percentage-point gap three years ago. These figures, along with a narrowing of wealth and education gaps by 10 percentage points each, suggest traditional socio-economic and gender barriers are no longer factors which impact upon successful access to financial services.

Conclusion - While the national unbanked rate has steadily declined in recent years, some households still have a relatively high probability of being unbanked. Consistent with anecdotal evidence and existing reports, we find that low income has the strongest independent relationship with the probability of being unbanked. However, low-income households exhibit large differences in their probability of being unbanked, and we find a variety of other characteristics play a role in determining these households' banking status. In addition to socioeconomic characteristics such as education, age, race, and employment, access to technology has an independent association with banking status.

Despite the availability of mobile-banking services and the narrowing of gender, wealth and education gaps in account ownership, few account holders are using facilities available to them, raising doubts around improvements for

financial inclusion, according to the latest Global Findex Survey released by the World Bank in April 2018.

India's unbanked population has been the target of the government's flagship Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), or the Prime Minister's People's Wealth Programme, launched in 2014. It has been largely responsible for the rapid increase in opened accounts, the Global Findex report said. No more than 1% of PMJDY account holders - 3.1 million beneficiaries - use overdraft facilities available to them, and 17% of PMJDY accounts are "zero-balance", meaning they are not used, recent data show, although that is down from 25% in 2016 and 75% in 2014. There is no marked improvement in access to formal credit, and 38% of Indian accounts are inactive - meaning, there were no withdrawals or deposits over the course of a year - suggesting that many Indians are still not integrated into the formal banking system. Participation in and effective use of financial services can help drive development goals by aiding investment in education and health, helping to manage financial emergencies and reduce dependency on cash, the report said.

References :-

1. <https://globalfindex.worldbank.org>.
2. <https://www.investopedia.com/terms/underbanked>
3. <https://www.livemint.com/Industry/19-crore-Indian-adults-dont-have>
4. <https://scroll.in/BusinessAndEconomy/FinancialInclusion>
5. <https://timesofindia.indiatimes.com/BUSINESSNEWS>
6. Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty - Muhammad Yunus
7. Towards Financial Inclusion in India Hardcover - K.G. Karmakar
8. National Survey of Unbanked and Underbanked Households - Federal Deposit Insurance Corporation.

Education System of India and it's Drawback

Kartikeswar Patro*

Abstract - The objective of writing of this research paper is to bring defect system of our education system to the knowledge of everyone. Our government as well as many educationists contributes a lot for the progress of education up to the grassroots level but I feel some where something to do for its better outcome. Here I pointed out some of loopholes of Indian education system and few suggestions as per my view to improve the education system of my country. Because education is one of the powerful engine which can sweep away the despotism and blind belief from the society. Indian government introduced may committee from the independence to till days but still we need to improve this system as per my view.

Introduction - India is known for education in the world from the ancient days. At present days large number of educated youth works in the various countries in the world which is known as brain drain theory. Many MNCs in the world hires Indian English speaking youth for their call centre to solve the problem of customers for purchasing various products. As we are active citizen of this nation it is our most important duty to select which type of course will be beneficial for our student till death such as education on morality, technology, various rights of citizen, health and sanitation, behaviours, respect to others, science medicine, and astronomy, history on heroism, basic lesson on food cloth and shelter, martial art and self defence, use of mathematics in daily life, etc These subjects will give earning to our future generation for life long. Now a day's our children are so smart and more advance they play smart phones and super computer.

The education system of India is always praiseworthy from the Vedic period to till day. The contribution of Indian education to the world is innumerable. Many foreigners were attracted to receive Indian education as well as its culture. This soil attracted many foreigners such as Huien Tsang, Fa Hein, Abdur Razak, Nikitin, Al Beruni, etc. India's contribution to the world in education field is special such as medicine, astronomy, science, mathematics, art, architecture, etc. India lost its importance due to foreign invasion. After independence our government tried a lot to improve the education system which is necessary for the millions Indians. Our modern education system is based on compulsory up to 14 years and common education to all.

There are a lot of things wrong with the education system of my country. These are such as:-

1. Less investment in primary education comparison to other developed countries in the world.

2. Students work with their parents during the age of higher education and keeps distance with education due to economical point of view.
3. Our lessons which are in present prescribed syllabus taught us negative history, moral and heroism in history is missing from the school syllabus.
4. Indian education system based on only theoretical not based on practical knowledge. It kills the curiosity of students.
5. Lack of awareness about their career after complete of their professional degree.
6. Lack of foundation of basic teaching due to involvement of teacher in extra work which assigned by the government, such as election duty, census duty as well as other duty.
7. Information technology was not wide spread every nook and corner of India. Lack of technology in Indian education system it is based on old and traditional education system. No modernisation in teaching method and assessment process.
8. Lack of sex education, adolescence teaching in higher education curriculum.
9. CCE system of CBSE has major draw backs of Indian education system which brings down the intelligence of Indian youth which famous for brain drain theory.
10. The communication of teacher and student is completely based on studies, far distance from social and personal relation.
11. Parent does not give the importance of the hobby of a child as a career they force them to make career in engineering, medicine, law and management as a better stream then the other.
12. Gender discrimination or less importance on girl's education by the parents in rural areas. Sometimes parents arrange early marriage for girls by breakdown

- of education.
13. Our school schedule (Public school or private schools) was very long time taking; it does not provide relaxation to student.
 14. As per our education system the government aided school does not perform as per our expectation. Near about 30% people are under poverty they are far distance from the benefits of government school education system.
 15. Less importance to vocational education stream. Some institution provides vocational but it is not based on industry oriented.
 16. Lack of learning outcome as well as moral and ethical learning.
 17. Teachers training is must to develop their teaching skill and to update themselves with present days.
 18. Some students have a craze to study the particular course but they are simply rejected due to equal opportunity. This process helps to rise of business of coaching in urban areas.
 19. A large number of students became graduate in science, humanities, and commerce then at last they accept their career as a musician.
 20. We follow the best advanced syllabus in the world but our way of teaching is based on theoretical as well as mark oriented examination system.
 21. Student has no time to explore new things due to more home work.
 22. Government aided schools are poor quality of education and infrastructure and private schools are too costly which is not a cup of a tea for the poor rural area people.
 23. Less teaching and more examination so the student has less interest in creative work as well as sports.
 24. Our lessons must content with moral studies which will help student to nourish as a good human being.
 25. Our system of education gave much more importance to the study of literature instead of speaking skills.
 26. Class room teaching is based on only one way of teaching instead of interactive. It is based on concept oriented teaching.
 27. Involvement of parents in education is very less in rural areas.
 28. Our education system does not contain religious, sex, emotional, and social life.
 29. No scope for village area student to receive higher education in cities due to various reasons. Example a farmer's son involves in farming after receiving higher education.
 30. Importance of Private coaching, but it does not teach student to be an ideal citizen, a successful professional, a businessman. They just prepare the student for competitive exam nothing else.
 31. Our education system must be present day required based education not availability based education.
 32. Our complete schooling time is based on learning academic subject and less importance in life skill education.
 33. Our exam system based on bookish answer not based on understanding of the student on a particular topic. If a student has written more points in the answer, student will score more marks in examination.
 34. Teacher must devote their teaching and should create more interesting their teaching, so that student will take more interest in learning process.
 35. Indian students are studying most of all subject from early age such as English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Trigonometry, Science, Environmental Science, Social science, Physics, chemistry, Biology etc. But failure to focus on excellence of any particular subject in which that child may opt for career. So very simply I can say that "Jack of all trades but master of None".
 36. Our student should understand the basic things instead of rote learning. It does not check the I.Q level of student, it always check the memory capacity of the student.
 37. Large number of higher educated youth becomes unemployed every year because of default education system.
 38. Less importance on sports education.
 39. Establishment of colleges like as Mushroom which results decreasing the quality of good education.
 40. Reservation system of India in education keeps sideline to more unfortunate student having excellence knowledge in a particular field.
 41. Our education system taught children to compete against each other instead of learn something. It promotes reciting or learning by heart of any topic or portion of the topic and far distance from the practical knowledge.
 42. More homework and heavy work load to our student.
 43. Student has no freedom to choose the subject for opting as a career; it might be forced by parents as well as others.
 44. Our education system forced student cramming a subject instead of better understanding which has no fruitful in everyday life.
 45. In primary education school bags very heavy due to fill of various subjects but lack of a single book of morals and values.
 46. Our education system should not prepare the student only for engineering, medical science, it should prepare in the field of art, science, literature, sports, music as well as other field.
 47. The basic rule of our education system is score good marks then only our student can achieve everything in the life. so due to this type pressure many student commit suicides due to fear of examination result.
 48. Girls faces problem of security in society and sanitation in school campus.
 49. The aim of our teaching must be acquire basic knowledge from the lesson instead of marks oriented.

50. Learning process should not be equal for everyone and same, it should be based on their capability. For example a child want to be a doctor our education system should more focus on biology to that child from the high school study instead in higher class, so that child will be perfect in biology which will help the child be a successful doctor.
51. Our teaching process is not result oriented, because ratio of teacher is very less comparing to students.
52. People judge the student by their grade or marks they never bother about the talent and interest of a child.
53. Our teaching system is based on the curriculum based which was framed few years ago. It should be need of student.

Steps to improve the current system - I believe that some steps can be taken to improve the current education system. So, I have few suggestions to reform our education system for the betterment of my nation.

1. The number of primary school should be increase so that villagers can easily get the basic education easily. Teacher must be devoted and be regular to their work.
2. There should be compulsory that every government officer (starts from collector of a district to peon of an office) must send their children to government aided school. One such example if a child of a district collector will study in the government school, teacher will come regular as well as punctual in the same way if road is not good for the school, water supply of that school, mid day meal programme of that school, health facility as well as vaccines etc will improve very soon due to the fear of district collector administration.
3. Government should not give permission to set up private education because today's private education is a centre of business instead of teaching learning process.
4. Government school and college should rise of its standard so that student will prefer to join in government school instead of private school and college.
5. Old curriculum should be replaced by new one. New curriculum will be for every ones need. It must provide latest knowledge technology based education. Our syllabus must based on the importance of our culture, tradition, heroism of our past, moral based story, digi-

- tal and android based lesson.
6. Our education system must be free from corruption. Everyone should believe that school as a temple as well as centre of learning nothing else more than that. There must be equal opportunities to everyone on the basis of rich and poor as well as gender.
7. Our teaching must be based on practical based teaching.
8. Everyone should know the root cause of every disease, its symptoms as well as its prevention with the help of locally available naturopathy as well as other medicine.
9. From early childhood our children should learn to be a strong physically and mentally.
10. Our lesson must be based on patriotism; our student should inspire to devote to themselves for motherland.
11. Our lesson must be attracting our student to work in agriculture field and to grow more crops as much as possible. Lessons must be protecting our soil from the degradation. People should learn avoid the wastage of food.
12. Teaching moral science to student means save nation from destruction, crime, away from corruption, and a lesson to be faithful to our motherland.
13. Our education should not follow the reservation system it should be based on the talent of a child. For selection in a government everyone must appear same selection process.

Conclusion - In the conclusion I can say that if India was famous for its vast knowledge of astronomy, medicine, mathematics, culture, language, etc. why cannot we will back once again and occupy our same position in the world. Our country has the knowledge of moral ethics, respect to others we must proud of that it is like as ornaments to us. We need to appreciate good one and punish the wrong one. To improve our education system we need the total devotion from the bottom of our heart to do something for my nation is the appeal of mine to my country people.

References :-

1. My own experiences
2. View of Mr.Nishant Nair educationist (Kerela)
3. View of Mr.Vivek Wankhede educationist (Madhya pradesh)

Economic Condition Of The People During The Gupta Period

Sunil Sharma*

Abstract - After a long period of disunity, chaos and instability of the preceding generations, the political unity and efficient and beneficial government established by the imperial monarchs built the economic condition of the empire on a sounder footing. A brief survey of the progress in economy during Gupta period has been discussed in the Research Paper.

Key Words - Mainstay, flourished, Prosperity, Corollary, Vipanis, Guilds.

Introduction - The establishment of efficient and beneficial government by the Gupta rulers provided a fruitful soil for the development of trade, Industry and agriculture which in turn flourish the economic condition at that time. A brief survey of the progress in economy during Gupta's can be studied under the following heads: 1. Agriculture 2. Industry 3. Trade and Commerce

Agriculture - It was the mainstay of the economic life of the people. Hardly a piece of land that was uncultivated. Due to establishment of a large number of irrigation works, there was growth of agriculture even in the barren and dry lands. Everyone engaged in bringing more and more land under cultivation. Varahamihara, the great scientist, of the age has given correct observation about the areas, timings and quality of rainfall. He also gave detailed instructions as to what crops should be sown in a particular season, how, when and what manures should be applied and what distance should be there from Plant to Plant. The donees could not evict the tenants from their lands and deprived them of their means of Livelihood. Provision was made for irrigation and loans for buying seeds, lands, bullocks, and agricultural implements. No revenue from those who undertook the cultivation of waste and barren lands. Thus through the joint efforts of the state and the people, agriculture flourished.

Industry - In this field greatest progress was made in the metal Industry. They were well acquainted with the science of metallurgy for example discovery of several colossal copper statues of the Buddha and an iron Pillar at Mahrauli near Delhi. Iron industry was one of the most flourishing industries. The genius of Indian Iron workers has been highly praised by Percy Brown. The large number of articles made out of gold and a disc with human face excavated from Bhita points towards the flourishing condition of gold industry. Copper Industry also developed on a large scale e.g. Pottery was also popular industries of the period. Textile

industry also flourished. Trade in silk was done by well organized guilds. Dyeing, bleaching and embroidery flourished as a corollary of the textile industry. Another industries were wood carving, cosmetics and perfumes. These industries flourished under the paternal care of the Gupta monarchs.

Trade and commerce - Trade and Commerce is a natural corollary of industry and forms the main channel for the distribution of industrial products. The archaeological discoveries, references in contemporary literary works and a large number of epigraphs have all proved the existence of a brisk trade and commerce, internal as well as external during the Gupta period.

(a) External trade - The economic prosperity of the Gupta period is exhibited in a flourishing external trade both by land and water routes. Tamralipti, Sopara or Surparak, Barygoza, five ports of Malabar Coast [Solatpatam, Nalapatam, Pondapatan, Parti and Mangalore] and Sindhu, Gujarat and Kalyani were some of the chief ports through which goods were conveyed to and from Ceylon, Java, Sumatra, Bali, Rome, Borneo, China, Ethiopia, Arabia, Persia etc. Spices such as pepper, gems, pearls, birds, animals, perfumed oils, silk and fine Muslin cloth and many more articles were exported from the sea ports on the western coast. Fine quality silk was imported from China as is evidenced from the word Chinashuk used in the contemporary literary works. Science of wealth or Padmini Vidya with its eight attendants had become a special subject for study with the Vaishya class people. An idea of the gains from external trade can be had from the fact that the king of Rome was compelled to ban the entry of Indian Muslin into his country since its increasing demand had led to a steady flow of Roman gold into India thus giving jerks to Indian economy. The brisk foreign trade led to the enormous increase of wealth and gold flowed into the country in such huge quantities as to give the motif of rain

of gold from the heavens.

(b) Internal Trade - Amarkosa, Chaturbani, Mrichhatika and Raghuvamsa have frequently referred to the existence of large market called Vipanis. It points towards a flourishing internal trade and commerce. The peasants sold their produce in these markets to an intermediary class of merchants who carried these goods to and from one part of country to other. Two types of merchants were known to have existed in this period from the Damodar copper plates and Vaishali seals. These were [a] Sreshthin or Bankers and [b] Sarthavaha or Caravan Leaders.

The chief article of internal trade included all sorts of commodities of every day use. Narada has given us a long list of these articles which consisted of cereals, pulses, milk and its products, liquor, honey, skin of animals, beeswax, and luxury goods such as sandal wood, Yak's tail, saffron, coral, musk, spices and gold and precious stones. Smritis of the period have laid down certain rules for the benefit of travelling merchants. Laws books of Narada, Brihaspati and others have prescribed elaborate rules to safeguard the interests of both the sellers as well as buyers.

Trade Guilds- A prominent feature of the economic conditions of the Gupta period was corporate economic life of the people. Smritis, Seals and Inscriptions have revealed to us the existence of various trade guilds or corporations. There were federation of guilds and it is not unlikely that there existed in the Gupta period something like a modern chamber of commerce. Each one of these guilds had its own seals for the transaction of its business. The affairs of a guild were managed by a president and an executive committee of 3 to 5 members who enjoyed

autonomous powers including those of judiciary. There were separate guild courts where the majority of the cases were decided. The government did not interfere in the normal functioning of the guilds except in the cases of extreme necessity of the State security. A remarkable feature about the guilds was the carrying of banking business by them in addition to their respective trades. The public had full confidence in the guilds in the honouring of their obligations and did not get perturbed even if a guild migrated to other place offering better trade prospects as did the silk weaver's guild which migrated to Dosapur in 436-37AD which shows the lasting character of the guild organizations.

The economic prosperity of the country is also borne out by numismatic and literary evidences. The circulation of pure gold coinage upto the reign of Kumara Gupta I is indicative of the richness of the country. The reverse of certain coin types show Goddess Laxmi flanked by dwarfs and elephants pouring out small objects, probably coins, which may be taken as symbolic of a virtual rain of gold from heavens. In literary works, frequent references are made to various costly metals and precious stones which point towards the abundance of the country in these objects. The living was very cheap during Gupta period. The extensive use of the 'cowries' for the purpose of daily transactions is the testimony of the fact.

Conclusion:-It is obvious from the above description that Gupta period was economically prosperous.

References :-

1. Indian history by Krishna Reddy.
2. NCERT Textbook of Medieval India.
3. Magazine - Pratiyogita darpan.
4. Indian History by Agnihotri.

Jammu And Kashmir Reorganisation Act 2019 - Sign Of A New Change

Jai Prakash Vyas* Prof. (Dr.) Yogendra Shirivastav**

Abstract - Article 370 of Indian constitution defines Jammu and Kashmir as special state, which was later abrogating on 5 August 2019. As per the prior provisions the state had its separate legal entity own administrative protocol and constitution. A primeval provision of Jammu and Kashmir prohibits Indian citizens to purchase land or property in Jammu and Kashmir. The demographic structure of Jammu and Kashmir segregated into three religious followers i.e. Hindu-majority belongs to Jammu, Muslim-majority belongs to Kashmir and Buddhist-dominated belongs to Ladakh. In 2014 Bharatiya Janta party putted a political wow, " the revocation of Article 370" in his manifesto and which was later fulfill on 5 August in the year 2019 after acquiring the majority in 2014 general election. The Minister of Home Affairs Amit Shah introduced The Jammu and Kashmir Reorganization Bill in Rajya Sabha on 5 August 2019. The bill was preceded by a Presidential Order under the Article 370, which superseded the 1954 Presidential Order. It made, inter alia, all the provisions of the Indian constitution -applicable to the State of Jammu and Kashmir.

Key Words - Article 370, Jammu and Kashmir Reorganization Bill, 2019, Presidential Order, Revocation.

Introduction - Jammu and Kashmir acquire a special status under Article 370 of Indian constitution. Article 370 describes "the special status of J&K" as a temporary provision and also stated by Nehru that the provision will be faded away by the time. However, prior to that, a consistency is necessary from the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Here special status means the all laws passed by Indian Parliamentary house will not be imposing to the State, till the State government provides its concurrence. Article 370 empowers the president of India to decide what regulations and provisions Indian Constitution would be applicable to the State and what are the exceptions, but all this happen only with the consensus of the state. The order of 1954 of the Jammu & Kashmir Constitution lists the Articles and provisions that apply to J&K after that the President also include a set of exceptional cases under Article 35A of the Constitution but these exceptions is not mentioned in the Indian constitution. The presidential order of 1954 constituted a founding legal document for Jammu and Kashmir paralerlly Article 35A worked for the protection of the exclusive laws such as prohibition on buying property in Jammu and Kashmir by outsiders and the women marrying lose their property rights if marry to non-Kashmiris. The above provision can only be changed only with the consensus of 'Sadar-i-Riyasat' of Jammu and Kashmir, performing on the opinion of the Council of Minister. As of now, there is no "Constituent Assembly".

Procedure To Pass Jammu And Kashmir Reorganisation Bill 2019 - The procedure of passing

Jammu and Kashmir reorganization bill was commenced by the issuance of presidential order under section 370(1) by Ram Nath Kovind, The President of India. Article 370(1) of the Indian constitution empowers the President of India to mark the subject which is applicable to Jammu and Kashmir. The order would not be proceed if there will be no consistency with the government or sadar-i-Siyasat of Jammu and Kashmir so, this consistency given by the governor of Jammu and Kashmir namely Satyapak Malik as Sadar-I-Riyasat. At that time Satya pal Malik was the head governing person of state, who is administrating the jammu and kashmir as per the module of presidential rule and thus the order passed by the concurrence of both president and the governor of Jammu & Kashmir and the order wipe out all the barricades which stops jammu and kashmir to legal frame which was already enforce in the other states of India and the same order clarifies that all the provision of Indian Constitutions now applicable to J & K also. In other words the issuance of this order revert the order of 1954. However, Article 370 still not wiped from all the dimensions some special measures still required to wipe out the Article altogether. Article 367 of the Indian Constitution which consist of the "Interpretations" which guidance on how to read, interpret or understand some provisions regarding Jammu & Kashmir. The new clauses will only applicable with the references to the 'Sadar-i-Riyasat' of Jammu & Kashmir who is performing on the suggestion of the Council of Ministers, will be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir." The

* Research Scholar, Jlu, Bhopal (M.P.) INDIA

** Director, School Of Law Jlu, Bhopal (M.P.) INDIA

Governor” refers to all the aspects of state government and specifically, reference to the “Constituent Assembly” in a proviso to Article 370 (3) has been amended to read “Legislative Assembly of the State”. This is an important provision which describes the point that the President can wipe out or abrogate the Article 370 but only with the consistency of the Constituent Assembly. At that time there is no Constituent Assembly to “recommend” the abrogation of of Article 370. Therefore, the same act played by the State Assembly. The Presidential Order has form the whole platform for welcoming the new form of Article 370. Here, the government has made use of the fact that Jammu and Kashmir is under President’s Rule. Under the edict issued as per Article 356 of the Constitution, the President empowers to look-over the administration activities of a State; and legislative function of Jammu and Kashmir will perform by the parliament. For example if any State running under Central rule, the allocation of budget for the State voted by the Parliament in the absence of the Assembly. The dual authoritative resolution released by Union Home Minister. One, to advocate the notification released by the President of Indian regarding inoperativeness of Article 370 and the second to accept the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill. The notification will empower the President to announce that Article 370 has been ceased to operate. The Bill came up with the statement to convert Jammu and Kashmir into a Union Territory with the inclusion of legislature, and separate out the Ladakh region as another new Union Territory with the absence of legislature. The Bill was announced in the Rajya Sabah, Members of People’s Democratic Party (PDP) distract the dignity of Indian constitution by tearing up the copies of the Indian constitution due to this act they were suspended from the House; 13 members of the Trinamool walked out the house.,and 6 members of Janata Dal United boycotted the process of voting. However, the bill acquired the support of Bahujan Samaj Party, YSR Congress, Telugu Desam Party and the Aam Admi Party. Along with the 107 members of the ruling National Democratic Alliance, the number of supporting parliamentarians totaled to 117. The Jammu&Kashmir reorganization bill was passed by Rajya Sabha in which 125 members casted vote in favor of bill and 61 members voted against the bill

Rajya Sabha Voting

S.NO	Party	In Favour	Against	Abstain
1	BJP	78	-	-
2	INC	-	46	-
3	JD(U)	-	-	6
4	AIADMK	11	-	-
5	AITC	-	13	-
6	NCP	-	-	4
7	BJD	7	-	-
8	SP	-	11	-
9	TRS	6	-	-
10	DMK	-	5	-
11	SHIV SENA	4	-	-

12	CPI(M)	-	5	-
13	BSP	4	-	-
14	RJD	-	5	-
15	AAP	3	-	-
16	TDP	2	-	-
17	TSRC	2	-	-
18	SAD	3	-	-
19	YSRCP	2	-	-
20	RPI-A	1	-	-
21	NPF	1	-	-
22	LJP	1	-	-
23	BPF	1	-	-
24	AGP	1	-	-
25	NOMINATED MEMBERS	4	-	-
26	INDEPENDENT	-	-	-
	TOTAL	125	61	10

On 6 August 2019 the reorganization bill was presented in house of people of Indian parliament. During the parliamentary session of reorganization bill of Jammu and Kashmir many of the parties was not in the favor of the bill some of them walked out the house of parliament. Janata Dal, India Trinamool Congress, Indian National Congress, Nationalist Congress and Samajwadi were the parties who opposed the bill; Bharatiya Janata Party, Shiv Sena, Biju Janata Dal, YSR Congress Party, Telangana Rashtra Samithi, Telugu Desam Party, Shiromani Akali Dal and Bahujan Samaj were in the favor of bill. 370 votes were casted in favor and 70 votes were casted against the bill later on 9 August 2019 the President of India gave his assent to the bill and notification was released in the Gazette of India.

Latest Updates - 144th Birth Anniversary of Sardar Patel i.e. 31st October 2019 was selected the date of enforcement for the formation of two new union territories namely Jammu-Kashmir and Ladakh in place of Jammu & Kashmir state. There will be 2 Lieutenant Governor in place of governor. Srinagar will be the capital of Jammu, Kashmir and Leh will be the capital of Ladakh. G.C. Murmu and R.K. Mathur will be the Lieutenant Governors of Jammu and Kashmir and Ladakh respectively. There will be a combined High Court for Jammu Kashmir and Ladakh kn own as Jammu and Kashmir High Court.

LG will have more powers than the former Governors of the Jammu and Kashmir and Ladakh. 106 Central will now be applicable with 166 State acts which includes the act of Governor in the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh and 153 state laws will be repealed. There will be no legislative assembly in Ladakh as Chandigarh and it will be governed by the home ministry of central government by the LG of the UT. The long time demand of Ladakh being seperated from Jammu Kashmir for their own unique identity is fulfilled by declaring it a UT by the Central Government. Separation of Ladakh from Jammu and Kashmir was demanded so that the unique identity of Ladakh and more doors of development of Ladakh can be opened.

After Jammu and Kashmir turned as UT there will be radical changes in the system of legislative assembly work. In new legislative assembly there will be 107 assembly seats in Jammu and Kashmir out of which 24 seats will be kept vacant for the region of POK. After the abrogation Article 370 the people from outside of Jammu Kashmir can also buy properties for residential as well as for the purpose of business and industries. The disputes related to land and land revenues will be in the hands of newly elected govt. All the IAS, IPS and other central government officials will come under AGMUT Cadre and officials of state govt will continue their work under LG.

The legal frame work of Article 370 of Indian Constitution was just like that, the RTI (Right to information) and RTE (Right to Education) were not be able to impose on the state Jammu and Kashmir but positively after the abrogation of the Article 370 all the acts now applicable to Jammu and Kashmir. The administrative scenario of Jammu and Kashmir prior to the abrogation of article 370 was like that, even the Panchayat of J&K not able to enjoy the rights which usually applicable to other panchayati system in the country, Women were isolated by the Shariyat act, they were

not able to grab the reservation benefits which actually enjoyed by the minorities of the other states of India. Apart from this Human Rights Commission, Information commission, consumer disputes redressal commission, Electricity regulatory commission and central energy law will now applicable on Jammu and Kashmir.

Conclusion - Jammu & Kashmir Reorganization Act 2019 came up with new opportunities and plan of strong structure development for state, which proves to be worthwhile in future. The Act opens the doors for Stable Women Empowerment, Strong Education System, Security, Industrialization, Job opportunities etc.

References :-

1. Constitution of India by VN Shukla, EBC
2. The Constitution of Jammu and Kashmir
3. <http://www.ministryofhomeaffairs.in>
4. <http://www.thehindu.com>
5. <http://www.wikipedia.com>
6. <http://www.ministryoflawandjustice.in>
7. Gazette Notification of Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019

Mansabdari System During Mughal Rule

Sunil Sharma*

Abstract - In order to develop military administration and strengthen general administration Mansabdari system was adopted. The main features of this system have been discussed in the research paper.

Key Words - Mansabdars, Zats, Amirs, Dagh, Duaspa-Sihaspas, Sawar.

Introduction - Meaning:-The word Mansab means a position or rank. Mansab is an Arabic word which means to fix the 'title' or 'status'. But during the Mughal rule, it was in relation to those officers who helped the Emperor in state affairs. The officers in the Mughal age were called Mansabdars. It was a speciality of Mughal administration. This system originated in Central Asia. Akbar institutionalized it for the sake of military administration and to strengthen the general administration in 1571AD. Mir Bakshi Shahbaz Khan helped Akbar to organize Mansabdari system.

Main Features of Mansabdari System -

1. Appointment, Promotion and retrenchment of Mansabdars -The Emperor himself appointed the Mansabdars. The appointment was made purely on merit. The promotion was also in the hands of Emperor. After appointment, the name of Mansabdars was registered. The Emperor could dismiss or retire any Mansabdar at his will.

2. Ranks of Mansabdars - The Mansabdars were divided into two sections - Zat and Sawar.

Zat signified the individual status, Sawar signified the cavalry, the mansabdars had to keep under them. Views of Historian about Zat and Sawar -

According to Blockmen, "Zat or Jat signified the actual maximum number that a Mansabdar could engage. On the other hand, Sawar revealed the actual number of horsemen that he possessed."

According to Irvin the word Jat signified the number of horses of Mansabdar. But Sawar was the rank of honour. Dr. Tripathi holds a totally different view. According to him, "Sawar" indicated the additional honour of the Mansabdar and for that he received allowance also. But the Mansabdar was not obliged to keep the given number of horsemen.

According to CSK Rao "Jat indicated the number of infantry and Sawar signified the number of horsemen that Mansabdar had under him."

According to Dr. Ishwar Prasad and Professor SR

Sharma the ranks [Zat and Sawar] were divided among the mansabdars into 1st 2nd and 3rd class respectively.

1st class - If the Sawar rank of any Mansabdar was equal to his Zat rank, he was called as Mansabdar of 1st class. For example Mansabdars of 5000 Zats and Sawar was known as the Mansabdar of 5000 of 1st class.

2nd class - If the Sawar rank of any Mansabdars was less than his Zat rank or more than half, he was called as 2nd class Mansabdars. For example Mansabdars of 5000 Zats and 3000 Sawars was the Mansabdars of 5000 of category II.

3rd class - If the Sawar rank of any Mansabdar was less than half of his Zat rank. For example 5000 Zats and 2000 Sawars was the Mansabdar of 5000 of category III.

3. Categories of Mansabdars - During Akbar's reign, these Mansabdars ranged from 10 to 5000 troops. The Mansab of 5000 was given to the members of royal family or individuals of prominent dynasties. In the later year of Akbar's reign, the Mansab of 7000 Zat was given. It went on increasing from Akbar to Aurangzeb. The three categories of Mansabdars were -

- I] Mansabdars - Less than 500 Zats
- II] Amirs - More than 500 Zats and less than 2500 Zats
- III] Amir-i-Umda or Amir-i-Ajam or Umrah - 2500 or More zats

Those who got cash salary were called Naqdis and who got Jagir in place of salary were called Jagirdars. Some Jagirdars had hereditary rights over the Jagir and were called the Watanis.

The Mansabdars were not hereditary. So they did not exploit the Kasthanks.

4. Salaries of Mansabdars - In the beginning, the Mansabdars received Rupees 240 per Sawar every year as salary. Later this amount was reduced to 200 per Sawar. The Mansabdars were given the concessions to save for himself 5% of the amount. Besides the salary of the Zat. He had increment of Rupees 2 per Sawar in salary.

The detail of salary is shown in the table below (**See**)

Out of this salary Mansabdars had to pay for the expenditure on Horsemen and the horses they kept and also gave present to the Emperor from time to time .Moreland says, after expenditure they still saved a lot of money so they led a luxurious life.

4. Restrictions on Mansabdars - Their property was confiscated by the Emperor after their death. The were transferred from time to time. The secret agencies informed Emperor of their activities.Dagh [Branding of Horses] and Chahra or Tashiha [Descriptive roll of Soldier] decreased the possibility of fraud and fix rank according to the size of the contingent maintained [Maratib] and also to check evasion of Military obligation.

5. Main addition by Jahangir in the Mansabdari system.[Duaspa-Sihaspa] - Introduction of the Duaspa – Sihaspa [2 or 3 horses] rank,literally meaning troopers having 2 or 3 horses; and hence related to Sawar rank. It was given to the selected nobles as a special favour and also to those Mansabdars engaged in military operations and expedition. This rank doubled the ordinary Sawar rank and hence doubles the obligations and privileges that went with it.

Merits of Mansabdari System -

1. The Mansabdari system put an end to the Jagirdari system, so there was no fear of revolt because now Mansabdar depended on the Emperor for his salary.
2. All the ranks were given according to the merits which increased the efficiency of the administration.
3. The Government got rid of the conspiracy system of the Jagirdars.
4. The wealth and property of the Mansabdars was

confiscated after their death .This increased the income of the government.

Demerits of the Mansabdari system -

1. The Mansabdars were always trying to cheat the Government. They kept a much less number of horsemen than the fixed number but they received full salary from the government .Even Dagh and Chahra system introduced by Akbar could not end this corruption.
2. After expenditure, Mansabdars still saved a lot of money and they lived luxurious lives became indulgent and thereby weakened the Mughal powers.This weakened the Mughal Empire.
3. In the times of war, soldiers of different Mansabdars could not fight as one. They did not possess the merits of the National army.
4. The Mansabdars knew that their property would be confiscated after their death. So they wanted to enjoy as much as they could in their life time. They went astray. They drank and spent their time in pleasure. Thus with the passage of time, the system gave a deadly blow to the power and prestige of empire.
5. After Aurangzeb’s death, the Mansabdars started conspiring against the Government with the help of soldiers. The result was that the system cracked after Aurangzeb’s death and came to an end.

References:-

1. Indian history by Krishna Reddy.
2. NCERT Textbook of Medieval India.
3. Magazine:-Pratiyogita darpan.
4. Indian History by Agnihotri.

The detail of salary is shown in the table below

Rank of Mansabdars	Salary of 1 st class [In Rs]	Salary of 2 nd class[In Rs]	Salary of 3 rd class[In Rs]
5000	30000	29000	2800
1000	8200	8100	2100
500	2500	2300	800
100	700	600	600

Isolation and Characterisation of a Novel Flavonoid Glycoside from the Stem of *Impatiens Scabrida* D.C.

Dr. Basanti Jain*

Abstract - Phytochemical examination of *Impatiens Scabrida* D.C. resulted in the isolation and Identification of a novel flavonoid glycoside, Gossypetin-5-O- α -L-rhamnopyranosyl. (1 \rightarrow 4) – O-B-D- glucopyranoside and characterised by physical, chemical and Spectroscopic method.

Introduction - *Impatiens scabrida*¹ D.C. (N.O. Balsaminaceae) is distributed throughout India. It is an annual herb with sessile and narrow leaves. The Ayurvedic system of medicines describes the oil of the plant to be used as a semidrying oil. The present paper deals the isolation and structural elucidation of a novel flavonoid glycoside.

Experimental: The methanolic extract of the water soluble part of the 95% concentrated ethanolic extract of dried and powdered plant, when worked up by C.C. gave crude glycoside (0.48%). Methanolic extract on TLC examination showed two spots which was separated by column chromatography on Si-gel G. One of the compd. eluted with ethylacetate: methanol (1:3) gave a brown amorphous compound m.pt. 229°C, molecular formula C₂₇H₃₀O₁₇, M⁺626(R_f=0.72). It gave positive Molisch test and responded to all the colour tests for flavonoidal glycoside^{2,3} [1].

Result : [1] On acid hydrolysis with 7% ethanolic H₂SO₄ gave an aglycone [2] and the sugar moiety, which was identified as D-glucose and L-rhamnose (by, Co-Pc and Co-TLC).

The aglycone C₁₅H₁₀O₈, m.pt. 308°, M⁺318, m/e=290, 288, 169, 168, 140, 132, crystallized in yellow needle, UV.

λ_{max}^{MeOH} 256, 270, 375 nm, $\lambda_{max}^{AlCl_3}$ 257, 272, 446 nm,

$\lambda_{max}^{NaOAc+H_3BO_3}$ 266, 395 nm, IR ν_{max}^{KBr} 3388, 2916,

1680, 1600, 1280, 1140, 810 cm⁻¹, ¹HNMR spectrum of hexa-acetyl derivative of the aglycone showed signals at δ = 6.48 (d, J=2, C₆-1H), δ = 7.53 (d, J=2.5, C₂-1H), δ = 6.88 (d, J=8.5, C₅-1H), δ = 7.63 (d, J=2.5, C₉-1H), δ = 2.34 (S, 3H, C₃-OAC), δ = 2.36 (S, 3H, C₂-OAC), δ = 2.48 (S, 3H, C₅-OAC), δ = 2.45 (S, 3H, C₉-OAC), δ = 2.41 (S, 3H, C₇-OAC), δ = 2.39 (S, 3H, C₈-OAC).

A peak at 3388 cm⁻¹ in the IR spectrum of the [2] showed the presence of OH groups in it. The number of OH groups were estimated by the acetylation with AC₂O/pyridine yielded

hexa acetyl derivative, thereby confirming the presence of six hydroxyl groups in it.

Formation of 4:5 dihydroxy-benzoic acid (protocatechuic acid) on alkaline degradation of the [2] confirmed the presence of OH groups at C-3' and C-4' in the [2].

A bathochromic shift of 38 nm in the band I and hypsochromic shift of 34 nm upon addition of AlCl₃ and H₃BO₃ in the UV Spectrum of [2] further confirmed the presence of OH groups at C₃' and C-4' respectively⁴.

Formation of Phloroglucinol on alkaline degradation of the [2] showed the presence of two-OH groups at C-5 and C-7 respectively.

Spectral shift⁵ with AlCl₃ (bathochromic shift 24nm) and CH₃COOH (bathochromic shift 34 nm) indicated the presence of -OH groups at C-5 and C-7 respectively.

Yellow fluorescence of the [2] in UN light⁶ and the spectral shift with AlCl₃ in presence of HCl relative to band (I) in MeOH indicating a free 3-OH group in the aglycone.

A characteristic colour reaction with Zn/Hg and zirconium oxychloride in citric acid⁷ further suggested the presence of -OH group at C-3.

The [2] gave a red complex with zirconium nitrate solution soluble in HCl showing the presence of a hydroxyl group at position C₈⁸, which was further confirmed by a signal at δ = 2.39 in the ¹HNMR spectrum of acetylated aglycone.

Formation of above degradation products established the identity of the [2] as 3:5:7:8:3':4'- hexahydroxy flavones (Gossypetin).

The aqueous hydrolysate was found to be a mixture of two sugars D-glucose and L-rhamnose, (Co-Pc and Co-Tlc). The sodium metaperiodate oxidation⁹ of the glycoside consumed 3.02 molecule of periodate and liberated 1.14 molecule of formic acid indicating the presence of disaccharide and also that both the sugars were in the pyranose⁹ form.

[1] on permethylation⁹ followed by hydrolysis yielded

*Department of Chemistry, Govt. M.L.B. Girls P.G. Autonomous College Bhopal (M.P.) INDIA

2,3,4,6-tetra-O-methyl glucose and 2,3,4-tri-O-methyl rhamnose (by Co-Pc and Co-Tlc) indicating that the linkage between the sugars was through (1→ 4). Enzymatic hydrolysis¹⁰ of [1] indicate α linkage between the sugars and the aglycone.

Thus [1] was identified as Gossypetin-5-O- α -L rhamnopyranosyl (1→ 4). O—D-glucopyranoside.

References :-

1. C.R.B. Babur, Herbaceous Flora of Dehradun, Publication and Information Director, CSIR, New Delhi, p. 106 (1977)
2. L.H. Brigga and R.H. Locker, J. Chem. Soc., 3136 (1951).
3. L. Jurd in T.A. Geisman (Ed.) Chemistry of the Flavonoid Compounds, pergamon Press, London, pp 107-155 (1962).
4. A. Ulubelen, M. Miski, P. Neuman and T.J. Mabry, J. Natural Products, 42,262 (1979).
5. S.F. El-Naggar and R.W. Doskotch, J.Natural Products, 42, 126 (1979).
6. A. Ulubelen, T.J. Mabry and Y. Aynchchi, J. Natural Products, 42, 624 (1979).
7. V.K. Saxena, D.Sc, Thesis, Saugar University (1981).
8. F. Feigl and V. Anger, Spot Test in Organic Analysis, 7th English Ed. Elsevier, Amsterdam (1966).
9. R. Khun, H. Trischmann and I. Low, Angew Chem. 67, 32 (1955).
10. F.G. Mann and B.C. Saunders, Practical Organic Chemistry, Longman, New York, 365 (1936).

निमाड़ के 17वीं-18वीं सदी के सन्तों द्वारा साहित्य सृजन

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना - वर्तमान मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में निमाड़ क्षेत्र स्थित है। यहां सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में निमाड़ में प्रमुख रूप से दलूदास, खेमदास, धनजीदास, लालदास, बोंदरू आदि सन्त हुए। इनमें अफजल सर्वकालिक महान सन्त थे। इन सन्तों ने अपनी सहज शैली में जीवनोपयोगी साहित्य का सृजन किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन सन्तों द्वारा रचित साहित्य की विवेचना प्रस्तुत की गई है।

प्रमुख सन्त और उनका साहित्य - सन् 1601 से 1800 ईसवी के मध्य हुए प्रमुख सन्तों का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन बिंदुवार इस प्रकार है-

सन्त दलूदास का साहित्य - सन्त दलूदास 'सन्त कालूजी के पुत्र और सन्त सिंगाजी के पौत्र थे।' इनकी माता का नाम गुलाबबाई था। दलूदास सन्त सिंगाजी के अनन्य भक्त थे तथा उन्हें अपना गुरु मानते थे। दलूदास ने किसी अन्य जीवित गुरु से कोई औपचारिक दीक्षा ग्रहण नहीं की थी।

दलूदास ने भक्ति पदों की रचना की है। उनके द्वारा रचे गये पदों की संख्या 1500 के करीब आकलित की गई है। इनमें से 90 पद संकलित कर लिये गये हैं। उनके पदों का मुख्य विषय पितामह सन्त सिंगाजी हैं। उन्होंने अपने पदों में दीनतापूर्वक सिंगाजी की वन्दना की है। साथ ही उन्होंने संसार की नश्वरता, विरक्ति तथा माया और ब्रह्म से संबंधित पद भी रचे हैं। 'ऐसा प्रतीत होता है मानो दलूदास के शब्दों में निमाड़ी की आत्मा बोल रही है।'²

दलूदास के पदों का मुख्य विषय यद्यपि सिंगाजी के प्रति श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है, तथापि उन्होंने कलियुग के प्रभाव, संसार की नश्वरता, विरक्ति तथा माया और ब्रह्म से संबंधित विषयों का भी सारगर्भित रूप से वर्णन किया है।

'इनके पद सिंगाजी के पदों की तरह सुन्दर, प्रभावशील तथा भक्ति भाव से पूर्ण हैं। भाव और भाषा की दृष्टि से दोनों में इतना साम्य है कि उनकी (नाम की छाप वाली) अन्तिम पंक्ति पृथक कर एक साथ रख दी जाए तो निश्चित ही उनका विभाजन करना असंभव हो जायेगा।'³

सन्त खेमदास का साहित्य - सन्त खेमदास सन्त सिंगाजी के शिष्य और उनके पौत्र थे।⁴ उनका जन्म विक्रम संवत् 1700 (ईसवी सन् 1643) के लगभग हुआ था। खेमदास ने सन्त सिंगाजी को अपने गुरु के रूप में अंगीकार किया था। इस समय सिंगाजी सशरीर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएँ निमाड़ में सर्वत्र व्याप्त थीं, उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये खेमदास धर्म पथ पर अग्रसर हुये। 'लोक वाणी में रच बस गये सिंगाजी के भजन अनगिनत श्रद्धालुओं के लिये सूर्य की भाँति रहे हैं।'⁵ खेमदास ने भी इन्हीं से प्रकाश प्राप्त कर स्वयं को ज्योतिष किया।

'सिंगाजी की परचरी' सन्त खेमदास द्वारा रचित बहुमूल्य पुस्तक है।

इसे 'सिंगाजी की परचरी' एवं 'सिंगाजी की परचुरिया' भी कहा गया है। यह एकमात्र रचना है, जिसे पढ़कर सिंगाजी का पूर्ण परिचय ज्ञात होता है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि परचरीकार सिंगाजी के साथ रहा है और इस निकट सम्पर्क के द्वारा उसने सिंगाजी की जीवनी का परिचय प्राप्त किया तथा इसी परिचय को पुस्तक के रूप में लिखकर उसका नाम परचरी रख दिया गया। 'परचरी' का अर्थ परिचय या परचा दोनों होते हैं। निमाड़ी में परचा शब्द चमत्कार के लिये प्रचलित है। परचरी में सिंगाजी के जीवन में घटित कुछ चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। 'सन्त साहित्य के गुटकों में परचरी अथवा परचुरी शब्द का प्रयोग किसी प्रसिद्ध सन्त की जीवन लीला का परिचय कराने वाले ग्रन्थ के लिये होता है।'⁶

परचरी मोटे कागज पर 4x6 इंच के आकार में है तथा इसकी पृष्ठ संख्या 140 है। परचरी के रचनाकाल और इसके रचयिता एवं प्रतिलिपिकर्ता के सम्बंध में इसके अन्त में निम्नानुसार विवरण अंकित है-

परचरी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता के बिना सिंगाजी के व्यक्तित्व, विचारधारा, दर्शन और उन पर पड़े आध्यात्मिक प्रभाव को समझना संभव नहीं है। खेमदास ने परचरी में सिंगाजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुये उनकी विचारधारा और पूर्ववर्ती प्रभाव के सम्बंध में सिंगाजी के स्वकथन ही रख दिये हैं। ये कथन कहीं स्वानुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में हैं और कहीं संवादों के रूप में। 'जिस प्रकार रामचरित मानस के साथ तुलसी का नाम जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार सिंगाजी की परचरी के साथ सन्त खेमदास का नाम भी अनन्तकाल तक, युग-युगान्त तक जुड़ा रहेगा।'⁷ भाषा, वैचारिकता और प्रस्तुतिकरण की शैली के कारण परचरी को उच्च कोटि की साहित्यिक रचना की श्रेणी में रखा जाता है।

सन्त धनजी दास का साहित्य - 'सन्त धनजीदास का जन्म गोगाँवा के निकट अवरकच नामक ग्राम में हुआ था।'⁸ अवरकच खरगोन जिले (प. निमाड़) में कसरवाड़ तहसील क्षेत्र में स्थित है।

धार्मिक ग्रन्थों के प्रभाववश धनजीदास का रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने सिंगाजी को अपना गुरु मानकर मानसिक दीक्षा ग्रहण की। 'वे सिंगाजी के शिष्य थे।'⁹

धनजीदास एक उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने लेखन का माध्यम निमाड़ी भाषा को बनाया। उनकी भाषा सुगठित तथा अभिव्यक्ति पूर्ण सशक्त है। उन्होंने श्रीमद्भागवत एवं महाभारत की घटनाओं के आधार पर अनेक लोक कथाओं की रचना की है। भजन मण्डलियों के मध्य ये गाथाएँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे इसे मृदंग-झांझ की झंकार के साथ तल्लीनता से गाती हैं और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती हैं।

आपके द्वारा रचित प्रमुख गाथाएँ हैं- 'अभिमन्यु विवाह', 'सुभद्रा विवाह', 'रुक्मणी हरण', 'बाललीला', 'गोवर्धन लीला', 'रासलीला', 'राधा मंगल', 'पूतना वध', 'कंस वध', 'लीलावती', तथा 'मोतीलाला'।

उनकी समस्त रचनाएँ रोचक हैं, किन्तु 'मोतीलाला' सर्वश्रेष्ठ है। यह एक काव्य रचना है। इसमें 175 पद हैं। यह राधा एवं कृष्ण पर केन्द्रित है। इसमें रूठी हुई राधा को मनाने के लिये कृष्ण मोतियों के व्यापारी के रूप में वर्णित किये गये हैं। भाव, भाषा, उपमा और अलंकार की दृष्टि से यह एक सर्वांग पूर्ण सुन्दर रचना है।

आपका एक प्रसिद्ध पद, जो निमाड़ में बहुत गाया जाता है, इस प्रकार है-
गोविन्द-गोविन्द धोंक भोळा मन गोविन्द गोविन्द धोका।

खवाड़ी न खाजे न पिवाड़ी न पीजे, कोई देता लेता ख मती रोक।।

ववो जसो पाईस न पूजो जसो पाईस, नई तो धरऽग मोटी पोका।

कसो छे कुटूम थारो बड़ा कुटूम वाळा, ओ जसी बिना दरद की जोंक।।

अंत की बिरिया कोई काम नी आवसे, कोई नी पाळऽगो थारो सोका।

काल जाल लई न दीमर चल्यो रे, मारी रयो बड़ी-बड़ी डोका।।

उना कसई ख दया नी आवसे, बाड़ा में निवाड़ विज्जू बोका।

दास धनजी की अरजी सुणो भाई, कथनी कऊँ रे सिंगठोका।¹⁰

सन्त लालदास का साहित्य - सन्त लालदास का जन्म खरगोन जिले के सुरपाला नामक ग्राम में 265 वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत् 1802 (ईसवी सन् 1745) में हुआ था। लालदास के कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने किसी सी दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। बालपन से उनमें भक्ति की जो लौ जल गई थी, उसी कि अन्तिम परिणति सन्त के रूप में उनका कायान्तरण था।

सन्त लालदास ने अनेक पदों की रचना की है। ये पद वाचिक परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी अन्तरित हो रहे हैं। उनके पदों की विषय वस्तु भक्ति और नैतिक आचरण है। उनका एक पद इस प्रकार है-

कहे लाल दास भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे।।

माता-पिता की सेवा करना, गुरु को शीश झुकाना।।

सन्त जनों की सेवा करना, दुर्जनों से रहना न्यारे।।

तू क्यों करता अपना, यह जगत सब कोरा सपना।।

धन दौलत कुछ संग नहीं जाना, साथी छूट जाएंगे सारे।।

चार दिन का जग में रहना, सुख-दुःख सारे प्रेम से सहना।।

एक धरम पर सबको चलना, मिट जावेंगे दुःख सारे।।

बड़ी नारी को माता कहना, बराबरी को बहिना।।

छोटी को अपनी बेटी मानो लालदास ये वचन उचारें।।¹¹

सन्त बौदरू का साहित्य - सन्त बौदरू का जन्म होशंगाबाद जिले के हरदा में 'भादौ माह की नवमी को विक्रम सम्वत् 1765 (ईसवी सन् 1708) में हुआ था।¹² इनके पिता का नाम गोपाल तथा माता का नाम राधाबाई था। ये भिलाला जनजाति के थे। बौदरू को गुरु, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा की प्राप्ति सेवा के प्रतिफलस्वरूप हुई। उन्होंने एक साधु मण्डली के महन्तजी की खूब सेवा की। बौदरू के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर महन्तजी ने उन्हें आशीष के सन्त बौदरू ने भक्तिपूर्ण भजनों की रचना की है। ये भजन सरल निमाड़ी भाषा में लिखे गये हैं। उनके द्वारा सृजित एक भजन अगले पृष्ठ पर उद्धृत किया जा रहा है।

प्राण पंछी तम उड़ी चलो, चलो आपणा देस।

काया माया तजी देओं, तोड़ मोह को महेल।

स्वास पवन को घोड़िला, सोंह की हो गैल।

सुकमना सेज सजाविया, त्रिकुटी का हो महल।

आसन लगई, पंछी बठी गया, देखों अचरज खेल।

बिन पाणी सरवर भर्या करें ऊपर सेल।

अनहद वाजा वाजीयाँ, सन्त करी रह्या सेल।

सुन्न सवद एक सार हैं, वहीं हैं संतन मो मेल।

कहें बौदरू सुणों सन्त होंग म्हारा गुरु कों हों खेला।¹²

विषयवस्तु की दृष्टि से भजन की उदात्तता स्पष्ट है। जटिल और गुढ़ समझे जाने वाले विषय को आपने अत्यंत आसानी से सम्प्रेषणीय बना दिया।

सन्त अफजल का साहित्य - निमाड़ के सन्तों में अफजल का विशिष्ट स्थान है, लेकिन मध्ययुगीन अनेक सन्तों की तरह उनका जीवनवृत्त भी अंधकारमय है। उनके जन्म वर्ष, जन्म स्थान और यहां तक कि उनके वास्तविक नाम के बारे में भी अधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है।¹³

सन्त अफजल ने साखियों की रचना की है। उनके द्वारा रचित साखियों की पांडुलिपि ग्राम नागझिरी, जिला खरगोन के श्री भीकाजी कुशवाह के पास संरक्षित थी। श्री कुशवाह से महेश्वर के परिश्रमी साहित्यकार स्व. श्री बाबूलाल सेन ने उक्त पांडुलिपि प्राप्त करके तथा अन्य स्रोतों से सन्त अफजल के भजनों/साखियों का संकलन करके उनका अनुवाद किया है। यह संकलन कपिल तिवारी और नवल शुक्ल के सम्पादन में मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल से 'अमर सागर' शीर्षक से दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम खण्ड में 1 से 590 तक तथा द्वितीय खण्ड में 591 से 1675 तक साखियाँ संकलित की गई हैं।

उनकी साखियों में तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब स्पष्टतः दिखाई देता है। सामाजिक विसंगतियों, हिंसा, जात-पाँत, सम्प्रदायवाद, धर्माडम्बर आदि के विरोध में अपनी रचनात्मकता को मुखरित किया। उनके काव्य में दार्शनिकता की अनुभूति होती है। उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म साक्षात्कार, जीव, जगत, माया, मोक्ष आदि दार्शनिक विषयों पर लिखा है। उन्होंने अपने काव्य में कल्पना, यौवन, भोग विलास आदि की उपेक्षा की शिक्षा दी है। उन्होंने गुरु की महिमा पर अनेक साखियों की रचना की।

उनकी शैली व्यंग्यात्मक तथा अभिव्यक्ति सधुक्कड़ी ही है। निमाड़ की संस्कृति, भाषा और परिवेश को स्पष्ट प्रभाव सन्त अफजल की रचनाओं पर दिखाई देता है।

उपसंहार - उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निमाड़ के सन्त सिंगाजी से विशेष प्रभावित थे। अधिकांश सन्तों की रचनाओं में सिंगाजी की शैली और भाव का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। इन सन्तों ने अपने सृजन को जीवन के विविध महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केन्द्रित रखा। उनकी रचनाओं का अध्ययन जीवन को नैतिक उत्थान देने में सक्षम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **हमारे सन्त**, लेखक- रघुवीर शरण मित्र, प्रकाशक- भारतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ, संस्करण- 1969, पृष्ठ- 235.
2. **निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास**, लेखक- रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण- 1980. पृष्ठ- 161.
3. **निमाड़ी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956, पृष्ठ- 289-90.
4. **निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास**, लेखक- रामनारायण उपाध्याय,

- प्रकाशक- विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण- 1980. पृष्ठ- 161.
5. **सन्त साहित्य**, लेखक- भुवनेश्वर नाथ मिश्र, प्रकाशक- ग्रन्थमाला कार्यालय, बाकीपुर, संस्करण- 1941. पृष्ठ-266.
6. **सन्त साहित्य की समझ**, लेखक- डॉ. नन्दकिशोर पाण्डेय, प्रकाशक- रचना प्रकाशन, जयपुर, संस्करण- 2001. पृष्ठ-147.
7. **नर्मदांचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 25.
8. **सन्त सिंगाजी-एक अध्ययन**, लेखक- पं. रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- निमाइ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा, संस्करण- 1965, पृष्ठ- 22.
9. **निमाड़ी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956, पृष्ठ- 295.
10. **नर्मदांचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 38-39.
11. **निमाड़ी साहित्य के कलमकार-कलाकार**, सम्पादक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 2003, पृष्ठ- 58.
12. **सन्त बाँदरू जी की जीवन लीला एवं भजन**, लेखक एवं संकलनकर्ता - दगडूदादा भजनानंदी, प्रकाशक- स्वयं, संस्करण - 1975. पृष्ठ- 02
13. **वही**. पृष्ठ- 04
14. **सन्त अफजल का काव्य : एक अनुगोलन**, शोधार्थी- सुभाषचन्द्र सोलंकी, निदेशक- डॉ. ओमप्रकाश यादव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध, वर्ष- 2002. पृष्ठ-12

हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति

डॉ. आर. एस. वाटे *

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश है, इसलिए इसकी मौलिक आत्मा, इसका नैसर्गिक सौन्दर्य गाँवों में बिखरा पड़ा है। नगरों में तो इसका अति सीमित और कृत्रिम रूप परिलक्षित होता है। संबंधों का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है। फेचर चाईल्ड के अनुसार- 'ग्राम पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने-सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल आवृत्ति एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।'

भारतीय जीवन की धड़कन और उसके दर्द को जानने के लिए हमें ग्राम्य जीवन की नसें टटोलनी पड़ती हैं। नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते, अनेक तरह की कुप्रथा और रूढ़ियों के निरर्थक बोझ के ढोते, अज्ञान और अशिक्षा के शीत में ठिठुरते हुए भारतीय गाँव इस देश की जीवन्त करुण कहानी कहते हैं।

सदियों से ग्राम्य जीवन सभ्यता की दौड़ धूप में पीछे रहा है क्योंकि कृत्रिम सभ्यता 'आधुनिकता' के रूप में शहरों में अपना रंग जमाती है और सरल तथा निःस्पृह जीवन से सम्पृक्त हमारा ग्रामीण मानस अशिक्षा के कारण इसे सहज ही अंगीकार नहीं कर सकता है पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हमारे गाँव सदियों से एक ही ढर्रे पर चल रहे हो। यहाँ भी परिवर्तन हुआ है पर अत्यधिक धीमी गति से। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल या मध्य काल में गाँवों का जो स्वरूप था, उनकी जो जीवन परिस्थितियाँ थीं, उनके जो विश्वास और मान्यताएँ थीं सभ्यता संस्कृति की उथल-पुथल के साथ-साथ अत्यधिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद के गाँवों में ही बहुत बदलाव आ गया है।

'प्राचीन भारत के गाँव शताब्दियों पर्यन्त संगठित, सामूहिक शान्तिपूर्ण एवं सुनियोजित जीवन अपनी सुव्यवस्था तथा आत्मनिर्भरता के रूप में विख्यात रहा है।' परतंत्रता आते ही मुस्लिम काल एवं अंग्रेजी काल में विकृतियों से इनका स्वरूप उत्तरोत्तर बिगड़ता गया।

आज हमारी संस्कृति का आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यीकरण हो रहा है पर इसके बावजूद भी हमारी भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप हमें अब भी गाँवों में प्राप्त हो ही जाता है। हमारे जीवन की बुनियादी गहराइयों शहरों में न मिलकर गाँवों में ही दृष्टिगत होती हैं। विभिन्न लोकतत्व यथा मेले, त्योहार लोकगीत, लोककथाएँ, लोकनृत्य, ग्रामीण अंचलों में ही सुरक्षित मिलेंगे। इन सबकी अभिव्यक्ति हिन्दी कथा में भी मिलती है।

ग्राम परिवेश पर मिलने वाली इधर की कहानियाँ गुणात्मक रूप से उन कहानियों से अलग हैं जो 50-60 के दौरान लिखी गयी थीं। तब की अधिकांश कहानियाँ, शहर से छुट्टियों में लौटे हुए युवक या प्रौढ़ की ऐसी

कहानियाँ थीं जो किसी बूढ़े-बूढ़ी, पेड़ या विगत-प्यार के लिए श्रद्धांजलि की तरह लिखी जाती थीं और जब तक यह नायक उनके साथ जुड़ना शुरू करे, तब तक पढ़ाई या नौकरी पर उसके लौटने का समय हो जाता था। हिन्दी की कुछ बेहद सुन्दर रचनाएँ इस दौर में लिखी गयीं, मगर इधर की कहानियाँ ठेठ उन लोगों और स्थितियों के बीच घटित होती हैं और उसको अपना कथ्य बनाती हैं जो वहीं के हिस्से हैं। निश्चय ही इनमें फार्मूलों का सहारा है, स्थितियों के सरलीकरण और एकाकीपन हैं – मगर कथाकारों के सरोकार और सब मिलाकर उभरने वाली सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता... यहाँ इस अंतर्विरोध पर भी निगाह जाती है कि एक ओर तो कथाकार या शिक्षित युवक प्रायः शहरों और बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं और उधर साहित्य में उभर रहे हैं। दूर-दराज में फैले किसान, मजदूर और खेत-खलिहान, पुलिस-राजनेता अफसरों की मनमानियाँ...।

फैलते क्षेत्रों के इस व्यापक विकेन्द्रीकरण ने जहाँ कहानियों में अनंत विविधताएं, आंचलिक रंगत और जीवन संघर्ष के बेहद महत्वपूर्ण पक्ष दिये हैं वहीं हिंदी पाठकों के सामने संप्रेक्षण का एक और संकट खड़ा कर दिया है। इस संदर्भ में राजेन्द्र यादव कहते हैं कि पिछले दिनों अनेक पाठकों ने बार-बार सवाल उठाये थे कि हिन्दी पाठक से आप कितनी बोलियाँ समझने की उम्मीद करते हैं? कोई लेखक ईमानदारी और प्रामाणिकता से राजस्थानी जिन्दगी, भाषा और मुहावरे दे रहा है तो कोई सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों की कोई छत्तीसगढ़ी, ब्रज या हरियाणवी की ... बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्चस्व तो है ही ... उधर महानगरी मध्यवर्ग तो पूरे के पूरे संवद अंग्रेजी में झाड़ देता है – इस सिरे से उस सिरे तक छापी हुई यह भाषायी विविधता रोमांचकारी जरूर है, लेकिन पाठकीय बोध के लिए सबसे बड़ा संकट भी है। जब तक कहानी विषय या परिवेश के नयेपन और जानकारियों तक ही पाठक को सीमित रखती है तब तक अनुभव की गहराई से उसे नहीं छू पाती.... कहानी की सफलता ही इस बात में है कि इन बाहरी उपकरणों को पार करता हुआ पाठक कथ्य की अंतरंगता से जुड़ता चला जाये। इसके बिना कहानी का अनुभव पाठक का अपना अनुभव नहीं बनेगा – हाँ, उसकी जानकारी में इजाफा जरूर करेगा। जहाँ तक जानकारियों का सवाल है तो उसके लिए अखबार से लेकर दूर-संचार तक बीसियों और तरीकें हैं – कहानी से ज्यादा प्रामाणिक...।

अतः कहना न होगा कि भौगोलिक विस्तार समेटता हुआ यह विकेन्द्रीकरण यहीं जिस दूसरी समस्या के सामने हमें ला खड़ा करता है, वह है वि-मानकीकरण। जब चीजें अपने आकार में फैलती हैं तो उनके रूप भी वह नहीं रहते, वे भी टूटने, बिगड़ने या बदलने लगते हैं। हम जिन मूल्यों मान्यताओं, अचार-व्यवहार या भाषा-बोली की अभ्यस्त मानसिकता में

बने रहना चाहते हैं, उसे सबसे अधिक झटका देता है यह वि-मानकीकरण। शोषण और संघर्ष की सारी समानताओं और समान्यताओं के बावजूद कहानियों में सबसे अधिक उभरकर आने वाले इस भाषायी वि-मानकीकरण को अपने मूल में यथार्थिति के खिलाफ किसी गहरे असंतोष या विद्रोह की सहज अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। जिन्दगी की नींव में जब दरारें पड़ने लगती हैं तो प्रारंभिक चेतावनियाँ भाषा के स्तर पर ही सुनाई देती हैं। मानकीकरण का अर्थ ही होता है यथार्थितिवाद, ठहरे हुए पानी का निथरते जाना अर्थात् कुलीनतावाद। भीतर की खलबलाहट सबसे पहले इसी शीशे की तरह ठहरी बेदाग सतह को झकझोरती है...।

शब्द, भाषा, वाक्य और संपूर्ण विन्यास का यह वि-मानकीकरण जो आज हमें एक खास तरह की अराजकता या अव्यवस्था लग रहा है हो सकता है किसी केंचुली उतारते सांप की भीतरी कसमसाहट हो... बहरहाल, सारे विकासशील समाज और भाषा अपनी प्रगति और बदलाव की प्रक्रिया में ऐसी एनार्की और कैऑस से बार-बार गुजरते हैं और फिर पहले से बड़े या व्यापक स्तरों पर केन्द्रीकरण या मानकीकरण की क्रिया शुरू होती है ... कहानी की भाषा की नब्ज तो कम से कम यही संकेत दे रही है कि सारे शरीर में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले से अलग है... यानी यह मानसिकता के व्यापक बदलाव की सूचना है। उर्दू या अंग्रेजी में दशकों तक मानकीकरण का अतिरिक्त या अतिशयोक्तिपूर्ण आग्रह कहीं उन भाषाओं के बोलने वालों की अवरुद्ध मानसिकता को ही रेखांकित करता था... भाषाई आभिजात्य या कुलीनता का दंभ अपनी जड़ता को लेकर अतिरिक्त तुनकमिजाजी से पैदा होता है। हम इस मानकीकरण की हाथीदांती मीनारों में आत्ममुग्ध बैठे रहे हैं और आस-पास वि-मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है - हमारे द्वीप के किनारे काटती सीमाएँ निगलती...।

कथाकार ज्ञान प्रकाश का मानना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति, परिवार एवं समाज के सन्तुलन को भंग कर दिया है। धन-केन्द्रित समाज व्यावस्था ने सभी मानवीय गुणों को तिलांजलि दी है। बाजारवादी तंत्र ने व्यक्ति व समाज को अपने जाल में फंसा दिया है। असीम धन की चकाचौंध ने महानगरीय जीवन में संस्कृति के स्थान पर कुसंस्कृति पैदा की है यहाँ कारपेटे वर्ल्ड... चुमना वाइन। वेल्थ एवं बयानबाजियाँ चल रही हैं।

ज्ञान प्रकाश विवेक की 'इमारें' शीर्षक कहानी में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी इमारत को दिखाया है। मल्टी स्टोरी इमारत सिंगल स्टोरी इमारत को हिकारत की दृष्टि से देखती है और बुद्धियाँ सम्बोधन करके कहती है बूढ़ियों, गुजर चुका तुम्हारा जमाना। हमारा जमाना है अब हमारे अन्दर झाँककर देखो, सब कुछ वेलफरनिश्च। नो इमोशन। नो रिलेशन। सब प्रैक्टिकल। हर फ्लोर डेकोरेटिड। वाल टु वालकारपेटे। तुम जहाँ खत्म होती हो, हम वहाँ से शुरू होती हैं। ... हमें हमारे अहंकार से नापना। सिंगल स्टोरी से रहा नहीं गया। बोली - जानती हैं, ग्यारह सितम्बर को क्या हुआ था? ... अहंकार ध्वस्त हुआ था। ऊँचाई सिर के बल गिरी थी। शक्ति के भीतर का खोखलापन जाहिर हो गया था। अपनी बुलन्दी कद-काठी का जश्न मनाते दो टावर, ताश के घर की तरह गिरे। ... दूसरे के पैरों पर नहीं। वह अपने पैरों पर गिरता है, जैसे कि टावर।

सिंगल स्टोरी अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए खुदा पर भरोसा, प्रेमत्र, भाईचारा, करुणा, दया, ममता आदि की भावनाओं से युक्त स्वस्थ एवं सभ्य सामाजिक जीवन का संघर्ष करती है।

अतः उत्तर आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था की जड़े बेईमानी, चापलूसी, भ्रष्टाचाररूपी खम्भों पर टिकी हुई है। जो कोई ईमानदारी से उस भ्रष्ट व्यवस्था

को सुधारने का प्रयास करता है वह खुद व्यवस्थारूपी आवटोपस की चंगुल में फँस जायेगा जिस तरह 'उजाड़' शीर्षक कहानी का नायक वासन फँस गया है। 'व्यवस्था व्यक्ति एवं समाज को व्यवस्थित करने के लिए का सिद्धान्त इस उत्तर आधुनिक युग में कोरा बकवास बन गया है।' व्यवस्था छीनते-छीनते कितना कुछ छीन लेती है। जब आदमी की जमीन छीनकर उसे तसल्ली नहीं होती तो वह उसके पाँव छीन लेती है। उत्तर आधुनिक बाजारवादी व्यवस्था इतनी क्रूर और निरसंग है कि दीन-हीनों के दुख-दर्द को नजरअन्दाज करती है।

इसी प्रकार ज्ञानप्रकाश विवेक की 'अर्थ' शीर्षक कहानियाँ इस क्रूर व्यवस्था की झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। पहली कहानी में गरीब स्त्रियाँ गुजारा करने के लिए हजार पत्ते के बदले दस रुपये पाने के लिए कमर में बंधे कपड़ों में दौंती खोसकर मेंढक की तरह पेड़ों पर चढ़कर पत्ते तोड़ती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं जबकि टूरिस्ट केन्द्रों में खूबसूरत जवान एवं छरहरी लड़कियाँ नाजो अन्दाज, के साथ चाकलेट खा रही हैं और उसकी माँ व्यूटी पार्लरों में ढलती उम्र में मुठभेड़ करती हैं।

कमोवेश ग्राम्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में कथा साहित्य के सम्राट प्रेमचन्द ने एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में ग्रामीणों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है। मध्यवर्ग के लिए परिवार उपभोग का केन्द्र होता है, लेकिन किसान के लिए परिवार उत्पादन का केन्द्र भी होता है। किसान के पारिवारिक सम्बन्ध उत्पादन के संबंध भी होते हैं। उत्पादन कर्म में सारा परिवार एक साथ लगता है। इसलिए किसान बिना परिवार के नहीं रह सकता। मध्यवर्गीय मेहता अविवाहित रह सकते हैं लेकिन होरी के अविवाहित जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वह स्वाभाविक और पारिवारिक जीवन जीना चाहता है।

किसान अपनी चेतना से संयुक्त परिवार का पक्षपाती होता है। प्रेमचन्द ने दिखाया है कि नयी व्यवस्था के दबाव से यह संयुक्त परिवार टूट रहा है और इस टूटते हुए संयुक्त परिवार को बचाने के लिए किसान अथक प्रयास कर रहा है। इसमें कभी वह सफल होता है और कभी असफल होता है। संयुक्त परिवार को बचाने के इस संघर्ष में किसान अपनी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के सहारे सफल होता है। और ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव से असफल होता है। संयुक्त परिवार के बिखर जाने के बाद भी किसान उन संबंधों को मानता और निबाहता रहता है। तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार के विघटन के बाद भी चेतना के स्तर पर किसान संयुक्त परिवार में ही रहना चाहता है। इस तरह प्रेमचन्द साहित्य में भारतीय किसान के परिवार का वह संक्रमण काल अभिव्यक्त हुआ है, जब संयुक्त परिवार में विघटन तीव्र हो गया था। इस विघटनकालीन संयुक्त परिवार में सदस्यों के आपसी संबंधों के ताने-बाने, तनाव, अन्तःसंघर्ष, अन्तर्विरोध और टूटन की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द की रचनाओं में हुई है। उनके साहित्य में 'नये' परिवार के बन जाने का चित्रण तो है, लेकिन उनको सामाजिक और नैतिक विराधे का सामना करना पड़ रहा है। समाज उसे वांछित रूप में नहीं, बल्कि नियति के रूप में मानने के लिए मजबूर है। इस विशिष्ट ऐतिहासिक दौर में किसानों की पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रेमचंद साहित्य में भी मिलता है।

प्रेमचंद ने परिवार का वर्णन करते हुए इस तथ्य को बड़े दर्द से रेखांकित किया है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार सिर्फ संस्था नहीं है बल्कि मानवीय संबंधों की मानवीयता की स्थायी और ठोस अभिव्यक्ति है। परिवार टूटने के साथ ही यह मानवीयता भी टूट जाती है। इस टूटने के दर्द को किसान पात्र झेलते हैं और अक्सर विघटन के दिन परिवार का मुखिया

इस गम में खाना नहीं खा पाता। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय किसान की परम्परागत चेतना का मूर्तिमान रूप-संयुक्त परिवार अब टूट क्यों रहा है? प्रेमचंद और उनके किसान पात्रों के विचार क्या हैं? वह जानना भी आवश्यक है।

प्रेमचन्द साहित्य के अध्ययन से पता लगता है कि उन्होंने इसका कोई ठोस और तर्कसंगत जवाब नहीं दिया है। इस समस्या के बारे में लेखक के विचार उसके पात्रों के विचारों से मिलते हैं। संयुक्त परिवार के समर्थन में एक तर्क तो यह भी दिया जाता है कि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। 'सवा शेर गेहूँ' में प्रेमचंद ने लिखते हैं, ... शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किन्तु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया।

इसके टूटने के कारणों में सबसे प्रमुख नयी बू की संकुचित दृष्टि को माना गया है। जब तक घर में कोई नया प्राणी नहीं आ जाता, तब तक पारिवारिक जीवन में सुख-शान्ति रहती है, लेकिन ज्यों ही वह आती है परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध बदल जाते हैं और आज्ञाकारी बेटा भी अनुशासनहीन होने लगता है। 'अलग्योझा' कहानी में भी इसी परिवार के विघटन की जिम्मेदार रगू की बहू मुलिया को ठहराया गया है। मुलिया सोचती है और कहती भी है कि 'मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे, और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमें। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते ही नहीं भाई किसके होते हैं।'

संयुक्त परिवार में यह असमान श्रमविभाजन तो सदियों से रहा है, लेकिन इसका विरोध अब इतना तीव्र क्यों हो गया है? इसका कारण है लाभ की

व्यक्तिगत चेतना। पहले परिवार गुमान जैसे निठल्ले खप जाते थे लिहाज और स्नेहवश दूसरे भाई भावज कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन 'व्यक्तिवाद' के कारण वह 'लिहाज' उठता जा रहा है औरतें पहले जब इस प्रकार बातें करती भी थीं, तो मर्द उन्हें चुप करा देते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गयी है। 'शंखनाद' का बितान खुद तो लिहाजवश कुछ नहीं पाता, लेकिन जब उसकी पत्नी अलग्योझे का समर्थ करती है तो उसे अच्छा लगता है। इसमें भानुदत्त को गुमान का छैलापन उतना नहीं खलता जितना उसके बेटों का खलता है। इसका कारण दो पीढ़ियों की अलग अलग चेतना है।

अतः कहना न होगा कि आज परिवार टूट रहे हैं। ग्रामीण जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। ग्रामीण संस्कृति का ढांचा चरमरा रहा है। आज परिवार के बीच एकाकीपन समा रहा है। साथ ही बाजारवाद की चकाचौंध और उपभोक्तावादी संस्कृति की दस्तक ने पुराने जीवन मूल्यों को नेस्तानाबूद कर स्व संस्कृति को जन्म दे रही है जो देश, समाज एवं परिवार के लिए घातक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्याएँ
2. प्रो० कमला प्रसाद : देशवन्दु, दैनिक समाचार पत्र में प्राकशित स्तम्भ - बदलती दुनिया बदलते इन्सान, से उद्धृत
3. राजेन्द्र यादव - कहानी : अनुभव और अभिव्यक्ति
4. ज्ञान प्रकाश विवेक - शिकारगाह,
5. सी.एम. येहन्नान - समकालीन हिन्दी कहानी : अन्तरंग परिचय,
6. प्रो. रामबक्ष - प्रेमचन्द और भारतीय किसान
7. प्रेमचंद - गोदान से
8. मानसरोवर

सभी किसानों की कर्जमाफी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। (म.प्र. के सदरभ में)

डॉ. दीपक जैन *

शोध सारांश - हमारे देश में चुनाव आते ही कुछ राजनैतिक पार्टियां चुनाव जीतने हेतु अनेक प्रकार के लोकलुभावने वादे करती हैं। जिससे मतदाता, राजनैतिक दलों के झूठे लोकलुभावने वादों में आकर इन राजनैतिक दलों के अयोग्य उम्मीदवार को वोट देकर गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, जो प्रजातंत्र एवं अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है।

प्रस्तावना - हम जानते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं, अनेक पार्टियां किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती हैं, इसके लिए वे अनेक प्रकार के हथकण्डे अपनाती हैं। इसमें लोकलुभावने वादे, वचनपत्र प्रमुख हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है अतः हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं अतः कुछ राजनैतिक पार्टियां चुनाव जीतने हेतु किसान-परिवारों के मत पाने हेतु कृषि कर्जमाफी का झूठा आश्वासन देते हैं जिससे सरकार पर आर्थिक भार पड़ता है एवं सरकारी खजाना खाली हो जाता है जिससे सरकार राजस्व बढ़ाने हेतु कर बढ़ाती है या नये कर जोड़ती है जिससे मंहंगाई बढ़ने लगती है, और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा विकास कार्य रुक जाते हैं।

शोध अध्ययन का औचित्य- भारत कृषि प्रधान देश है अतः हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कर्जमाफी होने से अनेक सम्पन्न किसान जिनको कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वे भी कर्ज लेकर, कर्जा न चुकाकर कर्ज माफी चाहते हैं जिससे सरकार को आर्थिक भार पड़ता है अतः इस संकट से बचने के लिए कर्जमाफी के स्थान पर किसानों को अन्य सुविधाएँ देकर कैसे दूर किया जा सकता है इस जिज्ञासावश मैंने इस विषय का चयन किया है।

शोध का उद्देश्य - कृषि कार्य को बार-बार कर्ज माफी के स्थान पर अनेक सुविधाएँ देकर लाभदायक बनाना।

शोध परिकल्पनाएं - प्रस्तुत शोध में उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं रही हैं जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया जावेगा।

1. म.प्र में शिवराज सरकार द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं आधुनिक यंत्रों पर अनुदान देना आदि का अध्ययन करना।
2. किसानों को सिंचाई हेतु मंहंगी बिजली के स्थान पर सोलर सिंचाई पंप हेतु सब्सिडी देना आदि का अध्ययन करना।
3. सरकार द्वारा प्रति वर्ष हितग्राही किसानों को अनुदान राशि देना आदि का अध्ययन करना।

शोध की विधि - इस शोध पत्र में द्वितीय समकों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। शोधपत्र में इंटरनेट, समाचार पत्रों, पत्र-

पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित समकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है।

कर्ज माफी के स्थान पर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना

1. म.प्र. की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

क्र.	परियोजनाएँ का नाम	नदी का नाम	सिंचाई क्षेत्र	लाभान्वित जिले
1	बरगी (रानी अवंती बाई सागर)	नर्मदा नदी	2.45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई	जबलपुर, कटनी, रीवा एवं सतना
2	चंबल	चंबल नदी	224700 हेक्टेयर में सिंचाई	मुरैना, भिंड एवं मंदसौर
3	तवा	तवा नदी	13.50 हेक्टेयर में सिंचाई	होशंगाबाद
4	कोलार	कोलार नदी	45000 हेक्टेयर में सिंचाई	सीहोर, भोपाल
5	थावर	थावर नदी	18121 हेक्टेयर में सिंचाई	मंडला
6	बारना	बारना नदी	55000 हेक्टेयर में सिंचाई	रायसेन
7	भांडेर नहर	बेतवा नदी	44535 हेक्टेयर में सिंचाई	दतिया, भिंड एवं ग्वालियर
8	सुक्ता	सुक्ता नदी	1700 हेक्टेयर में सिंचाई	खंडवा

9	सिंध	सिंध नदी	1.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई	शिवपुरी, भिंड एवं ग्वालियर
10	मान	मान नदी	9000 हेक्टेयर में सिंचाई	धार

2. किसानों को बिजली बिल से मुक्ति - म.प्र. में किसानों को बड़े बिजली बिलों से पुरी तरह से बचाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराजसिंहजी चौहान ने सोलर पंप योजना के अंतर्गत हितग्राही किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करायेगी इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसानों से आवेदन प्राप्त कर रहा है तथा राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप सेट के लिए सब्सिडी देगी। रीवा जिले के अक्षय ऊर्जा अधिकारी एस एस गौतम के अनुसार मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के पोर्टल पर किसानों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं, आवेदन की डेड लाईन 31 मार्च है तथा हितग्राही किसानों को 2 माह के भीतर सोलर पंप दिया जायेगा। हितग्राही किसानों को उपयुक्त हॉर्स पावर के लिए निश्चित अंशदान देना होगा।

1 हॉर्स पावर- 19000 रु 2 हॉर्स पावर- 23000 रु

3 हॉर्स पावर- 36000 रु 4 हॉर्स पावर- 72000 रु एवं 5 हॉर्स पावर हेतु - 135000 रु

3. म.प्र. कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2020 - इस योजना के अंतर्गत म.प्र. के हितग्राही किसानों को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान धनराशि प्रदान की जायेगी। इस योजना में किसानों को 40000 रु से 60000 रु तक की सब्सिडी दी जायेगी। यदि कोई महिला किसान है तो इसके लिए और अधिक रियायत दी जायेगी। उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान नये आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ाए तथा अधिक लाभ प्राप्त करे। किसानों को सिंचाई यंत्रों जैसे पाईप लाईन, स्प्रिंकलर सेट पंप सेट एवं रेनगन के लिए पोर्टल पर आवेदन करना है। लॉटरी द्वारा चयनित हितग्राही किसानों को यह लाभ दिया जायेगा।

4. म.प्र. भारत सरकार कृषि मंत्रालय के सहयोग से किसानों का सच्चा साथी, कमल सुविधा केन्द्र से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु दुरभाष क्रं. 0755 2558823 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

5. किसान सम्मान निधि- हितग्राही किसानों के लिए आदरणीय

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रु और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4000 रु इस प्रकार कुल 10000 रु प्रतिवर्ष की मदद की जायेगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मुख्यमंत्री शिवराजसिंहजी चौहान ने प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 2000-2000 रु कुल 6000 रु प्रति किसान दिये जाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव- सभी किसानों की कर्जमाफी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। (म.प्र. के सदर्थ में) के विषय का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश सम्पन्न किसान भी इस कर्जमाफी का गलत फायदा उठा लेते हैं जबकि वे कर्ज आसानी से चुका सकते हैं इस कर्जमाफी को और अधिक सफल बनाने तथा किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं कृषि को अधिक लाभदायक बनाने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है-

1. सरकार को किसानों को कम कीमत पर उच्च कोटि के बीज उपलब्ध कराना चाहिए।
2. किसानों को कम कीमत पर जैविक खाद एवं आवश्यक रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराना चाहिए।
3. किसानों की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कराना।
4. किसानों की उपज का उन्हें उचित मूल्य दिलाना।
5. उपज के लिए पर्याप्त अनाज भंडार गृह की व्यवस्था करना।
6. किसानों को प्राकृतिक आपदा की पूर्व जानकारी देना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, कोठारी डॉ. मिलिन्द, रमेश बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, 2006-07
2. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, चंदेल डॉ. योगिता, देवी अहिल्या प्रकाशन, इन्दौर, 2006-07
3. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
4. प्रतियोगिता निदेशिका, प्रकाशन विभाग, वैशाली नगर, इन्दौर
5. दैनिक भास्कर, प्रकाशन विभाग, प्रेस काम्पलेक्स इन्दौर
6. नई दुनिया, प्रकाशन विभाग, बाबु छजलानी मार्ग, इन्दौर
7. दैनिक जागरण, नई दिल्ली
8. पत्रिका राजस्थान

COPYRIGHT AGREEMENT FORM:
 (Photocopy of this form may be used)

For the submission of an research paper.

(mention Title of Manuscript): -----

Name of Author :-----

Name of Co-Author -----

I hereby declare, on behalf of myself and my co-authors (if any), that:

- [1] I/we have taken due care that the scientific knowledge and all other statements contained in the research paper conform to true facts and authentic formulae and will not, if followed precisely, be detrimental to the user.
- [2] No responsibility is assumed by **DIVYA SHODH SAMIKSHA** and the Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA** , its staff or members or the editorial board for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products instruction, advertisements or ideas contained in a publication by **DIVYA SHODH SAMIKSHA** and by the Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA**.
- [3] I/we permit the adaptation, preparation of derivative works, oral presentation or distribution, along with the commercial application of the work.
- [4] The research paper contains no such material that may be unlawful, defamatory, or which would, if published, in any way whatsoever, violate the terms and conditions as laid down in the agreement.
- [5] The research paper submitted is an original work of mine/ours and has neither been published in any other peer-reviewed journal/ news paper/magazine/periodical/book nor is under consideration for publication by any of them. Also, the research paper does not contravene any existing copyright or any other third party rights.
- [6] I am/we are the sole author(s) of the research paper and maintain the authority to enter into this agreement and the granting of rights to The Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA** ,Neemuch India and this does not infringe any clause of this agreement.

COPYRIGHT TRANSFER

Copyright to the above work (including without limitation, the right to publish the work in whole, or in part, in any and all forms) is here by transferred to **DIVYA SHODH SAMIKSHA**, Neemuch and to the Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA**, Neemuch proprietary right other than copyright is proclaimed by **DIVYA SHODH SAMIKSHA** and the Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA**.

Under the Following Conditions: Attribution :(i) The services of the original author must be acknowledged; (ii). In case of reuse or distribution, the agreement conditions must be clarified to the user of this work; (iii) Any of these conditions can be ignored on the consent of the author.

SIGN HERE FOR COPYRIGHT AGREEMENT & COPY RIGHT TRANSFER AGREEMENT :

I hereby certify that I am authorized to sign this document either in my own right or as an agent of my employer, and have made no changes to the current valid document supplied by **DIVYA SHODH SAMIKSHA** and the Publisher of **DIVYA SHODH SAMIKSHA**.

Write Authors Name and Designation :-----

Signature:-----Date:-----Place:-----

Write Co-Authors Name and Designation :-----

Signature:-----Date:-----Place:-----

My/Our above name research paper is originally written by me/us and all information are true. I/we will fully responsible for this research paper.

Name: -----

College/ University :-----Subject:-----

Signature:-----Date:-----Place:-----

शोध पत्र तैयार की विधि

Research Paper Making Process

- | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|---|
| 1. | शीर्षक | - | Title |
| 2. | शोध सारांश | - | Abstract |
| 3. | शब्द कुंजी | - | Key words |
| 4. | प्रस्तावना | - | Introduction |
| 5. | उद्देश्य | - | Object |
| 6. | शोध परिकल्पना - | | Research Hypothesis |
| 7. | शोध प्रविधि एवं क्षेत्र | - | Research Methods & Area |
| 8. | शोध उपकरण | - | Research Tools |
| 9. | सांख्यिकी तकनीक | - | Statistics Technics |
| 10. | शोध व्याख्या | - | Description |
| 11. | निष्कर्ष | - | Conclusion |
| 12. | सुझाव | - | Suggestion |
| 13. | संदर्भ ग्रंथ सूची | - | References |
| | a. | अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक | - Kotler, Philip : Marketing Management, 2007 P. 196 |
| | b. | राष्ट्रीय पुस्तक | - कुमार, वि. : जनांकिकीय 2006, पृष्ठ 42 |
| | c. | अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल | - नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767
जुलाई से सितम्बर 2014, पृष्ठ क्र. 81 |
| | d. | राष्ट्रीय शोध जर्नल | - नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767
जुलाई से सितम्बर 2013, पृष्ठ क्र. 222 |
| | e. | अप्रकाशित शोध ग्रंथ | - शर्मा लक्ष्मीनारायण : मन्दसौर जिले का जनांकिकीय
अध्ययन 1971 से 1991 अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबन्ध
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1995, पृष्ठ क्र. 132 |
| | f. | पत्रिकाएँ | - रचना, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल फरवरी 2014 पृ. क्र. 84 |
| | g. | समाचार पत्र | - दैनिक भास्कर, रतलाम संस्करण, 5 सित. 2014, पृ. क्र. 6 |
| | h. | वेबसाईट | - www.nssresearchjournal.com |
| | i. | अन्य | - व्यक्तिगत सर्वे एवं विभागों से प्राप्त जानकारियां |
| 14. | शब्द सीमा | - | Word Limit - 2000 |
| 15. | व्यक्तिगत जानकारी | - | नाम,
पद,
महाविद्यालय का नाम,
निवास का पता,
मोबाइल नं. व
ईमेल एड्रेस आदि। |